लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
F. No.
On 24-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, गुरुवार, 30 अगस्त, 1973/8 भाद्र, 1895 (शक)

No. 26, Thursday, August 30, 1973/Bhadra 8, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
501	भारत द्वारा आणविक परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस और चीन से अनुरोध	India's Plea to France and China to sign Nuclear Test Treaty	1
502	नैवल डाकयार्ड बम्बई में गैस निकलने के परिणामस्वरूप मृत श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा	Compensation to Families of Workers killed due to Gas leakage in Navel Dockyard, Bombay . . .	4
503	लघु उद्योगों में फौजी अधिकारियों के परीक्षण की योजना	Scheme for Training of Service Officers in Small Scale Industry . . .	5
504	दादरा और नगर हवेली द्वारा इस्पात की मांग	Steel Demanded by Dadra and Nagar Haveli	6
506	भारत के फिल्मी कलाकारों को लन्दन के हवाई अड्डे पर "वर्क सर्टिफिकेट" न होने के कारण हिरासत में रखना	Detention of Indian Film Actors at London Airport for their being without "Work Certificates" . .	7
507	विश्व बाजार में अलौह धातुओं के मूल्य बढ़ना	Price of non-ferrous Metals in World Market soaring high . . .	9
509	खनिजों के लिए हिमाचल प्रदेश का सर्वेक्षण	Survey of Himachal Pradesh for Minerals	12
510	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला खानों के विकास के लिए निवेश	5th Five Year Plan Investment for Development of Coal Mines . . .	13
510-क.	कृषि श्रमिकों के संरक्षण के लिए कानून	Legislation for protection of Agricultural Workers	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	अल्प सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**
5	केरल के आरालम स्टेट फार्म में संकट	Crisis in Aralam State Farm, Kerala 16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
ता० प्र० संख्या S. Q. NO.		
505	मूल्य स्थिरता सुनिश्चित कराने के लिए कार बनाने वाले कारखानों को मूल्य नियंत्रण रखने के अनुदेश	Instructions to Car-Producing Units to exercise price discipline to ensure price stability 22
508	देश में इस्पात का उत्पादन करने के लिए अयस्क दिया जाना	Diversion of Ore for Indigenous steel 22
511	ईसाई मिशनरियों द्वारा कोहिमा में सैनिक गैरीजन ग्राउंड का उपयोग	Use of Military Garrison Ground, Kohima by Christian Missionaries 23
512	बंगला देश में एक इस्पात संयत्र के लिए व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of feasibitity report for a Steel Plant in Bangladesh 23
513	श्रम कानूनों का पुनर्विलोकन	Review of Labour Legislations 24
514	पटना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कार्यालय की इमारत तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	Office building and Staff quarters for E.P.F.O. at Patna 24
515	नेतरानी द्वीप में नौसैनिक अभ्यासों के दौरान शैल के विस्फोट में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा	Compensation to the families of victims of Naval Exercise shell Explosion in Netrani Island . . . 25
516	असैनिक यातायात के लिये नये विमानों का विकास	Development of New Planes for Civilian Traffic 25
517	बंधक श्रमिक रखने की प्रथा	Bounded Labour System . . . 25
518	स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही	Steps to increase production of Stainless Steel . . . 26
519	स्कूटर बनाने के लिए और अधिक कारखाने स्थापित करना	More Units for Production of Scooters 26
520	बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of Bonus Review Committee . 27
अता० प्र० संख्या U. S. Q. NO.		
4924	'नन-स्मग्लिग' के मामले में अन्तर्गस्त तथा दासियों के रूप में बेची गयी भारतीय नर्सों की संख्या	Number of Indian Nurses Involved in "Nun-Smuggling" and sold as Slaves. 28

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4925	अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मैंगनेसाइट सयंत्र का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार न होना	Mangnesite Plant at Almora (U.P.) behind Schedule 28
4926	उड़ीसा में गोला बारूद के कारखाने की स्थापना	Establishing an Explosive Factory in Orissa 28
4927	विदेशों से मैत्री सम्बन्ध बनाने के लिए संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रस्ताव	Proposal to send Delegations of Members of Parliament to create friendly Relations with Foreign countries . 29
4928	इण्डियागेट नई दिल्ली पर प्रज्वलित "अमर जवान ज्योति" पर हुआ व्यय	Expenditure on Amar Jawan Jyoti at India Gate, New Delhi . . . 29
4929	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के जूनियर डिवीजन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और नियमित सेना के जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की स्थिति	Position of Junior Division Commissioned N.C.C. Officers and J.C.Os of regular Army . 29
4930	जूनियर कमीशन्ड एन० सी० सी० आफिसरों की प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति	Appointment of Junior Commissioned N.C.C. Officer as Administrative Officers 30
4931	अर्द्ध सैनिक बल (पैरा मिलिट्री फोर्स) में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती	Recruitment of Ex-Servicemen in Para-Military Forces 30
4932	अपंग होने के कारण सेवा मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों का पुनः नियुक्त किया जाना	Re-appointment of Ex-Servicemen discharged from Service on grounds of disability 31
4933	विद्युत भट्टी इस्पात संयंत्र के लिये सरकार से अनुरोध	Proposal for Electric Furnace Steel Plant from Kerala Government . 31
4934	केरल में कृषि उद्योग कारखाने की स्थापना	Setting up of Agro-Industries Unit in Kerala 32
4935	कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को 'शान्ति क्षेत्रों' में निःशुल्क राशन	Free Ration to Army Commissioned Officers in peace areas . . . 32
4936	गत तीन वर्षों में वैस्पा (बजाज) तथा लम्ब्रैटा स्कूटरों का उत्पादन	Production of Vespa (Bajaj) and Lambretta Scooters during last three years 32
4937	घड़ियां बनाने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ सहयोग का प्रस्ताव करने वाले राज्य	States offering to calloborate with HMT for manufacture of Watches 34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4938 न्यू धर्मबन्ध कोयला खान में कोककारी कोयले के निक्षेप	Reserves of Coking Coal in New Dharmaband Colliery . . .	34
4939 रक्षा मंत्रालय में नीलामकर्त्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Auctioneers in the Ministry of Defence . . .	35
4940 हैदराबाद नगर में सिंगरेनी कोयले की कमी	Shortage of Singareni Coal in Hyderabad City	36
4941 सिंगरेनी कोयला खानों में प्रति टन कोयला निकालने पर आने वाली लागत	Cost of raising of coal per tonne in Singareni Coal Mines . . .	37
4942 कम्बोडिया में फिर से शान्ति तथा सामान्य स्थिति लाने के सम्बन्ध में भारतीय नीति	India's Policy towards Restoration of Peace and Normalcy in Cambodia .	38
4943 देश के सैनिक स्कूलों में दाखिला	Admission to Sainik schools in the Country	38
4944 अमृत बाजार पत्रिका और जुगान्तर समाचार पत्र समूह को उनके प्रबन्धकों द्वारा प्रथम श्रेणी के समाचार पत्र घोषित न किया जाना	Non Declaration of Amrit Bazar Patrika and Jugantar Group of Newspapers as Class I Newspapers by Management	39
4945 विदेशी मिशनों द्वारा भारत में शाखाएं खोले जाने के लिये अनुमति	Permission for opening Branches by Foreign Missions in India . .	39
4946 अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन करने के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव	Resolution passed by Supervising Staff Federation of State Bank of India regarding Amendment to Industrial Dispute Act	40
4947 अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन	Compilation of All India Working Class Consumer's Price Index . . .	40
4948 अरब सागर में तटीय जलदूषण रोकने के लिये उपाय	Measures to check pollution of sea water in coastal Arabian sea . . .	41
4949 टैल्को, जमशेदपुर में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन	Production of Commercial Vehicles at TELCO Jamshedpur . . .	41
4950 हास्पेट इस्पात कारखाना	Hospet Steel Unit	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4951 टैल्को में फोर्ज, फाउण्ड्री तथा जनरल इंजीनियरिंग सम्बन्धी उत्पादन में कमी	TELCO facing set back in output of Forge, Foundry and General Engineering	42
4952 पूर्व योरोपीय देशों का अलौह धातुओं की सप्लाई के वायदे से हटना	Backing out of Commitment for Supply of Non Ferrous Metals by East European Countries	42
4953 चीन के आणविक विस्फोट के सम्बन्ध में भारतीय आणविक संस्थान द्वारा घोषणा	India's Atomic Establishment Announcement Explosion of Chinese Nuclear Device	42
4954 मैसर्स जैसप्स लिमिटेड में उत्पादन आयोजन और लागत आंकने के कुप्रबन्ध	Mismanagment in production planning and costing in M/s. Jessops Ltd.	43
4955 हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड में बने ट्रैक्टरों के वितरण के सम्बन्ध में नियम	Rules governing distribution of tractors produced in Hindustan Tractors Ltd.	44
4956 पांचवीं योजना के दौरान निजी कारें व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर देने के लिये योजना	Schemes for rationing of private cars during Fifth Plan on the basis of professional requirement . .	44
4957 दिल्ली में लगी आग से प्रभावित तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugee Victims of fire in Delhi . . .	44
4958 दिल्ली में स्कूटर बनाने का कारखाना	Scooter Manufacturing Plant in Delhi .	45
4959 इकोनोमिक डेमोक्रेसी (आर्थिक लोकतन्त्र)	Economic Democracy . .	45
4960 सरकारी कोटे से वैस्पा स्कूटरों के आवंटन के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा के कारण	Reasons for long wait for allotment of Vespa Scooter from Government Quota	46
4961 उड़ीसा के कोरापुट जिले में सूनावेडा स्थित एच० ए० एल० में टेलीविजन बनाने का उद्योग	Television Manufacturing Industry at H.A.L. Sunabeda Koraput, Orissa .	46
4962 हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक में तालाबन्दी	Lock out In HMT Unit, Hyderabad .	47
4963 पंजाब में भटिण्डा छावनी के लिये भूमि	Land for Bhatinda Cantonment in Punjab	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4964 पाकिस्तानी विमानों की भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान के बारे में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता	Bilateral Talks with Pakistan on Pak Overflights	47
4965 विकासशील देशों की सहायतार्थ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की योजना	U.N. Economic and Social Council's plan to assist developing countries .	48
4966 कोयले की सप्लाई और उसका लाना ले जाना	Supply and movement of coal . .	49
4967 इलाहाबाद शिविर के मारे गए युद्ध बन्दी	P.O.W's killed in Allahabad Camp	49
4968 पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन किये जाने के कारण भारत को हुई हानि	Loss suffered by India due to Border Violations by Pakistan . .	50
4969 चालू वर्ष के दौरान इस्पात संयंत्रों का विस्तार	Expansion of Steel Plants during current year . . .	50
4970 विदेशी सेवा विंगों के एकीकरण का प्रस्ताव	Proposal to merge Foreign Service Wings	50
4971 ठेका श्रमिकों के हितों का संरक्षण	Protection of interests of contract Labour	51
4972 बम्बई की सूती कपड़ा मिलों का भिन्न-भिन्न समय पर अवकाश	Staggering of Holidays in Bombay Textile Mills	51
4973 मैंगनीज की मांग और उसका उत्पादन	Demand and production of Manganese	52
4974 विशाखापत्तनम स्थित जस्ता प्रद्रावण संयंत्र	Visakhapatnam Zinc Smelting Plant .	52
4975 पाकिस्तान का रक्षा बजट	Defence Budget of Pakistan .	52
4976 हिमाचल प्रदेश में सेना में भर्ती के लिये भर्ती केन्द्र	Armed Forces Recruiting Centre in Himachal Pradesh	53
4977 तकनीकी, मेडिकल तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये सीटों का आरक्षण	Reservation of seats for children of Defence personnel in Technical, Medical and other Professional Institutions	53

अ॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4978	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों और एसोशिएशनों के कर्मचारियों को उपलब्ध सेवा संबंधी लाभ	Service benefits available to Employees of Societies and Associations Registered under the Societies Registration Act, 1860	54
4979	विदेश सेवा के श्रेणी 'ख' के अधिकारियों की समस्याओं के बारे में प्रधान मंत्री को भेजा गया ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister regarding problems of Class 'B' Foreign Service Officers .	54
4980	50,000 मीटरी टन कच्चा लोहा निर्यात करने के लिये बोकारो इस्पात संयंत्र को विदेश से प्राप्त आर्डर	Foreign order placed with Bokaro Steel Plant for Export of 50,000 tonnes of pig Iron . .	55
4981	हैदराबाद में एक स्पेशल मैटल एंड सुपर अलाय प्लांट स्थापित करना	Setting up of a special Metals and super alloy plant at Hyderabad .	55
4982	हाई वोल्टेज कैपेसिटरों के निर्माण के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल का जी॰ ई॰ सी॰ अमरीका, से करार	Agreement of Heavy Electricals Bhopal with GCE. USA for Manufacture of High Voltage capacitor . .	56
4983	नेशनल इंजीनियरिंग वर्कस डुमका, बिहार का कर्मचारी भविष्य निधि का मामला	EPF case of National Engineering Works Dumka, Bihar . .	56
4984	सहायक भविष्य निधि आयुक्त ग्रेड एक की विभागीय पदोन्नतियां	Department Promotions of Assistant Provident Commissioner Grade I .	57
4985	बोकारो इस्पात कारखाने के बिहार के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation of Officials from Bihar in the Staff of Bokaro Steel Plant .	57
4986	मशीनी औजार उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता	Idle capacity in Machine Tools Industry	58
4987	रुरकेला स्थित हिन्दुस्तान स्टील संयंत्र में आरक्षित कोटे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति	Appointment of S.C. & S.T. Candidates in Hindustan Steel Plant, Rourkela, against Reserved Quota . . .	58
4988	रुरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देना	Employment to Persons Displaced on account of setting up of Rourkela Steel Plant	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4989 दंडकारण्य में आदिवासियों का बसाया जाना	Rehabilitation of Tribals in Dandakaranya	59
4990 अमरीकी राष्ट्रपति का भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र	U.S. President's Letter to the Prime Minister of India . . .	60
4991 डायरेक्टोरेट आफ एन० सी० सी०, नई दिल्ली में वायु सेना अधिकारी	Air Force Officers joined the Directorate General of NCC New Delhi . .	60
4992 रक्षा विभाग में सिविल कर्मचारियों के लिये 'वर्गीकरण न्यायाधिकरण'	'Classification Tribunal' for Civilian Employees of Defence . .	61
4993 चौथी योजना में सरकारी उपक्रमों में बेरोज़गार इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Unemployed Engineers in Public Undertakings during Fourth Plan	61
4994 कोयला खानों में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार	Improvement of Industrial Relations in Coal Mines	62
4995 रुरकेला इस्पात संयंत्र की 80 करोड़ रुपये की विस्तार योजना	Rs. 80 Crore Expansion Scheme for Rourkela Steel Plant . .	62
4996 सेवा-निवृत्त सिविल सेवा कर्मचारियों को राजनयिक पदों पर नियुक्त करने के खिलाफ विदेश सेवा अधिकारियों से शिकायतें	Complaints from Foreign Service Officers against Deployment of Retired Civil Servants on Diplomatic Assignment	62
4997 1971-72 और 1972-73 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को उत्पादन में हुई हानि	Production Loss suffered by H.S.L. during 1971-72 and 1972-73 . .	63
4998 टैल्को और ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के पीड़ित श्रमिकों की बहाली	Reinstatement of Victimised Workers of Telco and Tube Company, Jamshedpur	65
4999 कोयला खानों के प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाना	Workers Participation in Management in Coal Mines	66
5000 कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनमें सुरक्षा उपाय	Safety Measures in Coal Mines after their Nationalisation .	66
5001 कच्छ में मिला लिग्नाइट और बोक्साइट	Lignite and Bauxite found in Kutch .	66
5002 बांसपानी क्षेत्र, उड़ीसा में 'नान-केपटिव' लौह अयस्क खानों की उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन	Assessment of Production capacity of Non-captive Iron Ore Mines in Banspani Sector, Orissa. . . .	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5003 जोधपुर में विकसित किया गया पानी के खारीपन को दूर करने के संयंत्र का उपयोग	Use of Desalination Plant Developed at Jodhpur	68
5004 श्रमिक नीति का पुनः निर्धारण	Re-drawing of Labour Policy .	69
5005 वर्ष 1971-72 तथा वर्ष 1972-73 के दौरान इस्पात के उत्पादन की कुल क्षमता और कुल उत्पादन के बीच अन्तर	Gap between Total Capacity and Actual Production of Steel during 1971-72 and 1972-73	69
5006 खेतड़ी परियोजना में उत्पादित ट्रिपल सुपर फास्फेट की बिक्री के लिए विपणन संगठन	Marketing Organisation for Sale of Triple Super Phosphate produced in Khetri Project	71
5007 अखिल भारतीय ग्रामीण युवा कांग्रेस को जीपों की बिक्री	Sale of Jeeps to All-India Rural Youth Congress	72
5008 देशीय मांग की पूर्ति के लिए तांबे का आयात	Import of Copper to meet Internal Demands . . .	72
5009 तांबा अयस्क और धातु का उत्पादन अनुसूची से पीछे रह जाना	Shortfalls in Production Schedule of Copper Ore and Metal . . .	73
5010 बोकारो इस्पात संयंत्र में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर जाति के आधार पर कथित भर्ती	Alleged Appointment in Technical and Non Technical posts in Bokaro Steel Plant on Caste consideration .	73
5011 बोकारो इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद	Posts Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bokaro Steel Plant	73
5012 औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस्पात देने का ढंग	Method of supply of Steel to Industrial Consumers	74
5013 युद्ध-विधवाओं और विकलांग सैनिकों को गैस एजेंसियों और निःशुल्क भूमि के आवंटन के बारे में मध्य प्रदेश से शिकायतें	Complaints from Madhya Pradesh regarding Allotment of Gas Agencies and Free Land to War Widows and Disabled Army Personnel . .	74
5014 प्रादेशिक भविष्यनिधि आयुक्त, मध्य प्रदेश द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम के अन्तर्गत दायर किए गए आपराधिक मामले	Criminal cases Filed by Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh under EPF Act . . .	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5015 जबलपुर आयुध फैक्टरी के कर्मचारियों से डिपो के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुआ ज्ञापन	Memorandum Received from the Employees of Jabalpur Ordnance Factory against some officers of Depot .	75
5016 आल इण्डिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन द्वारा हड़ताल की आशंका	Strike Move by All-India Defence Employees Federation . . .	75
5017 श्री आर० एल० थिरानी तथा उनकी पत्नी पर लन्दन में मुकदमा	Prosecution of Shri R. L. Thirani and his wife in London	76
5018 बोकारो धमन भट्टी द्वारा निर्धारित क्षमता पर उत्पादन न करना	Bokaro Blast Furnace not Producing as per Rated Capacity .	76
5019 असंगठित श्रमिकों को संगठित करना	Organisation of Unorganised Labour	77
5020 बंगलादेश और भारत के बीच यात्रा पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Curbs imposed on Travel between Bangladesh and India .	78
5021 गुजरात और दादर तथा नगर हवेली में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Gujarat and Dadra and Nagar Haveli .	78
5022 मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा निर्मित कार के मामले में मोटर गाड़ी की परीक्षण करने की सामान्य प्रक्रिया को समाप्त करना	Normal process of Testing a Vehicle to be dispensed with in case of Car Manufactured by M/s. Maruti Ltd. .	79
5023 भारत द्वारा बंगलादेश को वापस भेजे गये युद्ध-बन्दी	P.O.Ws Returned to Bangladesh by India	79
5024 गुजरात कांग्रेस विधायक दल के चुनाव सम्बन्धी मतपत्रों की गणना दिल्ली में किया जाना	Counting of Ballot Papers in Delhi in respect of Gujarat Congress Legislative Party Election . .	79
5025 भारत में पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों पर हुए व्यय की पाकिस्तान से वसूली	Recovery from Pakistan of Expenditure incurred on P.O.Ws in India .	80
5026 आगामी पांच वर्षों में तांबे की मांग तथा उसका उत्पादन	Production and demand of copper in Next Five Years . .	80
5027 देश में जस्ता की मांग और उसका उत्पादन	Demand and production of Zinc in the country . . .	81
5028 छोटी कार के निर्माण में लगे उपक्रम	Entrepreneurs engaged in small car production . .	81

अता० प्र० संख्या० U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5029 रुड़केला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात परियोजनाओं द्वारा लौह पिण्ड, इस्पात कोक तथा अन्य उप-उत्पादों का उत्पादन	Production of Iron Ingots Steel, Coke and other by-products of Rourkela, Bhilai and Durgapur Steel Projects	82
5030 रूस के सहयोग से उड़ीसा में विमान द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण	Aerial Mineral Survey of Orissa in Collaboration with Russia . .	82
5031 (एक) बिलेट री-रोलर (दो) एस० आर० एम० ए० री-रोलर (तीन) गौण री-रोलरों के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कच्चे माल का आवंटन	Allocation of Raw material of HSL to (i) Billet re-rollers (ii) SRMA re-roller (iii) Secondary re-rollers. .	83
5032 सेना में हरिजनों, आदिवासियों, मस्लिमों, ईसाइयों तथा अन्य अल्प संख्यक समुदायों की भरती	Recruitment of Harijan Adivasis, Muslims, Christians and other Minority Communities in Army . . .	83
5033 साउथ बिहार शुगर मिल, बहिटा का बन्द होना	Closure of South Bihar Sugar Mill, Bihta	84
5034 ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, टीटागढ़, को जेसप एण्ड कम्पनी के अन्तर्गत रखना	Britannia Engineering Company Titagarh placed under Jessops and Company	84
5035 "आर्म्स बिल्डअप बाई द आयल रिच कन्ट्रीज इन वैस्ट एशिया" शीर्षक से समाचार	News Item Arms "Build up by the Oil Rich Countries in West Asia" .	85
5036 बोकारो, भिलाई, रुड़केला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों को हुई हानि	Loss to Bokaro Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants . . .	85
5037 अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी तथा राजदूत के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्ति	Number of Scheduled Castes/Tribes Officials in Indian Embassies Abroad and those appointed on ambassadorial Assignments	86
5038 रेलवे में श्रेणी वार हड़तालें और आन्दोलन	Category wise Strikes and Agitations in Railways	86
5039 राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् को सरकार का समर्थन	Government support to National Council of Trade Unions	87
5040 आय तथा मजूरी सम्बन्धी नीति	Incomes and Wages Policy	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5041	रेलवे, भारतीय उर्वरक निगम और भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर रोक	Ban on strikes in Railways Fertilizer Corporation of India and Food Corporation of India	88
5042	हिन्द साइकल्स लिमिटेड में विवाद	Dispute in Hind Cycles Limited . .	88
5043	दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के भारतीय कर्मचारियों को डालर के चैकों की चोरी में अन्तर्गस्त होना	Involvement of Indian Employees of US Embassy in Delhi in Theft of Dolar Cheques	89
5044	जनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय निगमों की समस्याओं पर विचार विमर्श	Discussion on problems of Multinational Corporations in ILO Conference at Geneva	89
5045	उपदान अधिनियम का संशोधन	Amendment of Gratuity Act	90
5046	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस्पात की आवश्यकता तथा उपलब्धता	Need and Availability of Steel by the end of Fifth Five Year Plan . .	90
5047	ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कर्मचारियों पर व्यय	Expenditure on Staff in Indian High Commission, U.K. . . .	90
5048	घरेलू नौकरों की स्थिति	Conditions of Domestic Servants .	91
5049	हड़तालों के कारण जन-दिवसों की हानि के राज्य-वार आंकड़े	Statewise Figures of Strikes, Hartals and Man-days lost . . .	91
5050	राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भारत द्वारा नौ-सूत्री योजना का पेश किया जाना	Presentation of a Nine Point Plan by India at Commonwealth Prime Minister's Conference	91
5051	खेतड़ी तांबा परियोजना की कोलीहन खान में खनन कार्य के सम्बन्ध में भारत गोल्ड फील्ड कोलार के साथ करार	Agreement with Bharat Gold Field Kolar Re: Mining Work at Kolihan Mine of Khetri Copper Project .	93
5052	बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए बीमा	Unemployment Insurance .	93
5053	कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for coal Mine Workers .	93
5054	मध्य प्रदेश में कुछ मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करना	Non Deposit of EPF by certain Mills in Madhya Pradesh . . .	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5055 हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा बिजली की मशीनों और उपकरणों का विदेशों को निर्यात	Electric Machines and Equipments Exported to Foreign countries from Heavy Electricals Limited Bhopal .	95
5056 भारत के बाड़मेर क्षेत्र में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pakistani Infiltration in Barmer Area of India	96
5057 हिन्द साइकिल लिमिटेड में तालाबन्दी की घोषणा करने की योजना	Plan to declare Lock out in Hind Cycles Ltd. . .	96
5058 बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिये अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bonus Act to widen its Scope	97
5059 पठानकोट मिलिट्री फार्म के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger strike by Employees of Pathankot Military Farm . .	97
5060 आयुध कारखानों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारी	Civilian Staff Working in Ordnance Factories	97
5061 भगवती समिति पर व्यय	Expenditure on Bhagwati Committee .	98
5062 लखनऊ के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident of IAF Plane near Lucknow	98
5063 वर्ष 1972-73 में उपभोक्ता उद्योगों में जन-दिवसों की हानि	Man days lost in Consumer Industries in 1972-73.	
5064 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम	Indian Technical and Economic Cooperation programme	99
5065 लखनऊ में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Scooter Factory at Lucknow .	100
5066 मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि का जमा न करना	Non Deposit of ESIS Contribution by Employees	100
5067 भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund	101
5068 चौथी पंचवर्षीय योजना के इस्पात लक्ष्य का पूरा होना	Realisation of Fourth Five Year Plan Steel Target	102
5069 सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में इस्पात पिण्डों तथा तैयार इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ingots and Finished Steel in Public and Private Sector Plants	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5070 इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर को नियंत्रण में लेने के बाद कच्चे लोहे और इस्पात पिण्ड का उत्पादन	Production of Pig Iron and Steel Ingots after take over of IISCO Burnpur	103
5071 वर्ष 1969, 1970 और 1971 में दुर्गापुर और रुरकेला इस्पात संयंत्रों में इस्पात पिण्ड के उत्पादन की मात्रा	Quantity of Steel ingot produced in Durgapur and Rourkela Steel Plants during 1969, 1970 and 1971 . .	104
5072 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 1977-78 तक 14 लाख टन इस्पात के उत्पादन के लिये समेकित योजना	Corporate Plan to produce 14 million tons of Steel in Durgapur by 1977-78	104
5073 पूर्वी क्षेत्र में लघु तथा माध्यमिक दर्जे के उद्योगों को इस्पात और कच्चे लोहे का वितरण	Distribution of Steel and Pig Iron in Eastern Region to Small and Medium Industries . .	104
5074 मूल्य में वृद्धि के कारण औद्योगिक कर्मचारियों की वास्तविक मजूरी कम होना	Erosion of real Wages of Industrial Employees due to price rise . .	105
5075 हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ, दुर्गापुर द्वारा संयंत्र के विस्तार के लिये प्रोडक्ट मिक्स के बारे में प्रस्ताव	Proposal by HSEU Durgapur Regarding Product Mix for Expansion of Plant	105
5076 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की गिराई गई नम्बर एक बैटरी का चालू किया जाना	Commissioning of Demolished No. I Battery of Durgapur Steel Plant .	106
5077 हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन, दुर्गापुर द्वारा इस्पात उद्योग की संयुक्त समझौता वार्ता समिति को ज्ञापन	Memo by Hindustan Steel Employees Union, Durgapur to the Joint Negotiating Committee of Steel Industry .	106
5078 अमरीकी स्कालरों के दौरों पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने का प्रस्ताव	Proposal to relax restrictions on visit of American Scholars . . .	107
5079 रक्षा विभाग में भर्ती	Recruitment in Defence Department .	107
5080 रामगिरि सोना खानों, जिला अनंतपुर आन्ध्र प्रदेश में खनन कार्य	Mining operations at Ramagiri Gold Mines, Anantapur District, Andhra Pradesh	108
5081 वज्रकरुर, आन्ध्र प्रदेश, में हीरों के लिए खुदाई कार्य	Drilling operations for diamonds at Vajrakarur, Andhra Pradesh	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5082 सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त और शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त आफिसरों के वेतन तथा वरीयता के निर्धारण के बारे में आदेश	Instructions re. Pay fixation and Seniority of released emergency commissioned and short service commissioned officers	108
5083 आयातित इस्पात की तुलना में आयातित कोकिंग कोल से इस्पात के उत्पादन की लागत	Comparable cost of production of Steel with imported coking coal and of imported steel . . .	109
5084 'धुंआ रहित ईंधन' के उत्पादन के लिए पार्टियों को दिए गए लाइसेंस	Licences issued to parties for production of Smokeless Fuel . .	109
5085 ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ में अध्ययन के लिये पारपत्र देने की शर्तों में समानता	Uniformity in conditions governing issuance of passports for Study in UK, USA and USSR .	110
5086 कारखाना-स्थल देखने के लिये विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली परिवहन सुविधाएं	Transport facilities to visiting VIPs. for visiting plant sites .	111
5087 खेतड़ी तांबा परियोजना के श्रमिकों तथा अधिकारियों के वेतन बिलों का कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जाना	Work on Pay Bill of workmen and Officers of Khetri copper project done by computer	111
5088 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा चांदमारी खान के कार्य का ठेका दिया जाना	Award of contract of work of Chandmari Mine by Hindustan Copper Ltd.	112
26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting Statement to USQ 660 dated 26-7-73	112
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	112
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	114
चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Cinematograph (Second Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha	115
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—आठवां प्रतिवेदन	Committee on Subordinate Legislation-Eighth Report	115
खान (संशोधन) विधेयक	Mines (Amendment) Bill	115

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य	Report of Joint Committee and Evidence	115
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill .	115
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . .	115
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377	116
(एक) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण किये जाने में अन्याय	Injustice in acquisition of AGRICULTURAL Lands by Bhilai Steel Plant	116
(दो) केरल में गम्भीर खाद्य स्थिति	Serious Food Situation in Kerala .	116
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	117
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचन के लिये डी० ए० वी० पी० द्वारा इश्तहारों के मुद्रित किये जाने के बारे में	Re. Printing of Posters by DAVP for Delhi University Students' Union Election	118
दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Criminal Procedure Bill	119
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में,	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	119
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	119
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony .	119
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma	121
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	122
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	123
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	124
खण्ड 2 से 144	Clauses 2 to 144	126—154
तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य	Statement re. Decision of Government on Report of Third Central Pay Commission	150
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	150

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 30 अगस्त, 1973/8 भाद्र, 1895 (शक)
Thursday, August 30, 1973/Bhadra 8, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत द्वारा आणविक परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस और चीन से अनुरोध

*501. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** + :

श्री बी० मयावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फ्रांस और चीन से आणविक परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय अनुरोध पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कितने देशों ने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर किये हैं ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस और जनवादी गणतंत्र चीन से विशेष रूप से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। फिर भी, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार भारत के प्रतिनिधियों ने उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत के समर्थन को दुहराया है, इस बात पर भी बल दिया है कि संधि के उपबंधों का पूरी तरह पालन होना चाहिए और यह भी कहा है कि आणविक अस्त्र वाले जिन देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं उन्हें अविलम्ब इस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिएं।

(ग) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर अभी तक हस्ताक्षर न करने वाले देश निम्नलिखित हैं :—बारबडोस, कांगो, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, फ्रांस, गिनी, गुआना, होली सी, खमेर गणतंत्र, लिसोथो, मालवीय द्वीप समूह, जनवादी गणतंत्र चीन, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीर राज्य और यमन लोक जनवादी गणतंत्र।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या यह सच है कि चीन और फ्रांस द्वारा आणविक परीक्षण के प्रश्न पर हाल में हुए राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में विचार किया गया था और क्या सम्मेलन में भाग लेने वालों ने आणविक परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये एक नया करार करने का अनुरोध किया था।

श्री स्वर्ण सिंह : ओटावा से जारी की गई एक सामान्य विज्ञप्ति में एक सामान्य अनुरोध किया गया था कि वे सभी देश जिन्होंने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं वे हस्ताक्षर कर दें। सभी परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये नयी वार्ताओं के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। अतः इस अनुमान पर आधारित कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : चीन और फ्रांस द्वारा हाल ही में किये गए परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत इस प्रश्न को गुटनिर्पेक्ष देशों के आगामी सम्मेलन में उठाने का विचार कर रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन और फ्रांस ने परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और उन्हें संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उद्यत करने हेतु विचारधारा बनाने की यदि कोई मंच उपलब्ध है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ है। अल्जीयर्स में होने वाले गुटनिर्पेक्ष देशों के सम्मेलन में इस मामले को उठाने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ राव : क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी है कि दो बड़ी शक्तियों, रूस तथा अमरीका, जिन्होंने हाल ही में 'साल्ट' के विषय में चर्चा की थी, ने फ्रांस तथा चीन दोनों देशों को आणविक परीक्षण बन्द करने की मैत्रीपूर्ण सलाह दी थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न 'साल्ट' के विषय में नहीं है। रूस तथा अमरीका के विचार सर्वविदित हैं क्योंकि मास्को में हुई परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर मूल हस्ताक्षरकर्ता वही देश हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कि अन्य अणुशक्तियां भी इस संधि पर हस्ताक्षर करें, चीन और फ्रांस ने अपने किन्ही निजी कारणोंवश संधि पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा है। अतः इस मामले में मैत्रीपूर्ण परामर्श से कुछ नहीं होगा।

श्री पी० जी० मावलेकर : मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत ने उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष रखा है। ये मंच कौन से हैं और क्या भारत ने निःशस्त्रीकरण पर 18 देशों के जनेवा सम्मेलन में इस बात पर बल दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के वाद-विवादों तथा अन्य वार्ताओं में इस बात को उठाया है। जनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन केवल परीक्षण प्रतिबन्ध संधि से ही सम्बन्धित नहीं है। अन्य मामलों पर भी वार्ता होती हैं और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वहां चीन की सदस्यता नहीं है। अतः जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिये हैं फिर उन्हीं से वार्ता करने में कोई विशेष लाभ नहीं है।

श्री पी० जी० मावलेकर : फ्रांस के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री स्वर्ण सिंह : फ्रांस ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

Shri Shashi Bhushan: May I know the effect of Nuclear tests on India and other Asian Countries ? May I also know whether Australia and Japan have opposed nuclear tests by France and China ? What steps the Government are going to take in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न कि चीन के अणुशक्ति हो जाने का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक व्यापक प्रश्न है जिस पर देश की सर्वांगीण सुरक्षा के संदर्भ में यहां विचार किया गया है। इस संबंध में मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस विषय के संबंध में बार-बार बताया गया है। चीन प्रशान्त महासागर में अपने परीक्षण नहीं करता है। आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड फ्रांस का इसलिय विरोध करते है कि फ्रांस प्रशान्त महासागर में परीक्षण करता है। अतः चीन उस उद्देश्य की सीमा में नहीं आता जिसका अनुसरण आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड प्रशान्त महासागर में अपनी स्थिति को देखते हुए कर रहे हैं।

श्री शशि भूषण : जापान की क्या स्थिति है?

श्री स्वर्ण सिंह : जापान की इस संबंध में बिल्कुल दूसरी ही विचारधारा है। उन्हें पता है कि उनके निकट पड़ौसी देश अणुशक्तियां हैं। रूस और चीन दोनों अणुशक्ति हैं। और इसलिए जापान सरकार ने किसी भी अणुशक्ति से अपनी रक्षा करने के लिये सुरक्षा संधियां की हैं।

Shri Shashi Bhushan: I have asked whether the security of Asia is in danger as a result thereof.

Mr. Speaker: Security of each country is in danger.

श्री समरगुह : क्या यह सच है कि जहां तक आणविक हथियारों के विकास के लिये परीक्षणों का सम्बन्ध है भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर किये जाने वाले परीक्षणों में कोई अन्तर नहीं है? यदि ऐसा है तो क्या चीन और फ्रांस आणविक परीक्षण करके, दो बड़ी शक्तियों--रूस तथा अमरीका के आणविक धमकी से विश्व को टगने के एकाधिकार को तोड़ने के प्रयासों से विश्व की सेवा कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो क्या जैसा कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहा है, सरकार शांतिपूर्ण उपायों के लिए आणविक विस्फोट तथा आणविक हथियारों के विकास के लिए आणविक परीक्षण के भारत के विकल्प को खुला रखेगी, और क्या फ्रांस और चीन के आणुविक परीक्षणों का विरोध न करने में ही भारत का हित है?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में मेरा विचार यह है कि यह एक दृष्टिकोण है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। भाग (ख) के उत्तर में, हमने परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर किये हैं। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हम यह चाहते हैं कि जिन देशों ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं उन्हें भी आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर कर देने चाहिएं। हम यह भी चाहते हैं कि संधि को भूमिगत परीक्षणों के सम्बन्ध में भी लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि पता लगाने की तकनीकी इतनी सही है कि कोई भी दूसरा देश परीक्षण का पता लगा सकता है। अतः इस सन्धि को भूमिगत परीक्षण पर भी लागू किया जाना चाहिए।

श्री समरगुह : मेरे प्रश्न का महत्वपूर्ण भाग यह है ...

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण भाग चाहे जो हो, आपने प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री समरगुह : मंत्री महोदय ने सदन में शान्ति उपायों के लिए आणविक परीक्षण करने तथा भविष्य में आणविक हथियारों के विकास हेतु विकल्प खुला रखने का आश्वासन दिया है। मैंने पूछा है कि क्या फ्रांस और चीन के अणु परीक्षणों का विरोध सदन में दिये गये आश्वासन का विरोध करता है।

श्री स्वर्ण सिंह: मुझे ऐसी किसी आश्वासन की जानकारी नहीं है। यदि कोई ऐसा आश्वासन है तो मैं उसे देखना चाहूंगा।

श्री समर गुह: मंत्री महोदय ने सदन में कई बार ऐसा आश्वासन दिया है .....

अध्यक्ष महोदय: मैंने दूसरी स्वीकृति नहीं दी है। आपको जब भी अवसर दिया जाता है आप उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था, फिर प्रश्न को आगे बढ़ाया। अब आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं? श्री समरगुह का नाम पुकार कर मुझसे सदैव गलती होती है। मंत्री महोदय ने बताया है कि वह मामले को देखेंगे। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस प्रकार सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

नैवल डाकयार्ड, बंबई में गैस निकलने के परिणामस्वरूप मृत श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा

*502. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैवल डाकयार्ड, बम्बई में हाल ही में गैस निकलने के परिणामस्वरूप दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी और अनेक श्रमिक घायल हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो पीड़ितों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मृत व्यक्तियों के परिवारों को यथाशीघ्र मुआवजे की अदायगी का प्रबंध करें।

Shri B. S. Bhaura: May I know whether any enquiry has been held in this regard and if so, the names of the person found responsible?

Shri Vidya Charan Shukla: Sir, the enquiry is in progress. A court of enquiry has been ordered. The names of the persons responsible can only be given after the completion of the enquiry.

Shri B. S. Bhaura: By what time this will be completed, and has the Government have decided the amount of compensation?

Shri Vidya Charan Shukla: It is difficult to give the exact date or time. But I hink the enquiry will be over soon because there is difficulty before them. The next of in of Two persons killed will be given Compensation under the workmen Compenation Act. One of the two is a Engineer Driver who will be given Rs. 8,000 according o the rules of workmen Compensation Act. The remaining unskilled labourers will be given about Rs. 7,000. Besides this we propose to give them certain additional compensations having collected voluntary contributions.

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, the hon. Minister has said one family is to be given Rs. 8,000 and the other Rs. 7,000. The Compensation is given according to the provisions of the Compensation Act but the position is different today. The value of Life is much more precious today. May I know whether the Government propose to increase the rate of Compensation in such circumstances. What is the criteria for fixing this

Compensation. It is given on the basis of wages or qualification or on the number of the dependents of the family of the deceased ? What is the number of injured besides these two persons killed ? What action the Government is going to take to stop such recurrences in future and what amount of Compensation has been paid to the persons injured ?

Shri Vidya Charan Shukla: Nine persons were injured and out of them two have died. The Compensation is given according to provisions of workman's Compensation Act. This falls within the purview of the Ministry of Labour and so far as I know, the Act is to be amended and the Question of amending the very basis of Compensation is under review. This Compensation is not a cost of the life. Life is precious and it can not be compensated in terms of money. The Compensation is given as some sort of assistance to relieve to some extent the family of the deceased from difficulties. The assessment is not made on that basis.

लघु उद्योगों में फौजी अधिकारियों के परीक्षण की योजना

*503. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** + :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय ने लघु उद्योग सेवा संस्थान के सहयोग से विशेष रूप से तैयार किए गए औद्योगिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योगों में फौजी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) इसका लक्ष्य सेवा निवृत्त होने वाले सैनिक अफसरों और सेवा निवृत्त अफसरों को लघु उद्योग चालू करने, कच्चे माल को प्राप्त करने, वित्तीय प्रबंध, विपणन, औद्योगिक तथा श्रम कानून, हिसाब-किताब रखना तथा बिक्री कर आदि में जो प्रारम्भिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है उनका प्रशिक्षण देना है। औद्योगिक उद्यम में यह पाठ्यक्रम 1973-74 के दौरान पांच केन्द्रों पर चलाया जाना है। हर एक केन्द्र में 30 अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिए क्षमता होगी। पाठ्यक्रम की अवधि दो सप्ताह है और प्रशिक्षण स्वैच्छिक व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगा।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : इस योजना के अन्तर्गत किन-किन श्रेणियों के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रशिक्षण कितने समय का होगा और क्या प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी ?

श्री जे० बी० पटनायक : उन सभी श्रेणियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जो प्रशिक्षण के लिए योग्य होंगे । समय 2 सप्ताह है और यह प्रक्रिया निरन्तर चलेगी।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या इस योजना का विस्तार दूसरी श्रेणी के अधिकारियों तथा छोटे स्तर के लोगों के लिए भी किया जायेगा ? क्या मद्रास भी एक प्रशिक्षण केन्द्र होगा।

श्री जे० बी० पटनायक : इस वर्ष के लिए जो केन्द्र हैं उनमें मद्रास नहीं है परन्तु गत वर्ष मद्रास को योजना में सम्मिलित किया गया था और लगभग 30 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

यह सभी अधिकारियों के लिए है। जवानों तथा जूनियर कमीशन्ड आफिसरों के प्रशिक्षण के लिए दूसरी योजनायें हैं।

श्री मोहनराज कलिंगाराया : प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों के चयन की क्या प्रक्रिया है? क्या ये योग्यता के आधार पर लिये जाते हैं?

श्री जे० बी० पटनायक : चयन पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशक द्वारा किया जाता है। जिनके पास प्रशिक्षण के इच्छुक अधिकारियों का रिकार्ड रहता है। उनका चयन तथा प्रशिक्षण स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : इस योजना के अन्तर्गत इस समय कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? दूसरे, प्रशिक्षण के अतिरिक्त क्या लघु उद्योगों में पुनर्वास के लिए इन प्रशिक्षित लोगों को विशेष सुविधायें देने के बारे में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय को कोई आश्वासन दिया है?

श्री जे० बी० पटनायक : जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह योजना निरन्तर जारी रहेगी। इस वर्ष 190 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गत दो वर्षों में 579 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा सुविधा देने का प्रश्न है, यह वही सरकारें निश्चित करेंगी कि उन्हें क्या सुविधाएं देनी चाहिएं। जहां तक भारत सरकार की बात है, केन्द्र प्रशिक्षित लोगों को नागरिक जीवन में उपयुक्त बनाने के लिए सुविधायें दे रही है।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : लघु उद्योग राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्या राज्य सरकारों को भी कोई ऐसी योजना दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आगे चलकर उन्हें लघु उद्योगों में ही राज्य अथवा केन्द्र किसी स्तर पर भी लगा लेने की कोई योजना है?

श्री जे० बी० पटनायक : यह कार्य लघु उद्योग सेवा संस्थान के परामर्श से किया जाता है। हमने राज्य सरकारों के सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें देने के लिए लिखा है?

दादरा और नगर हवेली द्वारा इस्पात की मांग

*504. **श्री रामू भाई पटेल** +:

श्री अरविंद एम० पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दादर और नगर हवेली द्वारा कुल कितनी मात्रा में इस्पात की मांग की गई है;

(ख) कुल कितनी मात्रा की सप्लाई की गई; और

(ग) कम मात्रा में सप्लाई करने के यदि कोई कारण हैं, तो क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Detention of Indian Film Actors at London Airport for their being without "work certificates"

*506. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether 15 Indian film actors, who had recently gone to London to show their programme, were kept under detention at the airport for 26 hours because of their not having "Work Certificate" and were released and given permission to stay there upto the 11th August, 1973 by the British authorities after taking Rs. 20,000 from them; and

(b) If so, the facts of the matter and the reaction of Government thereto ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारतीय फिल्म कलाकारों का एक दल भुगतान के आधार पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए 2 अगस्त, 1973 को लंदन पहुंचा था । उन्हें हवाई अड्डे पर रोक लिया गया क्योंकि ब्रिटिश कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार उनके पास कार्य अनुज्ञा-पत्र नहीं थे। दल के पुरुष सदस्यों को तो हवाई अड्डे के बन्दी केन्द्र में रखा गया और महिला सदस्यों को हवाई अड्डे के समीप होटल में आवास दिया गया। इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों ने मामले पर विचार किया और यह आश्वासन मिलने के बाद कि आयोजक लोग इन कलाकारों को पर्याप्त भुगतान करेंगे, उन्होंने अगले दिन उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे दी । सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि कलाकारों को ब्रिटिश अधिकारियों को 20,000 रुपये देने को मजबूर होना पड़ा।

विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से भारत सरकार यह आशा करती है कि वे उन देशों में लागू प्रवेश नियमों की जानकारी रखें और उनका पालन करें ।

Shri Lalji Bhai : Hon. Minister has stated that they did not possess certificate. May I know whether Government are not responsible for this ? They were kept under detention for 26 hours and they had to pay Rs. 20,000. It is an insult to our Country. May I know the steps taken by the Government in this regard ? What steps were taken by Indian Ambassador in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh: Mr. Speaker, Sir, it is not the responsibility of the Government to direct all the persons going abroad to fulfil all the formalities. It is the duty of the persons, who intend to go abroad, to know as to what type of documents or permits should be kept with them. As hon'ble Member is aware that entry in U.K. is not so easy. Those, who intend to go there in connection with work, are supposed to have Work Permit with them. They must be aware of this procedure and must have gone there with necessary Work Permit.

So far as the difficulties are concerned, our High Commission helped them to a large extent at London airport and the matter was brought to the notice of the Government of that country by them. After making usual queries U. K. Government accorded necessary permission. So far as the payment of Rs. 20,000 is concerned, I have no information in this regard.

Shri Lalji Bhai: May I know from the hon. Minister categorically whether it is not an insult to our Country that they were detained for 26 hours and that they were forced to pay a sum of Rs. 20,000 ? I want to know the steps proposed to be taken in this regard by the Government.

Shri Surendra Pal Singh: There is no question of insult. They were simply detained for some time for interrogation. Since they reached there without having work permit which they should have taken with them.

Shri Atal Bihari Vajpayee: There was no question of work permit when they went there for performance ?

Shri Surendra Pal Singh: According to British law, persons going there on payment basis for working or giving performance are supposed to have work permits. In their statement they said that they had gone there for giving performance on payment basis. Since they went there on payment basis it was necessary to produce a work permit there. It is the law of that Country.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर स्पष्ट नहीं है । जहां तक मुझे ज्ञात है जब कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता है तो उसे इसी देश में बहुत सी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। उसे विदेश जाने का कारण बताना पड़ता है, उसे यह भी बताना पड़ता है कि उसका व्यय कौन वहन करेगा, वह वहां कितने दिन ठहरेगा, आदि आदि। हम सभी को इस प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। अत: हम सभी जानते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने से पूर्व यह सभी जानकारी देनी पड़ती है जिसके बिना उसे पासपोर्ट मिल ही नहीं सकता। भारतीय रिजर्व बैंक का अनापत्ति-पत्र, विदेश मंत्रालय का अनापत्ति-पत्र, पी० फार्म आदि, तो इन व्यक्तियों को बिना यह बताए कैसे विदेश जाने की अनुमति दे दी गई कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बिना उनको उस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से कैसे बच सकती है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्तियों को विदेश जाने आदि के सभी कारण नहीं बताने पड़ते। उसे एक सामान्य फार्म भरना पड़ता है । इन भारतीय नागरिकों के पास ब्रिटेन जाने के लिये वैध पासपोर्ट थे। सामान्यत: उन्हें कम से कम यह ज्ञात होना चाहिये था कि उन्हें भारत स्थित यू०के० हाई कमीशन से वर्क परमिट प्राप्त करने हैं। उन्होंने सोचा था कि चूंकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करने जा रहे हैं अत: हमें कार्य अनुज्ञा-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है : यह गलतफहमी हो गई। ब्रिटिश कानून के अनुसार उन्हें भारत में यू० के० हाई कमीशन से वर्क परमिट प्राप्त करना चाहिये था । भारतीय पास्पोर्ट प्राप्त करने के लिये उन्हें विदेश जाने के कारण नहीं बताने पड़ते। यह आवश्यक नहीं है ? वह पर्यटकों की हैसियत से जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से फार्म में एक विशेष कालम है जिसमें विदेश यात्रा का कारण लिखना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : कालम है जिसमें दौरे का कारण लिखना पड़ता है।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । वास्तव में दो चरण हैं, एक पासपोर्ट जारी करने का और दूसरा सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा उस देश के नियमों का पालन करने का जहां वह जाना चाहता है ? पासपोर्ट जारी किये जाते समय अब हमने नियमों में अधिक ढील दी है जैसे कि संसद् द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार अब प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह अधिकार है कि वह पासपोर्ट प्राप्त कर सके तथा अब हम अबाधरूप से जारी करते हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद वह वीसा के लिये उस देश के दूतावास के पास जाता है और यदि वह उसी देश का नागरिक है तो उसे वीसा की आवश्यकता नहीं है । वह वहां बिना वीसा के जा सकता है ।

यदि हम पास पोर्ट देने में अड़चन डालने का प्रयत्न करते हैं तथा किसी को परमिट प्राप्त करने के लिये विवश करते हैं तो भारी असंतोष पैदा हो जाएगा। वास्तव में व्यक्तियों की सहायता के लिये हमने पास पोर्ट जारी करने सम्बन्धी प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसे देश के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है जहां वह जाना चाहता है तथा उस सभी अपेक्षित दास्तावेज प्राप्त करने होते है। उन्हें यह सब कुछ बताये जाने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं ठीक है हम सब देखलेगे अत: इस प्रकार की स्थिति में सरकार की कोई जिम्मेदारी नही हो सकती।

Shri S. A. Shamim : I want to know why facilities are provided to film stars of Bombay who go abroad even three to four times in a month and mostly for honey-mooning not once but twice and indulge in bungling of foreign exchange to the tune of crores of rupees, whereas an ordinary citizen has to face not one but one thousand difficulties and has to cross many hurdels particularly regarding foreign exchange.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूँ कि फिल्मी कलाकारों ने उनकी यह इच्छा जान ली है कि उन्हें यूरोप न जाकर काश्मीर जाना चाहियें।

श्री एस० ए० शमीम : मैं जानना चाहता था कि उन्हें विदेश जाने की आज्ञा क्यों दी जाती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तीन वर्ष में एक बार या तीन वर्ष बाद विदेश जाना चाहे तो उनपर अन्य अनेक प्रतिबन्ध नहीं लागू होते यदि कोई कलाकार इस अवधि में एक से अधिक बार बाहर गया है तो अवश्य ही उसने रिजर्व बैंक की अनुमति ली होगी।

विश्व बाजार में अलोह धातुओं के मूल्य बढ़ना

*507. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में अलौह धातुओं की सप्लाई कम है और उनके मूल्य बढ़ रहे है ;

(ख) यदि हां, तो अगले कुछ वर्षों में इससे भारत के अलौह धातुओं के आयात पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या देश में इन धातु ओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है।

ईस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ;

(ख) विदेशी मुद्रा संसाधनो के प्रतिबंधों को देखते हुए यह संभव है कि अलौह धातुओं का आयात मात्रा की दृष्टि से उद्दयोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल न हो। आयात में कमी की मात्रा को निश्चित रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आगामी कुछ वर्षों के दौरान कीमतों के रुख के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने देश में विस्तृत समवेषण के लिए एक गहन कार्यक्रम बनाया है जिससे अन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में जस्ता, सीसा, तांबा, निकल के कुछ महत्वपूर्ण पूर्वक्षणी और अन्य राज्यों में इन अयस्को के छोटे भंडार प्रकाश में आए है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हवाई भुभौतिकीय सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप अनेक असंगतियों का पता चला है।

इन अयस्कों/ धातुओं के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है--

I. एलूमिनियम :

गैर -सरकारी क्षेत्र में 195--170 टन की प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में ऐलूमिनियम की वर्तमान घरेलू मांग 230,000 टन आंकी गई है। कतरन समेत, ऐलूमिनियम के वर्तमान उत्पादन से, कुछ सीमा को छोड़कर, घरेलू मांग की पूर्ति हो जाने की संभावना है। पांचवीं योजना के अन्त तक ऐलूमीनियम की मांग 390,000 टन आंकी गई है। दीर्घकालीन आधार पर मांग की पूर्ति की दृष्टि से, चौथी/पांचवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 235,000 टन की सीमा तक (150,000 टन सरकारी क्षेत्र में) अतिरिक्त क्षमता अनुज्ञप्त] की गई है।

II जस्ता :

इस समय देश में 38,000 टन प्रतिवर्ष की अनुज्ञप्त क्षमता वाले दो जस्ता प्रद्रावक है--एक देशी अयस्क पर आधारित देबरी में (उदयपुर के नजदीक) सरकारी क्षेत्र में है और दूसरा आयातित सान्द्रों पर आधारित अलवाए (केरल) में गैर सरकारी क्षेत्र में है। देबरी जस्ता प्रद्रावक का उत्पादन 18,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन प्रतिवर्ष तक करने और बिजाग में आयातित जस्ता सान्द्रों पर आधारित 30,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक नए प्रद्रावक की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है और इनके 1975-76 तक चालू हो जाने की आशा है। अलवाए जस्ता, प्रद्रावक के उत्पादन को 20,000 टन से बढ़ाकर 40,000 टन प्रतिवर्ष तक करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। जिसके 1977-78 तक फलीभूत हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, राजपुरा-दरीबा (राजस्थान) अयस्क निक्षेपों पर आधारित 50,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक जस्ता प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रद्रावक की क्षमता को बढ़ाकर 100,000 टन प्रति वर्ष करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

III. सीसा :

देश का एकमात्र सीसा प्रद्रावक टुण्डु (बिहार) में सरकारी क्षेत्र में है। इस प्रद्रावक के उत्पादन को 6,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिए उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पांचवीं योजना के दौरान 35,000 टन प्रतिवर्ष सीसा प्रद्रावण क्षमता का कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें बिजाग जस्ता प्रद्रावक के अंग के रूप में 10,000 टन प्रतिवर्ष के संयंत्र तथा राजपुरा-दरीबा और अन्य अयस्क निक्षेपों पर आधारित 25,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन के संयंत्र सम्मिलित है। राजपुरा-दरीबा निक्षेपों पर आधारित सीसा प्रद्रावक की क्षमता 40,000/50,000 टन करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। सीसे की लगभग एक तिहाई जरूरतों को कतरन के उत्पादन से पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

IV. तांबा :

(1) हिन्दुतान तांबा लिमिटेड की खेतड़ी परियोजना की अंतिम निर्धारित क्षमता 31,000 टन ताम्र धातु के उत्पादन की होगी। प्रद्रावक के 1974 के आरम्भ में चालू हो जाने की आशा है। 1974-75 तक खेतड़ी से तांबे का उत्पादन लगभग 10,000 टन हो जायगा।

(2) 1973-74 के दौरान खेतड़ी में उत्पादित सान्द्रकी को भारतीय तांबा निगम समूह घटसिला को भेज दिया जाएगा और आयातित सान्द्रों को सम्मिलित कर इस वर्ष धातु का उत्पादन

20,000 टन हो जाने की आशा है । दरीबा, चान्दमारी और रखा प्रावस्था I तांबा परियोनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । पांचवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली नई योजनाओं में रखा प्रावस्था II और मालंजखण्ड सम्मिलित हैं।

V. निकल

मुकिन्द्रा निकल निक्षेप (उड़ीसा) के लिए एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 4800 टन निकल चूर्ण, 200 टन कोबाल्ट चूर्ण और 17,000 टन अमोनियम सल्फेट के उत्पादन का विचार है। निक्षेप के व्यावसायिक समुपयोजन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व प्रायोगिक माप परीक्षण करने के उपाय किए जा रहे हैं।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : खनिजों के संबंध में हमारे आयोजन पर एक धब्बा है कि अलौह धातुओं के आयात पर हमारी निर्भरता , घटने की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अलौह धातुओं के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान मूल्य क्या हैं ? इस समय हम उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं और अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये हमे और कितनी बिदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : औद्योगिक विकास के साथ देश की अलौह धातुओं पर निर्भरता बढ़ना स्वाभाविक ही है और यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में इस ओर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण हमें आयात पर अधिकाधिक निर्भर करना पड़ा है और 1960-1972 में हमें ताम्बे का 475 करोड़ रु० का, सीसे का 75 करोड़ रु० का, जस्ते का 182 करोड़ रु० का, और निकल का 68 करोड़ रु० का अर्थात कुल लगभग 800 करोड़ रुपये का आयात करना पड़ा है।

भविष्य में देश की अलौह-धातुओं की बढ़ती मांग को देखते हुये हमें अपने आन्तरिक संसाधनों के विकास को ओर अधिक ध्यान देना होगा। परन्तु यदि यही हालत रही तो हमें और अधिक आयात करना पड़ेगा और क्योंकि इन धातुओं को कुछ ही देश निर्यात करते हैं, तो हो सकता है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में भी अपने संगठित प्रयासों द्वारा हमारा शोषण करें। अतः, भावी आयात के आंकड़े देना सम्भव नहीं है। हां, गत आंकड़ों के आधार पर हमें इसमें बचत अवश्य करनी चाहिये।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : विवरण में बताया गया है कि खेतड़ी तांबा परियोजना में 1974 में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। परन्तु क्योंकि यहां हमें काफी निराशा हुई है, अतः क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि वहां उत्पादन 1974 में अवश्य आरम्भ हो जायेगा ? यदि कोई कठिनाई है तो उसे दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जाएंगे ?

श्री टी० ए० पाई : इससे पूर्व ताम्बे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में सदस्य महोदय के प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि यह मूल्य एल एम 798 पौंड प्रति मीटरीक टन है, जस्ते का 379.50, पौंड सीसे का 174 पौंड और कलई का 1985 पौंड है।

खेतड़ी के बारे में मुझे आशा है कि 1974 में चालू हो जायगी परन्तु उतनी क्षमता में नहीं जितनी का लक्ष्य है परन्तु हम इस क्षमता को बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश में अग्नि कुंडला के तांबा निक्षेपों के बारे में बंदलामेथु और नालकोंडा में प्रात्योगिक खनन कार्य चल रहा है, जिसके आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके तय किया जायेगा कि वाणिज्यक आधार पर तांबा निकाला जा सकता है या नहीं।

श्री नवल किशोर सिंह: विवरण को देखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि रांची जिले में लोहारडागा के निकट बाक्साइट निकालने और तुंडी में सीसा स्मैल्टर की क्षमता बढ़ाने के लिये, क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

साथ ही हम यह भी बताना चाहते हैं कि बिहार में घाटशिला स्थित भारतीय तांबा निगम के लिये राजस्थान से तांबा न लाना पड़े, इसके लिये बिहार में ताम्बा निकालने और इसी राज्य में ही जस्ता स्मैल्टर लगाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? ये खनिज बिहार में हैं परन्तु इन्हें निकाला नहीं जा रहा है।

श्री टी० ए० पाई : मुझे ज्ञात है कि बिहार सहित देश के भागों में खनिज उपलब्ध हैं परन्तु हम एक साथ पूरे देश में ये कार्य नहीं कर सकते और जहां कहीं भी खनिज कार्य संभव होता है, किया जाता है। इन मामलों में काफी संतोष की आवश्यकता होती है। खनन कार्यों को सफल बनाने के लिये हमें कुछ चीजों का आयात भी करना पड़ता है।

श्री बी० वी० नायक : क्या काली पनबिजली परियोजना में 2000 किलोवाट बिजली पैदा होने के साथ-साथ निकटवर्ती क्षेत्र में बाक्साइट के विशाल भंडार हैं और इसके संबंध में 6 मास पूर्व एक प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्रालय को भेजा गया था। तो क्या मंत्री महोदय इस पर गैर-एकाधिकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : मुझे इस परियोजना के आसपास और रत्नगिरि क्षेत्र में बाक्साइट मिलने की जानकारी है परन्तु शायद किसी ने लाइसेंस नहीं मांगा है।

श्री बी० वी नायक : मैंने आवेदन कर रखा है।

श्री टी० ए० पाई : यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है परन्तु एलुमीनियम बनाने के लिये काफी बिजली की रियायती दरों पर आवश्यकता होती है जिसे राज्य को उपलब्ध करना होगा। जहां तक रत्नगिरि परियोजना का संबंध है सरकारी क्षेत्र में इसे पूरा किया जायेगा परन्तु काली परियोजना के बारे में ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

Shri Madhu Limaye: Khetri Project is very vital in view of Copper shortage and its price. If the hon. Minister is aware that a world renowned Scientist has been removed from the Project because of mismanagement and if so, what action is being taken in this regard ?

Mr. Speaker: How somebody's removal arises therefrom ?

Shri Madhu Limaye: It arises from part (c) of the question. If good scientists are removed, would not the production suffer ?

श्री टी० ए० पाई : पीछे जो कुछ हो चुका है उसके बारे में मैं तो बहुत कम जानता हूं परन्तु अब मेरा ध्यान इसी बात पर होगा कि अब क्या उपाय किए जाए कि विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके ।

खनिजों के लिए हिमाचल प्रदेश का सर्वेक्षण

*509 **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने विभिन्न खनिजों के नियमों का पता लगाने के लिये हिमाचल प्रदेश का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) सिरमूर जिले में बैराइटूस; सिरमूर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में जिप्सम; कांगड़ा मंडी, कुल्लु, शिमला और सिरमूर जिलों में चूना पत्थर और डोलोमाइट; चम्बा, कांगड़ा और मण्डी जिलों में स्लेट और शिमला जिले के ओखाघाट क्षेत्र में रॉक-फास्फेट के निक्षेप पाए गए हैं।

श्री नारयण चन्द पाराशर : उत्तर से लगता है कि हिमाचल प्रदेश इन सभी खनिजों में काफी समृद्ध है। तो क्या मंत्रालय ने औद्योगिक विकास मंत्रालय को इसकी खोज का कोई सुझाव दिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हम देश के विभिन्न भागों में भू-गर्भीय सर्वेक्षण कराते रहते है और 1972-73 में 1300 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण इनमें से एक जिले में किया गया है और इस वर्ष हम कुल्लू, कांगड़ा और मंड़ी जिलों में 3600 किलोमीटर क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, परन्तु इन सभी खनिजों का विकास इनके लिये मूल-भूत ढांचा तैयार करने पर ही किया जा सकता है। किये जा रहे सर्वेक्षणों और सतना में उपलब्ध चूना पत्थर के विश्लेषण के आधार पर वहां एक सिमेंट का कारखाना लगाने का निर्णय किया गया है और रांक-फास्फेट पर आगे का काम जारी है। इस अनुसंधान के परिणाम स्वरूप इन निक्षेपों की मात्रा तथा किस्म का पता लगते ही इनको लाभदायक रूप से निकालने संबंधी निर्णय किया जाएगा। पोटाश के बारे में भी विस्तृत खोज जारी है।

श्री नारयण चन्द पाराशर : कांगड़ा जिले में सतना में परियोजना के निर्णय का स्वागत है परन्तु बिलासपुर क्षेत्र में भी बढ़िया किस्म का रांक-फास्फेट और चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इस बारे में सरकार ने क्या किया है।

श्री टी० ए० पाई : इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे तो उस क्षेत्र के बारे में पता है जिसके बारे में मैं बता चुका हूं।

श्री वीरभद्र सिं : कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में छपा था कि हिमाचल प्रदेश में यूरेनियम के काफी निक्षेप हैं। तो क्या यह समाचार सच है और यदि हां तो उन्हें निकालने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं पता लगाकर बता दूंगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला खानों के विकास के लिए निवेश

*510 **श्री श्रीकिशन मोदी:**

श्री सी० जर्नादनन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयला खानों के विकास, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये कुल कितना पूंजी निवेश किया जाना है; और

(ख) वर्ष 1972-73 में गैर-कोकिंग कोयले का कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष में कितने उत्पादन का अनुमान है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला उद्योग के बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु विचाराधीन प्रारूप-प्रस्तावों के अनुसार पांचवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कुल मिलाकर 1017.13 करोड़ रुपये के निवेश का विचार है।

(ख) प्राप्त नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1972-73 में अकोककारी कोयले का 598.40 लाख टन उत्पादन हुआ और 1973-74 के दौरान 630 लाख टन उत्पादन होने की आशा है।

Shri Shrikishan Modi : May I know whether the requirement of coal in the country will be met if the coal production reaches 630 lakhs tonnes during 1973-74, if not, the extent, by which this production will fall short of the requirement ? May I also know the percentage of relief Government propose to give to the small scale industries facing closure due to non-availability of the coal ? The cost of production of coal comes to Rs. 125-130 while small scale industries have to pay Rs. 300/- per tonne. What is the reason for this ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मुझे मालूम है कि इस समय कोयले के मूल्य बहुत अधिक चल रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में कोयले के न मिलने पर असंतोष भी फैला हुआ है। पिछले दो दिन से हमने इस समस्या का रेलवे के साथ मिलकर समाधान निकाला है न केवल बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों को कोयला उपलब्ध हो बल्कि जनसाधारण को भी कोयला उपलब्ध होता रहे। सोफ्ट कोक का उत्पादन भी इस वर्ष 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन कर दिया जाएगा।

अब तक समस्या यह थी कि सोफ्ट कोक के परिवहन को कम प्राथमिकता दी जाती थी। किन्तु अब रेलवे भी इस कोयले को उतनी ही प्राथमिकता देने के लिये तैयार हो गई है जितनी की अन्य प्रकार के कोयले को दी जाती है। अब सोफ्ट कोक के कम उत्पादन के लिये कोई बहाना नहीं रहेगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उपलब्ध कोयले को विद्यमान साधनों से अधिक से अधिक सप्लाई के लिये प्रयास किया जाएगा और साथ ही उसका उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। हां, परिवहन सुविधाओं और वितरण सुविधाओं में जब तक पूर्ण सुधार नहीं हो जाता तब तक कुछ कठिनाई अवश्य आएगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शीघ्र ही उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Shrikishan Modi: Sir, the Minister of Railways claims that wagons were available, but the coal was not available at collieries for transportation. By the month of July your scheme stood at Rs. 830 crores, which envisaged the modernisation of Coal mines. Now the total outlay of the scheme has been increased to Rs. 1017 crores. I would like to know the salient features of the scheme for which you increased the outlay by Rs. 187 crores. May I know the quantity of Coal whidh can be exported after implementation of this new scheme ?

श्री टी० ए० पाई : यह सच है कि कभी-कभी रेल के माल डिब्बे तो उपलब्ध थे किन्तु कोयला खानों पर इतना कोयला उपलब्ध नहीं था कि एक रेक पूरा हो जाता और कोयला वहां से ढोया जा सकता कोयले या यातायात पर परस्पर दोषारोपण से कोई लाभ नही है। अब हम कोयला उत्पादन और उसके परिवहन की संयुक्त जिम्मेदारी लेते है ताकि कोयले की अन-उलब्धता के लिये कोई बहाना ही न खोजा जा सके।

जहां तक कोयले के निर्यात की संभावना का प्रश्न है, निर्यात की बात सोचने से पूर्व हमें अपना उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाना होगा। पहली आवश्यकता तो इस्पात संयंत्रों की, क्योंकि कोयले की मांग पूरी करनी है। यदि इस्पात संयंत्रों को कोयला न मिला तो उनमें इस्पात का उत्पादन ही बंद हो जाएगा। अब इस्पात संयंत्रों को हार्ड कोक भी दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि पहले देश की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री केवल प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें, लम्बा भाषण नहीं।

श्री टी० ए० पाई : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के लिये 299.29 करोड़ रुपय की राशि है। अन्य खानों के लिये 125 करोड़ रुपये है। एस० सी० सी० के लिये 56.79 करोड़ रुपये, सिंगरेनी के मामले में एल० टी० सी० संयंत्रों के लिये 8 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिये 14 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिये 14 करोड़ की राशि नियत है। एक्सप्लोसिव्स प्लांट के लिये 6.05 करोड़ रुपये की राशि ओर खोज तथा छिद्रण-कार्य के लिये .75 करोड़ रुपये, रेत इकट्ठा करने के लिये 30 करोड़ रुपये, ७टी योजना में अग्रिम कार्यवाही के लिये 150 करोड़ रुपये, रानीगंज मे कैप्टिव पावर स्टेशन के लिये 20 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित है। बी० सी० सी० एल० के विकास के लिये 219 करोड़ रुपये नियत हैं। इस प्रकार सभी कोयला परियोजनाओं के लिये 1017 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पिछले कुछ महिनों मे पश्चिम बंगाल और बिहार में कोकिंग कोयले का उत्पादन घट गया था और बोकारो इस्पात संयंत्र को अपेक्षित मात्रा मे कोयला न मिल सका था जिसके कारण उसमें दोनों बैटरी काम न कर सकी थीं। कोयले के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण थे ?

श्री टी० ए० पाई : दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई न होने के कारण पिछले तीन-चार महिनों से कोकिंग कोयले के उत्पादन में कमी हुई थी। वाशारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। इसी कारण से दुर्गापुर बोकारो तथा कुछ अन्य संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई न किया जा सका था।

श्री दामोदर पांडे : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि विद्यमान खानों के आधुनिकीकरण के लिये और नयी खानें शुरू करने के लिये एक बड़ी राशि रखी गई है। इसका अर्थ यह है कि विदेशों से बड़ी-बड़ी मशीनों का आयात किया जाएगा। इससे खानें श्रम प्रधान से पूंजी प्रधान बन जाएंगी और उनमें उत्पादन घटेगा।

श्री टी० ए० पाई : कोकिंग कोयले के विकास हेतु हमने पोलैंड के विशेषक्ष बुलाए हैं। हम अपेक्षित मशीनें अपने देश के सरकारी क्षेत्र में ही बना सकते हैं। इतने माप से खान-उद्योग पूंजी प्रधान बन जाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता। किन्तु हमें कोयले का उत्पादन वर्तमान उत्पादन से कम-से-कम दुगना शीघ्र से शीघ्र करना होगा। क्योंकि विद्युत्, इस्पात और अन्य परियोजनाओं का विकास कोयले की निरंतर सप्लाई पर निर्भर करता है। हमारे अधिकतर उर्वरक संयंत्रों को भी कोयले को आधार के रूप में अपनाना होगा। इन कोयला खानों का विकास करने के लिय हम जितना भी होगा, प्रयास करेंगे। जहां तक रोजगार की संभावना का प्रश्न है, पांचवीं योजना में लगभग 1½ लाख श्रमिकों को विकास-काय के लिये काम पर लगाना होगा।

कृषि श्रमिकों के संरक्षण के लिये कानून

*510-क. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के कृषि श्रमिकों के संरक्षण के लिये एक व्यापक कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रैड्डी) : यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 सभी कृषि श्रमिकों पर लागू होता है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्ध, जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है, कृषि श्रमिकों के कुछ वर्गों पर लागू होते हैं। बागानों के श्रमिक भी बागान श्रमिक अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पैंशन निधि अधिनियम, 1952 और बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

2. हाल ही में सरकार ने कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति के गठन का निर्णय किया है जो अन्य बातो के साथ-साथ सुरक्षण सम्बन्धी वर्तमान वैधानिक तथा अन्य उपबन्धों, उत्पादनशील रोजगारों तथा कृषि श्रमिकों के कल्याण की पुनरीक्षा करेगी और उपचारक कार्यवाही करने की दृष्टि से, इन उपबन्धों की क्रियान्विति की सीमा का समीक्षात्मक मूल्यांकन करेगी।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : माननेीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, वह मेरी समझ में नहीं आया। खेतीहार मजदूरों की रक्षा के बारे में सांविधिक कानून के बारे में प्रश्न पूछा गया था जबकि मंत्री महोदय ने स्थायी समिति के गठन के बारे में बताया है और वह उपयोगी भी नहीं है। मंत्री महोदय ने जिन उपबन्धों का उल्लेख किया है वे सब पुराने हैं और खेतीहार मजदूरों को आधुनिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार सम्पूर्ण देश के कृषि श्रमिकों तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में लगे सभी श्रेणी के श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता महसूस करती है ?

श्री रघुनाथ रैड्डी : माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति न केवल विधान और संगठनात्मक समस्याओं के बारे में विचार करेगी बल्कि वह इस बात पर भी ध्यान देगी कि इस असंगठित क्षेत्र में संगठन कैसे शुरू किया जाए। इसी कारण से मैंने विद्यमान विधान का उल्लेख किया था और यह बताया था कि इन सभी बातों का अध्ययन करके यह विशेषज्ञ समिति इन मामलों पर किस प्रकार से निर्णय देगी और यदि आवश्यक हुआ तो वह इस विषय पर एक व्यापक विधान भी लायेगी।

एक माननीय सदस्य : समीक्षा।

श्री रघुनाथ रैड्डी : अध्ययन में समीक्षा भी सम्मिलित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

केरल के आरालम स्टेट फार्म में संकट

+

5. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री वयालर रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रमिकों की हड़ताल और फार्म के अधिकारियों द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से इन्कार कर दिये जाने के कारण केरल के आरालम स्टेट फार्म में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या सरकार को केरल के संसद सदस्यों की ओर से फार्म के अधिकारियों द्वारा कुप्रबन्ध के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। तथापि फार्म के प्रबन्धकों ने श्रमिकों से बातचीत करने से इन्कार नहीं किया है। दरअसल श्रमिकों की मांगों पर फार्म के अधिकारी और श्रमिक राज्य श्रम आयुक्त से विचार-विमर्श कर रहे हैं। श्रमिकों को इस बात के लिए राज़ी कर लिया गया था कि वे अपनी चार मांगों में से तीन मांगों के लिए जोर न दें और केवल एक मांग पर ही विचार किया जाना था। इस पर 28 अगस्त 1973 को विचार किया जाना था।

(ख) तथा (ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और कृषि मंत्रालय में कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल का गठन किया है, जोकि फार्म के विकास, वित्तीय प्रबन्ध और भर्ती, चयन, प्रशासनिक कार्यविधि आदि प्रशासनिक मामलों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए फार्म के कार्य की जांच करेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मंत्री महोदय ने इसे श्रमिक विवाद मात्र बताकर स्थिति की गम्भीरता को कम करने का प्रयास किया है। किन्तु आरालम स्टेट फार्म में कुछ गम्भीर मामले हुए थे जिनसे उत्पन्न स्थिति के बारे में हमने प्रश्न पूछा था। रूस के सहयोग से एक स्टेट फार्म स्थापित करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय से लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। किन्तु इस फार्म में बहुत अधिक घाटा होता है। हाल ही में कृषि योग्य बनाई गई हजारों एकड़ भूमि में जुताई-बुवाई नहीं की गई। रूस द्वारा उपहार स्वरूप दी गई मशीनों को काम में नहीं लाया गया और उन्हें धूप-वर्षा में रखा गया जिससे उन्हे जंग लग गया। कुछ मशीनें वहां से पहले ही हटा ली गई हैं। श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध इतने कटु हैं कि वहां पूरे महीने हड़ताल चलती रही। फार्म के निदेशक ने श्रमिकों और श्रम-आयुक्त से इस मामले में बातचीत करने से इन्कार किया।

अध्यक्ष महोदय: इस संदर्भ में आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: राज्य सरकार राजनीतिक दल, श्रमिक संघ और राज्य के सभी लोग वहां के निदेशक के विरुद्ध हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस निदेशक के स्थानान्तरण को तुरन्त आदेश देगी। क्या सरकार उस निदेशक के कार्यों की जांच करायेगी जिसके कारण वहां ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हुई। दूसरे क्या सरकार आरालम फार्म और स्टेट फार्म कारपोरेशन के कार्यों की जांच करेगी और उसका चैयरमैन संसद सदस्य के बजाय किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया जाये। वहां का चैयरमैन एक संसद सदस्य श्री एम० आर० कृष्णन है जो इस फार्म को एक लघु सम्राज्य के रूप में चला रहा है और जो अपने आप को मंत्री से भी बड़ा समझता है।

अध्यक्ष महोदय: आप तो लम्बा भाषण दे रहे हैं। अल्प सूचना प्रश्न इस प्रयोजन के लिए नहीं होता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या सरकार उस कार्यवाही को वापस लेगी जो उसने फार्म के श्रमिकों और कर्मचारियों के विरुद्ध लिया है। क्या सरकार कर्मचारियों के संगठित अधिकार को पुनः उन्हें देगी

और उनके श्रमिक संघ को सामान्य रूप से कार्य करने देगी। क्या सभी स्टेट फार्मों के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की जायेगी, जो फार्मों के संचालन के सम्बन्ध में सलाह देगी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: स्टेट फार्म और राज्य सरकार के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं यह सच है और हम इस पर चिन्तित हैं। मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, श्रम मंत्री सभी ने हमें इस बारे में सूचित किया है। कई राजनीतिक दलों और माननीय सदस्य समेत कई संसद सदस्यों ने मेरे से मुलाकात की थी। इसी कारण से हमने फार्म की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उन पर ध्यान दिया जायेगा और स्थिति सुधारने का प्रयास किया जायेगा। जहां तक निदेशक के तबादले का सम्बन्ध है, उसका स्थानान्तरण किया जा रहा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार अरालम स्टेट फार्म के साथ-साथ स्टेट फार्म कारपोरेशन के कार्यों की जांच करायेगी। क्या सरकार स्टेट फार्मों के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करेगी, जिससे देश के स्टेट फार्मों में नौकरशाही का प्रभाव समाप्त होगा और निदेशक मनमाने ढंग से वहां कार्य न कर सकेंगे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: स्टेट फार्म कारपोरेशन या किसी अन्य निगम की समस्याओं पर विचार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार और मेरे मंत्रालय की है और हम अपनी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं चाहते। माननीय सदस्य का सलाहकार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव लाभदायक है। अब भी कुछ सलाहकार समितियां हैं किन्तु उनका कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम उन्हें सुदृढ़ करने और उन्हे प्रभावपूर्ण बनाने पर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

वयालार रवि: श्री चन्द्रप्पन द्वारा व्यक्त विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। राजकीय फार्म का पांच वर्ष का व्यय 4.79 करोड़ रुपये है। किन्तु उन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान केवल 70.69 लाख रुपये व्यय किये हैं केरल के कृषि मंत्री ने चेयरमैन तथा केन्द्रीय मंत्री को जांच करने तथा एक वर्ष के बाद निदेशक को हटाने के लिए पत्र लिखा है एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि निदेशक ने केरल सरकार के विरुद्ध लेख-याचिका दायर की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजकीय फार्म निगम द्वारा बजट न पास करने से फार्म के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार ने निदेशक को केरल सरकार के विरुद्ध रिट दायर करने की अनुमति दी है और यदि नहीं तो, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जहां तक फार्म के विकास का सम्बन्ध है, भारत सरकार राजकीय फार्म निगम के सहयोग से इस बात का पूरा ध्यान रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न करेगी कि विकास कार्यों में बाधा न पड़े। आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध की जायेगी। सभी तकनीकी कार्यों को निपटाने के बावजूद भी सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि फार्म के विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। रिट याचिका के बारे में हमने भी सुना है। यदि राजकीय फार्म निगम हमें सूचित करता और हमें अपनी सद्भावना का उपयोग करने के लिए अनुरोध करता तो हम समझौता करवा देते। फिर भी हम निदेशक द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाने को अनुचित समझते हैं।

श्री वयालार रवि: मैंने बजट के बारे में तथा केरल सरकार के विरुद्ध निदेशक द्वारा दायर की गई रिट के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में पूछा था।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में हम राजकीय फार्म निगम से जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन मैं कह चुका हूं कि हम औचित्य की दृष्टि से इसे अनुचित मानते हैं। हम इस मामले को राज्य फार्म निगम के साथ उठायेंगे कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। बजट पास करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को इस बात का पता है कि फार्म प्राधिकारी बांध बनाने के प्रत्युपाय करके भू-कटाव रोकने अथवा खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों में धान की खेती करने में असफल रहे हैं। क्या यह सच है कि शायद केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को वहां पहुंचने से रोकने तथा वन के शेष भाग से राज्य सरकार द्वारा पेड़ हटवाने तथा फार्म को सौंपने के कार्य को रोकने के लिए अरालम फार्म में कोई मुख्य सड़क नहीं बनाई गई है। क्या सरकार को इन तथ्यों का पता है और यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक मुझे जानकारी है, मुख्य सड़क राज्य सरकार को बनानी थी तथा अन्दर की पहुंच (एप्रोच) सड़के निगम द्वारा बनाई जानी थी। इस मामले पर हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या यह सच है कि करार के अनुसार राज्य सरकार को कोई सड़क नहीं बनानी है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इसका पता करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मंत्री महोदय को उन दो पत्रों की जानकारी है जो संबंधित निदेशक द्वारा केरल के एक प्रमुख दैनिक 'मलयालम मनोरमा' को 29 जून तथा 1 जुलाई को लिखे गये थे जिनमें निदेशक ने यह धमकी दी थी कि "जब तक दैनिक के संवाददाता निष्पक्ष विचार व्यक्त करना आरम्भ नहीं करते तब तक वह दैनिक को सिद्धान्त रूप में कोई विज्ञापन नहीं देगे" और क्या पत्रों में संसद सदस्यों के प्रति अनादरपूर्ण टिप्पणियां भी की गई थीं निदेशक ने लिखा है कि "संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रशासन पर दबाब डाला जाना आज के विश्व की उचित प्रक्रिया नहीं है"। इस बात पर हम अलग से विचार कर रहे हैं कि क्या इसके विशेषाधिकार का प्रश्न आता है, यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है ? क्या यह बात मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है और यदि हां, तो इस व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्री के० पी० उन्नीकृष्णन सहित, जिन्होंने मुझे उद्धरण दिखाये केरल के बहुत से सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है । हम वास्तव में इस बात से प्रसन्न नहीं हैं कि निगम का एक अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी है, जनविवाद में पड़े। इस के औचित्य तथा अन्य बातों पर विचार किया जायेगा।

श्री सी० एच० मोहमद कोया : क्या भारत सरकार घाटे के कारणों की जांच करेगी जैसा कि संसद सदस्यों द्वारा दिये गये ज्ञापन में कहा गया है, और इस फार्म को लाभ में चलाने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके लिये जो क्षेत्र चुना गया है वह एक अच्छा क्षेत्र है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि इस फार्म से लाभ होगा क्योंकि इस ओर काफी ध्यान दिया गया है। कृषि विकास के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने कहा है कि फार्म घाटे में चल रहा

है। फार्म में गत दो वर्षों से तो कार्य आरम्भ हुआ है। इसके ठीक प्रकार से चलने तथा विकास कार्य के लिये बहुत ही धनराशि व्यय करनी होगी। क्योंकि पौध उगाने के लिये फार्म के विकास की स्थिति बहुत अच्छी है इसलिये यह आशा है कि अगामी समय में इससे अच्छा लाभ होगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या संबद्ध निदेशक के प्रमाणित दुर्व्यवहार तथा कुप्रबन्ध अर्थात राज्य के श्रमविभाग से सहयोग करने से इन्कार करने, केरल उच्च न्यायालय में केरल राज्य सरकार के विरूद्ध परमादेश याचिका दायर करना, जनसम्पर्कों का विघटन, केरल के सभी प्रमुख समाचारपत्रों को धमकी देकर फार्म की स्थिति को उपहासजनक बनाना, तथा उनका इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन कि उन्होंने सभी राजनैतिक दलों सत्ताधारी तथा विपक्ष, सभी संसद सदस्यों, सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के, सभी समाचार पत्रों को जो सरकार का समर्थन करते हैं तथा सरकार विरोधी हैं, उनके विरोध में एक जुट हुये सभी लोगों को बनाये रखने के असंभव कार्य को पूरा किया है, को ध्यान में रखते हुए इस अधिकारी का थोड़े बहुत समय में स्थानान्तरण करने के विचार के अतिरिक्त सरकार का विचार अधिकारी के विरुद्ध और क्या कार्यवाही करने का है? क्या सरकार इस अधिकारी का सम्पूर्ण रिकार्ड देखने के लिये तथा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये तैयार है। जिससे कि यह सार्वजनिक महत्व के स्थान पर नियुक्त अधिकारियों के लिये ऐसे दुर्व्यवहार के विरुद्ध एक कड़ी चेतावनी प्रमाणित हो सके।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम अधिकारी को राज्य सरकार के विरुद्ध परमादेश याचिका दायर करने की कार्यवाही को उचित नहीं मानते। यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार इसके सभी पहलुओं पर विचार करेगी। जहां तक औचित्य का प्रश्न है हम यह समझते हैं कि अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिये था। हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि क्या कार्यवाही की जाये। हमें कानूनी परामर्श लेना पड़ेगा तथा राज्य सरकार से भी बात करनी पड़ेगी। इसके पश्चात् यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह आवश्यक है तो हम कठोर कार्यवाही करने से नहीं सकुचायेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह एक विशिष्ट उदाहरण है जहां एक दुराग्रही अधिकारी सरकारी प्रबंन्ध उपक्रम ठीक नहीं करता है। इस प्रकार की धारणा पैदा की जाती है कि सभी सरकारी उपक्रम इसी प्रकार चलते हैं। यह निगम कब तक इस प्रकार कार्य करता रहेगा और इस हड़ताल से कितनी हानि हुई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने बताया है कि यह फार्म गत वर्ष ही चालू हुआ है और इस समय मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ------

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हड़ताल के बारे में मंत्री महोदय का क्या विचार है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हड़ताल चल रही है और मेरी जानकारी के अनुसार आंशिक रूप से मामला सुलझ गया है। परन्तु जो केन्द्रीय दल गठित किया गया है, उससे कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिये कहा गया है। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कर्मचारीयों के हितों की रक्षा हो तथा कर्मचारियों और प्रबन्ध के बीच सम्बन्धों में सुधार के लिये कदम उठाये जायें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : फार्म को जो हानि हुई है उस विषय में आपका क्या विचार है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके पूरे आंकड़े तैयार करना संभव नहीं है। वहां हड़ताल हुई है। यह जानकारी देना मेरे लिये बहुत कठिन है।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या यह सच है कि राज्य सरकार 6500 एकड़ भूमि एक बार में नहीं अपितु कई बार में दी है और सबसे अधिक 3000 एकड़ भूमि मई 1973 में दी है। क्या यह भी सच है कि जुलाई 1973 तक केवल 3000 एकड़ भूमि में कृषि होती थी। यह बात मैंने इस लिये कही है कि दूसरे सदन के सदस्य श्री कृष्णन फार्म के चेयरमैन हैं और कार्य ठीक नहीं चल रहा है। क्या श्री कृष्णन चेयरमैन के रुप में अपना कार्य भली भांति नहीं देख रहे हैं.....

श्री सी० एम० स्टीफन : ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है ।

श्री के० सूर्यनारायण : श्री चन्द्रप्पन ने ऐसा कहा है। इसी कारण मुझे श्री कृष्णन का नाम लेना पड़ा है। बहुत से अन्य व्यक्ति भी इस फार्म के चेयरमैन रह चुके हैं। यह राष्ट्रीय कृषि फार्म है। इसका समूचे देश से सम्बन्ध है।

मुझे यह जानकारी भी मिली है कि राज्य सरकार भी फार्म के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। क्या यह सच है कि इस निगम ने एक परामर्श दात्री समिति बनाने का निर्णय किया तथा केरल सरकार से अनुरोध किया कि वे समिति के लिये अपने प्रतिनिधि नामांकित करें और इस परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक हो चुकी है जिसमें चेयरमैन ने सभापतित्व किया तथा राज्य के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी लोग खडे होते रहेंगे और हर समय व्यवधान डालते रहेंगे तो सभा की कार्यवाही चलाना कठिन हो जायेगा।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। राज्य सरकार के जोर देने पर उनके बार-बार कहने पर, यह फार्म स्थापित किया गया है। केरल के मुख्य मंत्री तथा सभी राजनैतिक दलों के नेता इस बात के लिये प्रयत्न कर रहें हैं कि फार्म को सफलता मिले। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये जिससे कि गलतफहमी पैदा हों तथा सम्बन्ध बिगड़ें। हमें इस अवसर को उपयुक्त वातावरण बनाने के लिये प्रयुक्त करना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has just now mentioned that the farm started functioning only the last year, it is to be developed. May I know the amount likely to be spent on development works ? What are the Complaints against the Director ? It has been said that the director has also gone to the court to file a writ. May I know the details of the case ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : जहां तक इस फार्म का सम्बन्ध है इसमें अन्ततः 11,000,12,000 एकड़ भूमि में कृषि किये जाने की आशा है। इस फार्म के विकास में 4 और 5 करोड़ रुपये के बीच राशि व्यय आयेगी। जहां तक अधिकारी द्वारा दायर की गई विशिष्ट याचिका का प्रश्न है यह परमादेश याचिका है। जिसमें संरक्षण, पुलिस संरक्षण मांगा गया है परन्तु स्थानीय झगड़ों से सामान्य रुप में संरक्षण की मांग की गई है।

Shri B. P Maurya: Sir, May I know whether there is any state farm which is running in profit ? Secondly, as it is the one of the main reasons of the loss I want to know as to what was the total average of land which was to be covered under this farm and the time by which a particular acreage was handed over ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे :– मेरे पास विभिन्न फार्मों का विवरण है। वास्तव में चालू सत्र में ही 13 अगस्त, 1973 को उत्तर देते हुए मैंने एक विवरण सभा पटल पर रखा था जिसमें विभिन्न फार्मों के हानि तथा लाभ के पृथक-पृथक आंकड़े दिये गये थे। माननीय सदस्य इसे देख सकते हैं।

जहां तक भूमि की बात है, मुझे फार्म निगम से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है (व्यवधान) 9-6-1973 को राज्य फार्म के पास 2,671 हैक्टेयर भूमि थी।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :–मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य फार्मों के लिये परामर्शदात्री समिति है, यद्यपि यह सक्रिया नहीं है। इस विशिष्ट मामले में क्या कोई परामर्शदात्री समिति थी और क्या राज्य सरकार का समिति में प्रतिनिधित्व था और यदि नहीं, तो क्यों? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन समितियों में प्रतिनिधित्व देने के मामले में, अन्य सभी फार्मों में भी, ऐसे अनदेखे दृश्यों को दूर रखने के उद्देश्य से, सरकार इस बात के लिये प्रयत्न करेगी कि राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व मिले।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे :–हां, हम इस के लिये प्रयत्न करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मुख्य स्थिरता सुनिश्चित कराने के लिए कार बनाने वाले कारखानों को मूल्य नियंत्रण रखने के अनुदेश

*505. **श्री वरके जार्ज :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित कराने के लिए कार बनाने वाले कारखानों को मूल्य नियंत्रण रखने के लिए हाल ही में कोई अनुदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई विशेष निदेश जारी नहीं किये गये हैं। फिर भी, दिनांक 2 अगस्त, 1973 को मोटरगाड़ी निर्माता संघ की सामान्य वार्षिक बठक को सम्बोधित करते समय मैंने एक सुझाव दिया था कि मोटरगाड़ी उद्योग को एक मूल्य नीति का पालन करना चाहिये, जो कि स्वतः लागू होने वाली और स्वतः समंजन वाली होनी चाहिये और जिससे बहुत हद तक मूल्यों में स्थिरता आयेगी। उद्योग ने इस सुझाव पर अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया।

देश में इस्पात का उत्पादन करने के लिये अयस्क दिया जाना

*508. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के बजाय देश में स्पात क उत्पादन करने के लिए अयस्क देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके क्या लाभ हैं?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध लोह खनिज तथा मेंगनीज खनिज से है। जहां तक मेंगनीज खनिज का सम्बन्ध है, सरकार की नीति के बारे में लोक सभा में दिनांक 2 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1765 के उत्तर में बता दिया गया है। जहां तक लोह खनिज का सम्बन्ध है निर्यात उन निक्षेपों से किया जाता है जिनका सम्बन्ध किसी भी इस्पात कारखानें से नहीं है, जिनके लोह खनिज की सप्लाई के अपने स्रोत हैं। इसलिए इस समय निर्यात सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के बजाए देश में इस्पात का उत्पादन करने के लिए अयस्क देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) मेंगनीज खनिज के निर्यात पर रोक लगाने का कारण यह है कि उत्पादन के विकास कार्यक्रम की तुलना में मेंगनीज खनिज के भंडार कम हैं। देशीय इस्पात उद्योग को हानि पहुंचा कर कच्चे माल का निर्यात करने के बजाय राष्ट्र का हित इसमें है कि कच्चे माल को देशीय इस्पात उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाये।

ईसाई मिशनरियों द्वारा कोहिमा में सैनिक गैरीजन ग्राउंड का उपयोग

*511. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई मिशनरियों द्वारा कोहिमा (नागालैंड) में सैनिक गैरीज़न ग्राउंड का उपयोग काफी समय से लोगों को बड़े पैमाने पर ईसाई बनाने के लिए किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुमति देने के क्या कारण हैं और या उक्त गैरीजन ग्राउंड का उपयोग अन्य राजनीतिक संगठन भी कर सकते हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कोहिमा (नागालैंड) में कोई सैनिक गैरीजन नहीं है। कोहिमा में ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर ईसाई बनाने के किसी सैनिक भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश में एक इस्पात संयंत्र के लिये व्यहार्यता प्रतिवेदन तैयार करना

*512. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने मेटालरजीकल इंजीनियरिंग कनसलटैन्ट्स (इण्डिया) से अनुरोध किया है कि वह बंगलादेश में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करें; और

(ख) क्या मेटालरजीकल इंजीनियरिंग कनसलटैन्ट्स को समूचे विश्व में इस्पात टैक्नालाजी में हो रही नवीनतम प्रगति के बारे में पूरी जानकारी है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) मेटेलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (जो पहले हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरों

के नाम से प्रसिद्ध थी) को बंगला देश स्टील मिल्स कारपोरेशन से बंगला देश में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, हां।

श्रम कानूनों का पुनर्विलोकन

*513. **श्री रानेन सेन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्तमान श्रम कानूनों के कार्यकरण का कोई पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) श्रम विधान के पुनरीक्षण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। समाजी आर्थिक नीति की बदलती हुई आवश्यकताओं और आर्थिक विकास तथा बढ़ोतरी की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न श्रम कानूनों को समय-समय पर पुनरीक्षित किया गया है और उनमें संशोधन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ स्वतन्त्रता से लेकर श्रम की परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों और वर्तमान विधान तथा श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने सम्बन्धी अन्य उपबन्धों का पुनरीक्षण करने और इस बारे में सिफारिशें करने हेतु, भारत सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग नियुक्त किया। आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस बारे में एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश करने का सरकार का प्रस्ताव है।

पटना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिये कार्यालय की इमारत तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

*514. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय की इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ख) क्या कार्यालय की प्रस्तावित इमारत तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के नक्शे तथा खाके तैयार किये जा रहे हैं और यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की सम्भावना है; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड के चेयरमैन का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) से (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रयासों के फलस्वरूप, बिहार की राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को बिहार क्षेत्र के लिए कार्यालय

भवन के निर्माण हेतु अमरनाथ रोड, पटना पर ½ एकड़ जमीन का एक प्लाट उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्लाट का वास्तविक कब्जा देने के लिए कहा गया है। ज्योंहि प्लाट का कब्जा प्राप्त होगा, कार्यालय भवन के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार करने के लिए उचित वास्तुकार नियुक्त किये जायेंगे। जहां तक कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए भूमि का सम्बन्ध है, मामले की राज्य सरकार से आगे पैरवी की जा रही है।

नेतरानी द्वीप में नौसैनिक अभ्यासों के दौरान शैल के विस्फोट में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा

*515. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ कनारा तट के निकट नेतरानी द्वीप में 6-8 महीने पहले किए गए नौसैनिक अभ्यासों के दौरान शैल के विस्फोट में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और (ख)** ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रश्न 2-2-1973 को विस्फोट के बारे में है। इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई है और मुआवजे की अदायगी के बारे में केन्द्र सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

सैनिक यातायात के लिये नए विमानों का विकास

*516. **श्री धर्मराज अफजलपुरकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने असैनिक यातायात के लिए नए विमानों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : **(क)** जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंधक श्रमिक रखने की प्रथा

*517. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जन-जाति क्षेत्रों में बन्धक श्रमिक रखने की प्रथा अभी भी विद्यमान है;

(ख) इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) जन-जातियों को इस अभिशाप से बचाने के लिए कानून कहां तक सफल रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में बन्धक श्रमिक रखने की प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

(ख) जन-जातिय व्यक्तियों के शोषण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विधान बनाये है और कई कल्याण योजनायें प्रारम्भ की हैं।

(ग) बन्धक श्रमिक रखने की प्रथा समाप्त हो रही है।

स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

*518. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को जुलाई, 1970 में वर्ष 1975/1980 में इस्पात की मांग के अपने पूर्व अनुमानों की अद्यतन करने का काम सौंपा गया था। अगस्त, 1971 में सरकार को प्रस्तुत की गई उनकी रिपोर्ट में बेदाग इस्पात की मांग इस प्रकार दिखाई गई थी :–

वर्ष	टन
1975	50,300
1980	1,17,400

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा लगाये गये अनुमानों की इस्पात और खान मंत्रालय में समीक्षा की गई थी और मांग के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए वह विचार किया गया था कि 1980 के लिए 100,000 टन का अनुमान अधिक यथार्थ रहेगा।

देश में पहले से उपलब्ध क्षमता पर सम्यक ध्यान देते हुए यह फैसला किया गया कि सेलम में लगाय जाने वाले नये इस्पात कारखाने में 70,000 टन बेदाग इस्पात की चादरों तथा स्ट्रिप्स की क्षमता की व्यवस्था की जाए।

इस बीच दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने में बेदाग इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

स्कूटर बनाने के लिये और अधिक कारखाने स्थापित करना

*519. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर बनाने के लिये देश में और अधिक कारखाने लगाये जाऐंगे ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ; और

(ग) स्कूटरों के 1971 के उत्पादन से वर्तमान उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) तथा (ख) मेसर्स गुजरात लघु उद्योग निगम, अहमदाबाद जिन्हें गुरात में स्कूटर बनाने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस पहले ही स्वीकृत किया गया है, और मेसर्स उ० प्र० स्कूटर्स, कानपुर, जिन्हें उत्तर प्रदेश में स्कूटर बनाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस

जारी किया जा रहा है के अलावा निम्नलिखित पार्टियों के, स्कूटर बनाने के लिये अपने उपक्रम स्थापित करने की संभावना है, जिनके आद्यरूप स्कूटरों को गाडी अनुसंधान तथा विकास संस्थान, अहमदनगर द्वारा सड़क पर चलने की योग्यता की स्वीकृति पहले ही मिल गई है :—

नाम	स्थान
1. श्री जगदीश प्रसाद, लखनऊ।	उत्तर प्रदेश
2. मे० राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकाश निगम, जयपुर	राजस्थान

इनके अलावा, पश्चिमी महाराष्ट्र विकाश निगम, पूना भी, जिनको स्कूटर बनाने के लिये मे० बजाज आटो लिमिटेड के साथ सहयोग करार करने की अनुमति दी गई है, स्कूटर बनाने के लिये महाराष्ट्र में शायद एक नया एकक स्थापित करेगा।

सरकारी क्षेत्र में मे० स्कूटर इण्डिया लिमिटेड के अगस्त, 1974 से लखनऊ में उत्पादन शुरू करने की संभावना है निम्नलिखित राज्य औद्योगिक विकास निगम के भी जिनका लैम्ब्रेटा स्कूटरों का निर्माण करने के लिये मे० स्कूटर इण्डिया लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग प्रबंध करने का विचार है, स्कूटरों का निर्माण करने के लिये नये एकक स्थापित करने की संभावना है :—

	नाम	स्थान
1	मे० आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकाश निगम, हैदराबाद।	आंध्र प्रदेश
2	मे० मैसूर राज्य औद्योगिक विनियोजन तथा विकास निगम, बंगलोर।	मैसूर
3	मे० पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़।	पंजाब
4	मे० प० बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम, कलकत्ता।	प० बंगाल

(ग) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में स्कूटरों का निम्नलिखित उत्पादन हुआ है :—

1971	67,212 संख्या
1972	63,834 संख्या
1973	46,994 संख्या

(जुलाई, 1973 तक)

बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

*520. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन को पूरा करने में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) बोनस पुनरीक्षा समिति के विचार-विमर्श में उसके एक सदस्य श्री सतीश लूम्बा की दिल्ली हवाई अड्डे के समीप विमान दुर्घटना में 31 मई, 1973 को हुई दुखद मृत्यु के कारण थोड़ा गतिरोध आया है।

'नन-स्मग्लिन' के मामले में ग्रन्तंग्रस्त तथा दासीयों के रूप में बेची गयी भारतीय नर्सों की संख्या

4924. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गत तीन वर्षों के दौरान जो नर्से भारत से बाहर गयीं हैं उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जो कथित 'नन-स्मग्लिग' के मामले में अर्न्तग्रस्त थी ; और

(ख) यदि हां तो उन नर्सों की संख्या कितनी है जो 'नन-स्मग्लिग' के मामले में अर्न्तग्रस्त हैं और अरब देशों में दासीग्रों के रूप में बेची गयीं हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। यह सही नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में जो नर्से भारत से बाहर गयीं थीं, वे तथाकथित 'नन-स्मग्लिग' में शामिल थीं।

सरकार इस मामले पर लगातार निगाह रखे हुये है और उसने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे भारतीय स्त्रियों के अवैध रुख से निष्क्रमण को रोकने को दृष्टि से सभी संभव निष्क्रमण स्थलों पर कठोर सुरक्षा प्रबंध रखें।

सरकार को यह मालूम नहीं है कि कोई भारतीय लड़कियां अरब देशों में दासीयों के रूप में बेची जा रही हैं।

ग्रल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मैग्नेसाइट संयंत्र का निर्माण कार्य निर्धारित समय के ग्रनुसार न होना

4925. **श्रीमति सावित्री श्याम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मैग्नेसाइट संयंत्र के निर्माण कार्य की प्रगति निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संयंत्र की प्रगति को तेज करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां। बिजली की कमी के कारण, जो अब स्वीकृत की जा रही है, परियोजना की प्रगति रुक गयी थी। मैग्नेसाइट संयंत्र उत्पादन के लिये लगभग तैयार है।

उड़ीसा में गोला बारुद के कारखाने की स्थापना

4926. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोलाबारूद के कारखाने की स्थापना की जाएगी ;

(ख) क्या इसकी स्थापना हीराकुण्ड में की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय **(रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : क) से (ग) उड़ीसा में रक्षा सेक्टर में गोला-बारूद के कारखाने की स्थापना के लिये इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों में मैत्री संबंध बनाने के लिये संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव

4927. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मैत्री संबंध बनाने के लिये संसद सदस्यों के कुछ प्रातानाध मंडल बहुत से देशों में भेजने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विदेशों से मैत्री संबंध बनाने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) [विदेशों में संसद सदस्यों के शिष्ट मंडल भेजने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंध सुदृढ़ करने के लिये सरकार निरन्तर [प्रयत्नशील] है। यह कार्य दैनिक संबंधों एवं विदेश [स्थित] हमारे मिशनों के प्रयत्न, सरकारों के बीच समुचित स्तर पर विचार-विमर्श और विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के माध्यम से होता है। हर देश के साथ समारे संबंधों की बराबर समीक्षा की जाती है और किसी स्थिति विशेष में अपना हित-संवर्धन करने के लिये और आपसी समझ-बूझ बढ़ाने के लिये क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिये इसका निर्णय उस समय जैसी परिस्थितियां हों उनके आधार पर किया जाता है।

Expenditure on Amar Jawan Jyoti at India Gate, New Delhi

4928. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on 'Amar Jawan Jyoti' at India Gate, New Delhi during the financial year 1972-73 ; and

(b) the expenditure likely to be incurred thereon during the financial year, 1973-74 ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Rs. 89,124.

(b) Rs. 78,330.

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के जुनियर डिवीजन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और नियमित सेना के जुनयर कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की स्थिति

4929. **श्री आर वी० बडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्र सेना दल के जूनियर डिवीजन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की तुलना में नियमित सेना के जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को परेड की ड्यूटी के समय राष्ट्रीय छात्र सेना दल के जूनियर और सीनियर डिवीजन के कमीशन प्राप्त अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कमीशन-प्राप्त अधिकरियों और नियमित सेना के जूनियर कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के बीच यह भेद-भाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और(ख) प्राधिकृत परेडों तथा वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में जब भाग लेते हैं तो जूनियर डिवीजन एन० सी० सी० अफसरों को सेना में जब वे वर्दी में होते हैं, जूनियर कमीशन अफसरों के बराबर तथा सीनियर डिवीजन एन० सी० सी० अफसरों को सेना में जूनियर कमीशन अफसरों से वरिष्ठ समझा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर कमीशंड एन० सी० सी० आफिसरों की प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति

4930. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर डिवीजन कमीशंड आफीसर एन०सी०सी० यूनिटों में प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिये आवेदन करने हेतु पात्र समझे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों के लिये आवेदन पत्र देते समय प्रार्थियों को क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जूनियर डिवीजन कमीशंड पुरुष एन०सी०सी० अफसर एन०सी०सी० यूनिटों में प्रशासनिक अधिकारियों के पदों के लिये आवेदन करने के पात्र नहीं हैं, जबकि जूनियर विंग एन०सी०सी० कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी उसके लिये आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) जूनियर डिवीजन कमीशन प्राप्त एन०सी०सी० महिला अधिकारी को निम्नांकित शर्तें पूरी करनी चाहियें :—

(1) अभ्यर्थी को स्नातक होना चाहिये ;

(2) उसे जूनियर विंग नेशनल कैडिट कोर में न्यूनतम दो वर्षों की अवधि के लिये कार्य किये हुये होना चाहिये ;

(3) उसे सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार नेशनल कैडिट कोर में सेवा करने के लिये उपयुक्त होना चाहिये ;

(4) अभ्यावेदन की तारीख को उसे 22 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

अर्द्धसैनिक बल (पैरा मिलिट्री फोर्स) में भूतपूर्व सैनिक की भर्ती

4931. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सी० आई० एस० एफ०, आर० एस० पी० एफ० जैसे अर्द्ध सैनिक बल में भूतपूर्व सनिकों को भर्ती करने को सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अर्द्ध सैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिये मुख्य शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन्। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सी० आई० एस० एफ० और आर० पी० एस० एफ० जैसे० पेरा-सैनिक सेनाओं में भर्ती केन्द्रीय

रिजर्व पुलिस अधिनियम 1955, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, सी० आई० एस० एफ० अधिनियम 1968 तथा आर० पी० एफ० अधिनियम 1957 के अधीन बने नियमों के अधीन की जाती है।

ऐसी भर्ती के लिये कोई विशेष शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। कोई भी भूतपूर्व सैनिक जो अपेक्षित अर्हताएं रखता है भर्ती का पात्र है।

अपंग होने के कारण सेवा मुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को पुनः नियुक्त किया जाना

4932. **श्री आर० वी० बड़े:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्योग्यता के आधार पर सेवा मुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को अब स्वास्थ्य मान पूरे करने पर उसी कोर में फिर से लिया जा सकता है;

(ख) क्या निर्योग्यता के आधार पर सेवा मुक्त किये गए ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देने की कोई सरकार की योजना है ; और

(ग) क्या ऐसे निर्योग्य भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए ऐसी कोई योजना विचाराधीन है जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) (1) वायुसेना तथा नौसेना इन दो सेवाओं में, विकलांगता के आधार पर सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों की पुनः भर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) सेना विकलांगता के आधार पर सेना से सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को पुनः भर्ती के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते वह दोबारा बोर्ड हो जाने के पश्चात चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा योग्य घोषित कर दिया गया हो और वह पुनः भर्ती के समय भर्ती के लिए अन्य सभी शर्तें भी पूरी करता हो।

(ख) विकलांगता पेंशन उन मामलों में दी जाती है जहां अशकतीय विकलांगता अथवा उसकी वृद्धि का उत्तरदायित्व सेवा पर हो और उसका मूल्यांकन 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक किया गया हो। अशक्तता के लिए पेंशन/उपदान वहां दी जाती है जहां विकलांगता का उत्तरदायित्व यद्यपि सेवा पर ही हो परन्तु वह 20 प्रतिशत से कम हो अथवा उसका सैनिक सेवा से सम्बन्ध न हो। अशक्तता के लिए पेंशन उन मामलों दी जाती है जहां किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष अथवा अधिक की सेवा कर ली हो और अशक्तता उपदान वहां दिया जाता है जहां की गई सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम हो।

(ग) जिन भूतपूर्व सैनिकों को सेना में सेवा द्वारा विकलांगता/उसमें वृद्धि के आधार पर सेवामुक्त किय जाता है, वे अपनी विकलांगता के लिए सैनिक स्रोतों से पूरे उपचार के पात्र हैं।

विद्युत भट्टी इस्पात संयंत्र के लिये सरकार से अनुरोध

4933, **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत् भट्टी इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 16 मार्च, 1972 को मेसर्स स्टील कम्प्लेक्स लिमिटेड

फिरोके (केरल) को एक लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस कारखाने तथा मशीनरी के अधिकतम उपयोग के आधार पर 50,000 टन साधारण, मीडियम कार्बन तथा स्प्रिंग स्टील बिलेट (वार्षिक क्षमता) के उत्पादन के लिए फिरोके में विद्युत भट्टी तथा लगातार ढलाई कारखाना लगाने के लिए है। यह संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है जिसे केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा मुख्य संस्थापक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

केरल में कृषि उद्योग कारखाने की स्थापना

4934. **श्री वयालार रवि**: क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कृषि-उद्योग निगम ने राज्य में अपने ट्रैक्टर कारखाने के विकास तथा कृषि उद्योग का एक नया कारखाना स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है तथा कितनी राशि देने का विचार है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) केरल कृषि-उद्योग निगम ने ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को "शान्ति क्षेत्रों" में निःशुल्क राशन

4935. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच करने के लिए सरकार की कोई समिति है कि सैना के कमीशन प्राप्त अधिकारी जब मैस में रहते हैं तब उन्हें अपने वेतन से अधिक व्यय करना पड़ता है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार अन्य जे० सी० ओज की तरह शान्ति क्षेत्र में नियुक्त उक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों को निःशुल्क राशन प्रदान करना उपयुक्त समझती है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं श्रीमान्। यह तथ्य नहीं है कि कमीशंड अफसरों को अपने खाने के खर्चों पर अपने वेतन से अधिक व्यय करना पड़ता है और इसलिए इस बारे में किसी समिति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों में वैस्पा (बजाज) तथा लम्ब्रैटा स्कूटरों का उत्पादन

4936. **श्री अम्बेश** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में वैस्पा (बजाज) तथा लम्ब्रैटा स्कूटरों का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन स्कूटरों के आवेदन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष में विभिन्न श्रेणियों को, श्रेणीवार, वैस्पा और लम्ब्रैटा के, उत्पादन का अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत आवेदन किया गया?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क)

स्कूटर की किस्म	उत्पादन की संख्या		
	1970-71	1971-72	1972-73
वेस्पा (बजाज)	31,580	40,833	43,731
लम्ब्रैटा	25,193	24,691	20,358

(ख) देश में प्रमिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं को चालू तिमाही से प्रत्येक मेक (बजाज तथा लम्ब्रैटा) के 20 स्कूटरों का नियतन करने का निश्चय किया गया है।

(ग) वर्ष 1973-74 की अवधि में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग निर्धारित वेस्पा तथा लम्ब्रैटा के उत्पादन का प्रतिशत नीचे दिया गया है :–

क्रम सं०	श्रेणी	बजाज	लम्ब्रैटा
1	केन्द्रीय सरकार		
	(क) सरकारी कर्मचारी	19.00	23.00
	(ख) सरकारी उपयोग	3.00	1.30
2	राज्य सरकार	9.60	11.00
3	रक्षा	2.00	6.00
4	विदेशी मुद्रा	2.40	.40
5	बैंकिंग विभाग	1.44	2.00
6	संसदीय	.24	.26
7	जीवन बीमा निगम	.44	.96
8	प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो	.04	.09
9	सीमा सुरक्षा दल	.28	.26
10	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	.08	.02
11	सेंट्रल रिजर्व पुलिस	.08	.01
12	दिल्ली परिवहन निगम	.02	.005
13	सामाजिक कार्यकर्ता	.04	.01
		38.66	45.315

घड़ियां बनाने के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के साथ सहयोग का प्रस्ताव करने वाले राज्य

4937. **श्री शशि भूषण :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घड़ियां बनाने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स यूनिटों के साथ कितने तथा किन-किन राज्यों ने सहयोग की पेशकश की है; और

(ख) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मणिपुर ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से सहयोग के लिए कहा है। सरकार उसके लिए सहमत है और एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

न्यूधर्मबन्ध कोयला खान में कोकसारी कोयले के निक्षेप

4938. **श्री बनमाली पटनायक:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री इंडियन वर्कर में 'न्यूधर्मबन्द फाइन्ड' के समाचार के बारे में 30 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2428 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीम 13 और 15 (नीचे) में कितना कोकिंग कोयला है और उसमें से कितनी मात्रा में कोयला निकाला जा सकता है;

(ख) 1971-72 में सी० एफ० आर० आई० और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की प्रयोगशालाओं में ली गई रिपोर्टों के अनुसार इसमें कोक का तत्व कितना है; और

(ग) उक्त सीमा के कोयले को क्या ग्रेड दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सीम 13 और 15 (नीचे) में कोकिंग कोयले के भंडार तथा इन में से जितनी मात्रा में कोयला निकाला जा सकता है, निम्नलिखित है :—

सीम	स्तम्भों में कोयले की मात्रा	जहां खुदाई नहीं हुई हैं वहां कोयले का भंडार	जितनी मात्रा में कोयला निकाला जा सकता है।
	टन	टन	टन
13	5,52,000	56,48,000	32,10,000
15 (नीचे)	9,50,000	—	3,25,000

अनुमान लगाया गया गया है कि भौमिकीय विक्षेपों के कारण स्तम्भों में से 70% और जहां खुदाई नहीं हुई है वहां से 50 प्रतिशत मात्रा में कोयला निकाला जा सकता है।

(ख) और (ग) इन समय सोन 13 और 15 में काम नहीं हो रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अथवा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा सीम 13 और 15 का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। इन सीमों में कोयले के ग्रेड नीचे दिये गये हैं :—

सीम 13 ग्रेड 'एफ'

सीम 15 ग्रेड 'सी,

रक्षा मंत्रालय में नीलामकर्त्ताओं की नियुक्ति

4939. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में नीलाम कर्त्ताओं की नियुक्ति के बारे में 12 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4475 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जे० आर० बशेशर नाथ को रक्षा मंत्रालय के बचे सामान की बिक्री के लिए उक्त मंत्रालय के दो पैनलों में कार्य करने के लिए निलामकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह फर्म पूर्ति तथा निपटान निदेशालय की स्वीकृत तालिका में है;

(ग) यदि नहीं, तो सुस्थापित प्रथा से हटने के क्या कारण हैं जैसा कि उक्त उल्लिखित अतारांकित प्रश्न में बताया गया है; और

(घ) क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है, कि 1971 में कदाचारों के कारण इस फर्म को पूर्ति तथा निपटान निदेशालय की स्वीकृत तालिका से निकाल दिया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मैसर्स जे० आर० बशेशर नाथ तथा दो अन्य फर्मों को एक टेंडर के उत्तर में की गई पेशकश के आधार पर कानपुर पैनल 1 और कानपुर पैनल 3 में कार्य करने के लिए नीलामकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए चुना गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्।

(ग) रक्षा भंडारों के निपटान से संबधित बढ़ते हुए काम के कारण फरवरी 1973 में कानपुर क्षेत्र में रक्षा पैनलों में अतिरिक्त नीलामकर्त्ताओं की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई थी। प्रतिस्पर्धा के दायरे को बढ़ाने के विचार से पूछताछ को केवल पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पैनल के नीलामकर्त्ताओं तक ही सीमित न रखने का निर्णय किया गया था। तदनुसार रक्षा मंत्रालय, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और उत्तरी रेलवे के पैनल पर की 16 फर्मों को सीमित टेंडर भेजे गये थे, जो कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले प्रस्तावित क्षेत्र में नीलाम द्वारा बड़ी मात्रा में फालतू भंडार का निपटान करती हैं। मैसर्स जे० आर० बशेशर नाथ से भी, जो उत्तरी रेलवे के स्वीकृत पैनल पर हैं टंडर के लिए पूछताछ की गई थी। उत्तरी रेलवे के पैनल पर होने पर भी फर्म को चुनने से पूर्व उसके कार्य निष्पादन के बारे में जांच की गई और उसे संतोषप्रद पाया गया था।

(घ) इस संबंध में पूर्ति मंत्रालय को भेजे गये एक सन्दर्भ के उत्तर से मालूम हुआ है कि फर्म को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के नीलामकर्त्ताओं के पैनल से नहीं हटाया गया था, लेकिन 1971 में पुनरीक्षण के समय संविदा को बढ़ाया नहीं गया था। इसके साथ ही फर्म के साथ और आगे किये जाने वाले व्यापार पर रोक नहीं लगाई गयी थी।

हैदराबाद नगर में सिंगरेनी कोयले की कमी

4940. **श्री पो० गंगारेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में सिंगरैनी में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसमें से कितना हैदराबाद नगर, आंध्र प्रदेश भेजा गया और कितना राज्य से बाहर बेचा गया ;

(ख) इन दिनों हैदराबाद नगर में सिंगरेनी कोयले की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हैदराबाद में सिंगरेनी कोयला इन दिनों 150 रुपये प्रति टन बिक रहा है जबकि उसका कम्पनी मूल्य 90 रुपये प्रति टन अथवा इसके लगभग है; और

(घ) हैदराबाद नगर में कोयले की सप्लाई बढ़ाने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी से कोयला का उत्पादन और उपभोक्ताओं को प्रेषण निम्न प्रकार से रहा है :-

वर्ष	उत्पादन	प्रेषण
1970-71	40.48 लाख टन	41.24 लाख टन
1971-72 . . .	47.07 लाख टन	47.54 लाख टन
1972-73	50.38 लाख टन	52.16 लाख टन

आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद दोनों नगरों को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रेषण निम्न प्रकार था :-

वर्ष	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद और सिकन्दराबाद
1970-71	18.17 लाख टन	1.20 लाख टन
1971-72	23.69 लाख टन	1.25 लाख टन
1972-73	23.46 लाख टन	1.30 लाख टन

कम्पनी द्वारा उत्पादित बेचा हुआ कोयला, राज्य के बाहर भेजा गया, जिसमें रेलों को की गई पूर्ति भी सम्मिलित थी।

(ख) और (ग) सिंगरैनी कोयले की कमी का कारण यह है कि पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। राउन्ड कोयले के उपभोक्ताओं को अप्रैल, 1973 से कोयला नहीं मिला है क्योंकि कम्पनी द्वारा उत्पादित राउन्ड कोयला रेलवे के काम आ रहा है।

रेल द्वारा हैदराबाद को प्रेषित सिंगरैनी कोयले का वितरण मूल्य, जिसमें मूल्य, भाड़ा, उपकर और अन्य प्रभार सम्मिलित है, 80.33 रु० प्रति टन है, जबकि सड़क द्वारा प्रेषित कोयले का वर्तमान

वितरण मूल्य, जिसमें, कीमत, सड़क भाड़ा तथा अन्य शुल्क सम्मिलित है। 109.22 रुपए प्रति टन है। यह सही नहीं है कि हैदराबाद में कोयला 150 रु० प्रति टन के भाव बेचा जा रहा है। रेल द्वारा प्राप्त मात्रा के हिसाब से मूल्य 110 रु० और 120 रु० प्रति टन के बीच घट बढ़ सकता है।

(ग) हैदराबाद शहर को रेल द्वारा कोयले की पूर्ति बढ़ाने के लिए रेलवे से, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सीमा तक, ग्राउन्ड कोयला रखने तथा शेष कोयले को व्यापार और उद्योग के लिए छोड़ देने का अनुरोध किया गया है। रेलवे द्वारा बंगाल/बिहार तथा बाह्य कोयला क्षेत्रों से कोयला प्राप्त करने और व्यापार तथा उद्योग एवं हैदराबाद शहर के लिए प्रतिमास कुछ रेल छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि कोयले पर नियंत्रण नहीं है फिर भी जिन कीमतों पर कोयला बेचा जाता है, उनकी जांच की जाती है तथा अत्यधिक मूल्य पर कोयला बेचने वाले व्यक्ति को अगली बार कोयले की पूर्ति नहीं की जाती है।

सिंगरेनी कोयला खानों में प्रति टन कोयला निकालने पर आने वाली लागत

4941. **श्री पो० गंगा रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सिंगरेनी कोयला खानों में प्रति टन कोयला निकालने पर कितनी लागत आती रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सिंगरेनी कोयला खानों में कितने श्रमिक नियुक्त थे और उपरोक्त अवधि में प्रत्येक श्रमिक ने प्रति दिन औसतन कितना कोयला निकाला;

(ग) पिछले तीन वर्षों में सिंगरेनी में भिन्न-भिन्न ग्रेड के कोयले पर प्रति टन कुल कितनी उत्पादन लागत आयी; और

(घ) तीन वर्षों की इसी अवधि में बंगाल कोयला कम्पनी द्वारा निकाले गये कोयले के आंकड़ों की तुलना में उपरोक्त आंकड़े कम हैं या अधिक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पिछले तीन वर्षों में सिंगरैनी कोयला खानों में से कोयला निकालने की लागत निम्नलिखित है :–

1970-71	42.25 रु० प्रति टन
1971-72	39.56 रु० प्रति टन
1972-73	41.49 रु० प्रति टन

(ख) पिछले तीन वर्षों में काम पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या और प्रति श्रमिक औसत दैनिक कोयला उत्पादन निम्नलिखित है :–

वर्ष	श्रमिक	दैनिक उत्पादन
1970-71	31425	0.56 टन
1971-72	32720	0.62 टन
1972-73	35313	0.62 टन

(ग) मिगरैनी कोयला का कोई ग्रेड नहीं है। निकाले गये कोयले की जांच कर उसे आकार के हिसाब से बेचा जाता है। सभी आकार के कोयले की उत्पादन लागत वही है जो उपर्युक्त (क) में दी गई है।

(घ) तुलना संभव नहीं है क्योंकि बंगाल कोयला कम्पनी, खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व, गैर-सरकारी क्षेत्र में थी और इन खानों के सम्बन्ध में प्रति टन उत्पादन लागत के आकड़े भी उपलब्ध नहीं है।

कम्बोडिया में फिर से शान्ति तथा सामान्य स्थिति लाने के सम्बन्ध में भारतीय नीति

4952. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर कम्बोडिया में फिर से शांति तथा सामान्य स्थिति लाने के समर्थन में सरकारी नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) कम्बोडिया जिस संकट से गुजर रहा है क्या सरकार ने उसके लिए सहानुभूति और दुःख प्रकट किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कम्बोडिया के बारे में सरकार की नीति की मुख्य विशेषता यह रही है कि हम उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते और हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कम्बोडिया के प्रश्न पर कोई भी अन्तिम निर्णय बगैर किसी बाह्य हस्तक्षेप के कम्बोडिया की जनता द्वारा ही लिया जाना चाहिए।

(ख) जी, हां।

देश के सैनिक स्कूलों में दाखिला

4943. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक स्कूलों में गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले के लिए निर्धारित कसौटी क्या हैं;

(ख) दोनों मामलों में वजीफों के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि कोई पृथक स्टैण्डर्ड अपनाया जा रहा है तो उसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) सभी वर्गों के लड़कों को हर वर्ष होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में प्राप्त वरिष्ठता के अनुसार सैनिक स्कूलों में दाखिला किया जाता है। अपवाद केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में किया जाता है जिन्हें निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त कर लेने पर दाखिल किया जाता है।

(ख) रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की योजनाओं के अधीन सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं (बाद वाली योजना अब संबंधित संघ शासित क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हाल ही में राज्य का दर्जा प्राप्त किया है)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5563/73]**

(ग) रक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति योजना सेना के सेवारत तथा सेवानिवृत जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अन्य रैंकों और नौसेना तथा वायुसेना के समकक्ष रैंकों के लड़कों के लिए हैं।

अन्य योजना जो पहले गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जाती थी उन लड़कों पर लागू होती है जो संघ शसित क्षेत्रों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उस योजना का रक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति योजना के बराबर लाने के विचार से संशोधन का प्रश्न उन संघ शासित क्षेत्रों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों/राज्यों जो इसे अब चला रहे हैं के विचाराधीन है।

अमृत बाजार पत्रिका और जुगान्तर समाचार पत्र समूह को उनके प्रबन्धकों द्वारा प्रथम श्रेणी के समाचार पत्र घोषित न किया जाना

4944. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृत बाजार पत्रिका और जुगान्तर समाचार पत्र समह कलकत्ता को उनके प्रबन्धकों ने प्रथम श्रेणी का समाचार पत्र अभी तक घोषित नहीं किया है जबकि उनको सरकार के नियम और निदेशों के अनुसार ऐसा कर देना चाहिए था;

(ख) क्या वहां श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि प्रबन्धक अधिनियम के नियमों और उपबन्धों का पालन करे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

विदेशी मशीनों द्वारा भारत में शाखाएं खोले जाने के लिये अनुमति

4945. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मिशन सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना देश के किसी भी भाग में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं और यदि नहीं तो उन्हें किस प्रकार की मंजूरी या अनुमति लेनी होती है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में स्वीडन के मिशन की कोई शाखा है; और

(ग) यदि हां, तो उन संठगनों के नाम क्या हैं; जिलों अथवा सब डिवीजनों आदि में शाखा कार्यालय कहां-कहा पर स्थित हैं और मिशन के ऐसे संगठनों अथवा शाखाओं द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है और क्या जिलों अथवा सब-डिवीजनों में कोई शाखा खोलने से पूर्व अनुमति ली गई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) देश के किसी भी भाग में कोंसली केन्द्र/व्यापार प्रतिनिधि केन्द्र, कमीशन और सहायक/उप हाई कमीशन खोलने के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। सरकार द्वारा दी गई अनुमति से कौंसलावास आदि को अधिकार मिलता है कि वह निर्धारित भौगोलिक अधिकार क्षेत्र में अपना सभी न्यायोचित कार्य संपादन करे।

(ख) और (ग) स्वीडन की शाही सरकार का कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में केवल एक अवैतनिक कौंसलावास है। इसके कार्य संचालन के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति ली गई थी। कौंसलावास के कार्यों में दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विकास शामिल है और यह भी कि प्रेषक देश के राष्ट्रिकों की सहायता करना और प्रेषक देश द्वारा कौंसली केन्द्र को सौंपे गए अन्य कार्य करना, जिनपर प्राप्तकर्ता देश को कोई आपत्ति न हो।

अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ द्वारा औद्योगिक विकास अधिनियम का संशोधन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव

4946. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया पर्यवेक्षी कर्मचारी संघ ने अपने को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने हेतु इस अधिनियम को संशोधित करने के लिए सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 'कर्मकार' शब्द की परिभाषा का क्षेत्र बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन

4947. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री मूलचन्द डागा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1949-100 तथा 1960-100 को पृथक-पृथक आधार वर्ष मानते हुए अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मासिक आंकड़े क्या-क्या हैं तथा गत बारह महीनों के औसत आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उक्त सूचकांक के आंकड़े बनाते समय किन-किन मदों पर विचार किया जाता है ; और ये आंकड़े किस प्रकार बनाये जाते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) एक विवरण जो अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मासिक आंकड़े तथा गत 12 महीनों के लिए 1949-100 और 1960-100 को आधार वर्ष लेकर उस के 12 मासिक औसतों को दर्शाता है, संलग्न है (विवरण संख्या I)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5564/73]**

(ख) एक विवरण, जो उन मदों को सूची दर्शाता है, जिन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करते समय श्रम ब्यूरो द्वारा ध्यान में रखा जाता है (विवरण II)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5564/73]** अन्य विवरण भी जो इस सूचकांक को संकलित करने की पद्धति दर्शाता है संलग्न है (विवरण III)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5564/73]**

अरब सागर में तटीय जल दूषण रोकने के लिये उपाय

4948. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुन्द में चलने वाले जहाजों के तेल से अरब सागर में तटीय जल दूषण रोकने के लिये कोई कानून बनाएं गये है ; और

(ख) समुद्री जल दूषण रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कानून 1958 के व्यापारिक नौहवन अधिनियम—यथा 1970 में संशोधित —के भाग XIए (धारा 356 'ए' से 356 'जे' तक) में अन्तर्निहित है। यह कानून तटीय अरब सागर तक ही नहीं बल्कि भारत के सभी तटवर्ती क्षेत्रों पर लागू होता है। इस कानून के अनुसार भारतीय क्षेत्र से लगे हुए वर्जित प्रदेश में भारतीय और विदेशी तेलवाहकों या जहाजों द्वारा तेल या तेल मिश्रण बहाना वर्जित है।

अधिनियम की ये धाराएं उन तारीखों से लागू होगी जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निश्चित कर दे। तेल द्वारा समुद्र प्रदूषण निरोध के 1954 के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय में उल्लिखित न्यासी के पास अभिसमय में अधिमिलन के दस्तावेज के रखे जाने के तीन महीने बाद यह अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति ने जुलाई, 1973 में अधिसमय में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय दस्तावेज दाखिल करने के संबंध में कार्यवाही कर रहा है। इन धाराओं के लागू होने के बाद भारत सरकार अपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तेल द्वारा समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए और आवश्यक उपाय करेगी।

टैल्को, जमशैदपुर में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन

4949. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैल्को जमशैदपुर में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में कोई कमी आई है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) जमशैदपुर स्थित अपने कारखाने में बिजली की कटौती होने से अप्रैल-जून, 1973 में वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

हास्पेट इस्पात कारखाना

4950. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हास्पेट इस्पात कारखाने (मैसूर) के संबंध में सरकार के रवैये की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में रूस की सहायता के कुछ संकेत मिले हैं; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में सरकार निर्णय की मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यद्यपि कारखाने की क्षमता तथा प्राडक्ट मिक्स के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है, तथापि भूमि अर्जन अवस्थापन-सुविधाओं का विकास, कच्चे माल का परीक्षण, प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दिये गये हैं। और यह काम तेजी से चल रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टैल्को में फोर्ज, फाऊंडरी तथा जनरल इंजीनियरिंग संबंधी उत्पादन में कमी

4951. **श्री श्रीकृष्ण मोदी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैल्को में फोर्ज फाऊंड्री तथा जनरल इंजीनियरिंग संबंधी उत्पादन में गम्भीर कमी हो गई है; और

(ख) गत वर्ष कुल कितनी हानि हुई है।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। अप्रैल-जून, 1973 की अवधि में बिजली की भारी कमी के कारण टैल्कों के फोर्ज फाऊंड्री तथा जनरल इंजीनियरिंग डिवीजन के उत्पादन में गम्भीर बाधा उत्पन्न हो गई थी।

(ख) गत वर्ष श्रमिक कठिनाईयों के कारण लगभग 3,300 गाड़ियों की उत्पादन हानि हुई थी।

पूर्व योरोपीय देशों का अलौह धातुओं की सप्लाई के वायदे से हटना

4952. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व योरोपीय देश चालू वित्तीय वर्ष में भारत को अलौह धातुओं की सप्लाई करने के अपने वायदे से हट गये हैं; और

(ख) यदि हां तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के आणविक विस्फोट के संबंध में भारतीय आणविक संस्थान द्वारा घोषणा

4953. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आणविक संस्थान ने ही जून, 1973 में सर्वप्रथम चीन के आणविक विस्फोट की घोषणा की थी;

(ख) भारतीय संस्थान यह बात क्यों नहीं बता सका कि विस्फोट थर्मो न्यूक्लीयर था अथवा न्यूक्लीयर अर्थात् हाईड्रोजन बम का विस्फोट था और अणुबम का नहीं;

(ग) यदि हां तो क्या पता लगाने वाली मशीनरी दोषपूर्ण है; और

(घ) यदि हां तो इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) विस्फोट होने के $3\frac{1}{2}$ घटों के अन्दर की गई घोषणा में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि चीन ने एक आणविक विस्फोट किया है । यह विस्फोट द्वारा उत्पन्न विशिष्ट दबाव लहरों के आधार पर था । इन लहरों से विस्फोट के समय स्थान और अनुमानित शक्ति के संबंध में संकेत प्राप्त हुए । जारी की गई शक्ति (1-2 मेगाटन) से यह अनुमान लगाया गया था कि यह एक यर्मो न्यूक्लीयर विस्फोट था और बाद में पहुंचने वाली रेडियो धर्मी लहरों से भी जिन्हें भारत के ऊपर पहुंचने पर कई दिन लग जाते हैं इस बात की पुष्टि हो गई थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् पता लगाने वाली मशीनरी दोषपूर्ण नहीं है अपितु यह मशीनरी चीन द्वारा किये गये विस्फोट का सबसे पहले पता लगाने के कारण यह अति सूक्ष्म ग्राही प्रमाणित हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मसर्स जैसप्स लिमिटेड में उत्पादन आयोजन और लागत आंकने में कुप्रबन्ध

4954. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री जैसप्स एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में सरकार के शेयरों के बारे में 2 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जैसप्स लिमिटेड ने सरकार से कितनी राशि के ऋण लिये हैं और वह उस पर कितना ब्याज देती है:

(ख) क्या इस कंम्पनी ने भारतीय स्टेट बैंक से काफी अधिक राशि उधार ली हुई है;

(ग) क्या उत्पादन आयोजन और लागत आंकने में कुप्रबन्ध के कारण भारी हानियां तथा असंतोष-जनक कार्यकरण चल रहा है; और

(घ) यदि हां तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ने मैसर्स जैसप्स एंड कम्पनी को अब तक 14.18 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। ऋण पर साढ़े नौ प्रतिशत का वार्षिक ब्याज है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) समिश्र उत्पाद (प्रोडक्टस मिक्स) में विविधता लाने और अच्छे आयोजन से हानि की स्थिति काफी भिन्न हो गई है।

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड में बने ट्रैक्टरों के वितरण के संबंध के नियम

4955. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड में ट्रैक्टरों का उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां तो कुल कितने ट्रैक्टरों का वार्षिक उत्पादन होता है और विभिन्न राज्यों में ट्रैक्टरों का वितरण करने सम्बन्धी नियम और विनियम क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** उत्पादन अब आरम्भ हो गया है और अधिकार में लेने के बाद से 116 ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया है । वर्ष 1973-74 की अवधि में लगभग 1,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन होने की आशा है।

विभिन्न राज्यों को ट्रैक्टरों का वितरण ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश 1971 के उपबन्धों के अधीन संचालित किया जाता है।

पांचवीं योजना के दौरान निजी कारें व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर देने के लिये योजना

4956. **श्री विक्रम महाजन :**
श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी कारें व्यावसायिक आवश्यकता पर देने की कोई योजना बना रहा है; और

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसके कब तक क्रियान्वित होने की आशा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : **(क)** जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में लगी आग से प्रभावित तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

4957. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना के तट पर तिब्बती शरणार्थी शिविर में हाल ही में लगी आग से प्रभावित लगभग 250 शरणार्थी अभी तक शामियानों में हैं;

(ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिये मंजूर किया गया 250 रुपये का अनुदान उनमें से प्रत्येक परिवार को कब तक दे दिया जायेगा; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : **(क)** ऐसे तिब्बती परिवार, जिनकी 79 झुग्गियां आग लगने से जल गई थीं, अब सरकार द्वारा 250 रु० प्रति परिवार दी गई अनुग्रह पूर्वक सहायतानुदान से उनके द्वारा बनाये गये कच्चे ढांचों में रह रहे हैं ।

(ख) 250 रु० का अनुग्रह पूर्वक सहायतानुदान 25 मार्च, 1973 को वितरित किया गया था।

(ग) इन शरणार्थियों को जिनमें से अधिकांश के अपने निर्वाह के निजी साधन बनाए गये हैं, पुर्नवास सहायता देने के प्रश्न पर अग्रता के निर्धारण तथा उनके जीवन निर्वाह के वर्तमान साधनों को ध्यान में रखने के बाद यथासंभव समय में विचार किया जायेगा।

दिल्ली में स्कूटर बनाने का कारखाना

4958. **अमर नाथ चावला : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो क्या यह प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन द्वारा रखा गया है; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्कूटर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिये दिल्ली प्रशासन का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी स्कूटर बनाने हेतु दिल्ली में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के बारे में सरकार को औद्योगिक लाइसेंस के लिये एक गैर-सरकारी पार्टी का आवेदन पत्र मिला था। इसमें प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना से लगभग 3,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रति वर्ष 24,000 स्कूटर बनाने के लिये पार्टी को एक आशय पत्र दिया गया है।

इकोनोमिक डेमोक्रेसी (आर्थिक लोकतंत्र)

4959. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डेनमार्क की सरकार ने "इकोनोमिक डेमोक्रेसी" के लिये एक विधेयक पेश किया है जिससे किसी कम्पनी पर उसके 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का नियंत्रण स्वतः ही हो जायेगा अर्थात् नियमित क्षेत्र में कर्मचारी पूंजी के सह-स्वामी बन जायेंगे;

(ख) क्या इस विधेयक से निजी कम्पनी के संचालन पर श्रमिक व्यापक प्रभाव डाल सकेंगे; और

(ग) क्या हमारी सरकार उत्पादन बढ़ाने और हड़तालों की संभावना समाप्त करने के लिये "इकोनोमिक डेमोक्रेसी" की इस नीति को अपनाने के लिये तैयार है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने डेनिश सरकार द्वारा प्रस्तावित आर्थिक प्रजातन्त्र विधेयक की अन्तवस्तु को नोट कर लिया गया है। विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा मलकियत और नीति निर्धारण में भाग लेने तथा उद्योग में और उपक्रम विशेष में सहायक प्रभाव प्राप्त करने को सुनिश्चित करना है।

सरकारी कोटे से वैस्पा स्कूटरों के आवंटन के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा के कारण

4950. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कोटे से वैस्पा स्कूटरों के आवंटन के लिये आवेदकों को लैम्ब्रेटा स्कूटरों के लिये आवेदकों की अपेक्षा काफी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वेस्पा स्कूटरों की सप्लाई के लिये वर्तमान प्रथमिकता तिथि क्या है; और

(घ) वैस्पा तथा लैम्ब्रेटा स्कूटरों का वार्षिक सरकारी कोटा क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि मांग अत्यधिक है।

(ग)

श्रेणी	प्राथमिकता तिथि
सूची I (900 रु० और अधिक)	2-2-1971
सूची II (500 से 899 तक एक्जिक्यूटिव)	3-3-1970
सूची III (500 से 899 रु० तक)	26-2-1970
सूची 4 (300 रु० से 499 तक एक्जिक्यूटिव) . . .	29-4-1969
सूची 5 (संयुक्त सचिव और इससे ऊंचे पद वाले अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक)	27-2-1971
सूची 6 (चिकित्सक)	10-3-1971
सूची 7 (350 रु० से 499 रु० तक)	28-2-1969

(घ) वेस्पा (बजाज) 9,400 प्रति वर्ष

लेम्ब्रेटा 5,240 प्रति वर्ष

उड़ीसा के कोरापुरट जिले में सूनाबेडा स्थित एच० ए० एल० में टेलिविज़न बनाने का उद्योग

4961. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कारापुट जिले के सूनाबेडा स्थित एच० ए० एल० में टेलीविजन बनाने का उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इसे कब आरम्भ किया जायेगा;

(ग) क्या यह गैर-सरकारी क्षेत्र का एकक होगा या सरकारी क्षेत्र का; और

(घ) यदि यह गैर-सरकारी क्षेत्र का है तो निर्माण करने का लाइसेंस किसे जारी किया गया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कोरापुट प्रभाग में टेलीविजन बनाने का उद्योग आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि एच० ए० एल०, हैदराबाद प्रभाग ने टेलीविजन सैट बनाने के लिये जानकारी को विकसित

किया है । इस जानकारी का उड़ीसा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज डिब्लापमेंट कारपोरेशन तथा मैसर्स भारत टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को विक्रय कर दिया गया है।

हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक में तालाबंदी

4962. **श्री मोहम्मद शरीक :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक में 2 अगस्त, 1973 को तालाबंदी की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां तो इसको क्या कारण है; और

(ग) घोषित तालाबंदी हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा बैठे रहो हड़ताल नारे-बाजी और डराने वाली अन्य कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुये जिससे कारखाने का सामान्य कार्य चलना असंभव हो गया था प्रबन्धकों को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी।

कर्मचारियों और कर्मचारी संघ से प्रबन्धकों को अनुशासन के नियमों का पालन करने का आवश्वासन मिल जाने के पश्चात् दिनांक 3-8-73 को प्रातः 6 बजे तालाबन्दी समाप्त कर दी गई थी।

पंजाब में भटिन्डा छावनी के लिये भूमि

4963. **श्री भान सिंह भोरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भटिन्डा छावनी के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई है; और

(ख) अब तक भूमि मालिकों को कितना मुआवजा दिया गया है?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) भटिन्डा छावनी के लिये अभी तक कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी विमानों की भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान के बारे में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता

4964. **श्री आर० बी स्वामीनाथन :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री पाकिस्तानी विमानों के भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान पर भारत द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का मामला पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में उठाने के निर्णय से संबंधित

26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 627 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तानी विमानों को भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ वार्ता कब की जायेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : एक दूसरे के क्षेत्र के ऊपर से हवाई उड़ान करने के मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिये अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

विकासशील देशों की सहायतार्थ संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की योजना

4965. **श्री भान सिंह भोरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने विकासशील देशों की उनके तटीय क्षेत्रों तथा संसाधनों की प्राकृतिक खोज के लिये सहायता करने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या भारत ने ऐसी कोई सहायता मांगी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने 1970 में अपने 49वें सत्र में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से समुद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न पर समग्र रूप से एक ऐसी पृष्ठ भूमिक समीक्षा मांगी थी जिसमें समुद्रीय सहयोग और तटीय विकास का विषय सम्मिलित हो और उसमें समुद्र के विभिन्न पारंपरिक उपयोगों की प्रवृत्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो, जैसे:--मत्स्य उद्योग, जहाजरानी और खनिजों को निकालना, समुद्र के नये उपयोगों की सम्भावनायें, इन उपयोग का तथा अन्य तकनीकी विकासों का समुद्री पर्यावरण पर सम्भावित प्रभाव; और तकनीकी उपयोगों के बीच सम्भावित संघर्ष।

महासचिव द्वारा प्रस्तुत कई प्रतिवेदनों में यह सुझाया गया कि समुद्री एवं तटीय विकास के लिये एक नवीन व्यापक दृष्टिकोण अपनाने से विकासशील देशों को अत्यन्त लाभ हो सकता है। महासचिव ने सुझाव दिया कि प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ को विशिष्ट एजेन्सियों के सहयोग से विशेषकर विकासशील देशों में, समुद्री सहयोग और तटीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित संभावनाओं और समस्याओं का पता लगाने की एक व्यवस्था शुरू करनी चाहिये जिसमें इनका पता लगाकर इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने जुलाई-अगस्त, 1973 में आयोजित अपने 55वें सत्र में इस विषय पर पुन: विचार किया और एक प्रस्ताव पारित करके महासचिव से अनुरोध किया कि तटीय क्षेत्रों के विकास की समस्याओं का पता लगाने और उन पर विचार करने के लिये एक व्यापक अन्तर-विषयक अध्ययन कराया जाय और 1975 में परिषद् के 59वें सत्र में इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

(ग) समुद्री और तटीय विकास के अध्ययन के प्रस्तावों पर, विशेषकर विकासशील देशों में, चूंकि संयुक्त राष्ट्र में विचार अभी शुरू ही हुआ है, अत: इस समय भारत द्वारा किसी प्रकार की सहायता मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की सप्लाई और उसका लाना लेजाना

4966. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **ईस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' (अहमदाबाद संस्करण) में "इम्प्रूवमेंट लाइकली इन कोल सप्लाई" (कोयले की सप्लाई में सुधार की संभावना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की ढुलाई की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या बंगाल क्षेत्र, विशेषकर आसनसोल के कोयला क्षेत्रों में बिजली में कटौती के परिणाम-स्वरूप कोयला उत्पादन में प्रतिदिन अनुमानतः 13,000 टन की हानि हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ईस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा : (क) जी, हां।

(ख) कोयले की ढुलाई के बारे में वर्तमान स्थिति पूर्वतः संतोषप्रद नहीं है। फिर भी, रेल विभाग और कोयला उत्पादन संगठन कोयला-ढुलाई को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठा रहे हैं और आशा है कि इससे देश में प्रत्येक जगह स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा । सरकार ने विभिन्न उपभोक्ताओं को नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोयला परिवहन और वितरण की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये हाल ही में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है ।

(ग) और (घ) यह सही है कि कोयला खानों को बिजली की अनियमित पूर्ति और कमी के कारण हाल ही के महीनों में बंगाल क्षेत्र में कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अब कोयला खानों और प्रक्षालनशालाओं को बिजली की पूर्ति में उच्च अग्रता प्राप्त हो जाने से स्थिति में सुधार हुआ है।

इलाहाबाद शिबिर के मारे गये युद्ध बन्दी

4967. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री प्रभु दास पटेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 6 अगस्त, 1973 को पाकिस्तान के दो युद्ध बंदियों को गोली से मार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) 5 अगस्त 1973 को इलाहाबाद में एक युद्ध बन्दी शिविर में युद्धबन्दियों द्वारा एक साथ शिबिर को तोड़कर भागने का प्रयत्न किया गया था। गोली केवल उस समय चलाई गई जब संतरियों द्वारा बार-बार दी गई चेतावनी पर युद्धबन्दियों ने कोई ध्यान

नहीं दिया। दो युद्धबन्दी हताहत हुये और 4 जख्मी हो गये। इस घटना की रैडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति को सूचना दी गई थी। युद्धबन्दियों द्वारा बचकर भागने के प्रयत्न को विफल करने के लिये सभी युद्धबन्दी शिविरों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय पहले ही विद्यमान हैं।

Loss suffered by India due to border violations by Pakistan

4968. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Shrikishan Modi :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of border violations committed by Pakistan after Indo-Pak War of 1971 and the extent of loss suffered by our country as a result thereof ; and

(b) whether Pakistan have occupied any part of our territory and if so, the details thereof as well as the Government's reaction thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Between 18th December 1971 and 24th August 1973 Pakistan has committed 1965 land violations and 30 air violations. 242 security forces personnel lost their lives as a result of these border violations.

(b) Pakistan has not occupied any of our territory as a result of these border violations.

चालू वर्ष के दौरान इस्पात संयंत्रों का विस्तार

4969. **श्री वरके जार्ज :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में देश में कुछ इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। फिर भी पांचवीं योजना अवधि में भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का 25 लाख टन पिण्ड से 40 लाख टन पिण्ड तथा बोकारो की क्षमता का 47.5 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सेवा विंगों के एकीकरण का प्रस्ताव

4970. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी सेवा विंगों का एकीकरण करने के लिये कहा गय है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विदेश मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं के विलय के प्रश्न की जांच की गई है, लेकिन इस सेवा के स्वरूप में इस तरह के बुनियादी परिवर्तन सम्भव नहीं पाये गये हैं ।

ठेका श्रमिकों के हितों का संरक्षण

4971. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेका-श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) उन्हें क्या-क्या लाभ दिये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार ने ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया है और ठेका-श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये उस अधिनियम के अधीन ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 भी बनाये हैं। यह अधिनियम और केन्द्रीय नियम तारीख 10-2-71 से लागू हुए।

(ख) ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 कुछ स्थापनाओं में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमिता करता है और कुछ परिस्थितियों में इसका उन्मूलन करने की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम के अधीन ठेकेदार के लिये उसके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों के लिये कैंटीनों, विश्राम-गृहों पीने के स्वास्थ्य कर पानी, शौचालय, पेशाबघरों, धोने की सुविधाओं और प्रथमोपचार सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है। यदि उन सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा न की जाये तो प्रमुख नियोजक-ठेका श्रमिकों ये सुविधायें प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है । प्रमुख नियोजक ठेका-श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है इन नियमों के अधीन मजदूरी-दरों, छुट्टियों कार्य-घंटों और ठेके-श्रमिकों की सेवा की अन्य शर्तों को भी विनियमित किया जाता है।

बम्बई की सूती-कपड़ा मिलों में भिन्न-भिन्न समय पर अवकाश

4972. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की सूती-कपड़ा मिलों में भिन्न-भिन्न समय पर अवकाश के सम्बन्ध में श्रमिकों ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियोक्ताओं को यह अनुदेश देने का है कि विद्यमान छुट्टियों में कटौती न की जाये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार ने मिलों में 7 दिन के सप्ताह की योजना लागू करने के बारे में मिल मालिक संगठन, बम्बई और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के बीच हुए करार के विरुद्ध कुछ यूनियनों के विरोध को नोट किया है।

(ख) चूंकि छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की गई है, इसलिये सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैंगनीज की मांग और उसका उत्पादन

4973. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मैंगनीज अयस्क की अनुमानतः मांग कितनी है; और

(ख) इस समय मैंगनीज का वास्तविक उत्पादन कितना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1972 में मैंगनीज अयस्क की मांग, लगभग 16 लाख टन होने का अनुमान है जिसमें लगभग 8 लाख टन आन्तरिक खपत तथा 8.6 लाख टन निर्यात के लिये है।

(ख) वर्ष 1972 में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन लगभग 16 लाख टन था।

विशाखापत्तनम स्थित जस्ता प्रद्रावण संयंत्र

4974. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में जस्ता प्रद्रावण संयंत्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विभाग जस्ता प्रद्रावक के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गई है और परियोजना के निर्माण और संचालक-प्रावस्थाओं के लिए बिजली पूर्ति की व्यवस्था कर ली गयी है । परियोजना की स्थापना हेतु तकनीकी सहायता के लिए विदेशी परामर्शदाताओं के साथ समझौता हो गया है और विस्तृत इंजीनियरी कार्य आरम्भ हो गया है । जस्ता सान्द्रों को खरीदने के लिए विदेशी पूर्तिकर्त्ताओं के साथ ठेके किए गए हैं । कार्यस्थल पर निर्माण-कार्मिकों को तैनात किया जा रहा है और भूयोजन कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं ।

(ख) 31 मार्च, 1973 तक लगभग 74 लाख रुपया खर्च किया गया है ।

(ग) समय-अनुसूची के अनुसार प्रद्रावक को 1976-77 तक चालू किया जाना है ।

पाकिस्तान का रक्षा बजट

4975. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री समर गुह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "पाकिस्तान डब्लूस डिफेंस बजट" (पाकिस्तान द्वारा रक्षा बजट को दुगना करना) समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) अपनी रक्षा योजनाओं का पुनरीक्षण करते समय उन सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर विचार किया जाता है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो ।

हिमाचल प्रदेश में सेना में भर्ती के लिये भर्ती केन्द्र

4976. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न शाखाओं और यूनिटों में भर्ती के लिये जिलावार कितने और कौन-कौन से भर्ती केन्द्र हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में नये भर्ती केन्द्र खोलने के लिये अनुरोध मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार का क्या निर्णय है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) (1) सेना तथा नौसना**

तीन भर्ती कार्यालय जिनका क्षेत्र निम्नलिखित है :—

भर्ती कार्यालय	क्षेत्र
पालमपुर	. लोहाल/स्पिति कुल्लू मण्डी (सरकाघाट तहसील निकाल कर) । चम्बा और कांगड़ा (डेरागोपीपुर तहसील निकाल कर) के जिले ।
हमीरपुर	. हमीरपुर, ऊना कांगड़ा जिले की तहसील डेरागोपीपुर और मण्डी जिला की तहसील सरकाघाट ।
शिमला	. शिमला, किन्नापुर, महासू, बिलासपुर और सिरमोर के जिले ।

(2) वायुसेना

हिमाचल प्रदेश में वायुसेना के लिए कोई भर्ती कार्यालय नहीं है अम्बाला में वायुसेना भर्ती कार्यालय इस क्षेत्र से भर्ती करता है ।

(ख) और (ग) जी हां श्रीमन्, क्योंकि इसमें कोई औचित्य नहीं था अतः सरकार द्वारा कोई ऐसा नया केन्द्र न खोलने का निर्णय किया गया था ।

तकनीकी, मैडिकल तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण

4977. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवारत ऐसे रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए तकनीकी मेडिकल तथा अन्य व्यावसायिक सस्थानों में सीटों के आरक्षण जैसी कोई सुविधा उपलब्ध है जो स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते हैं और जिन्हें प्रायः युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ये सुविधाएं प्रदान करने की वांछनीयता पर विचार करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) शिक्षा राज्य का विषय है और रक्षा सेवा कार्मिकों के बच्चों को आरक्षण आदि जैसी सुविधाएं केवल राज्य सरकारों द्वारा ही दी जा सकती हैं। तथापि, जो राज्य सरकारें तकनीकी सस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक अथवा अन्य रूप में आवासीय नियन्त्रण लगा रही थीं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था कि वे इन नियन्त्रणों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों जिन में रक्षा कार्मिक सम्मिलित हैं, के बच्चों के लिए उठा लें ताकि वे आवासीय या नियन्त्रणों के कारण अयोग्य न हो जाए। इस अनुरोध के प्रति राज्य सरकारों का उत्तर कुल मिलाकर उत्साहवर्धक रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने उनके अधीन तकनीकी संस्थाओं में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षण भी किया है।

2. जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, मेडिकल तथा दंत चिकित्सा कालेजों में कतिपय सीटें 1972 तक आरक्षित की जा रही थी और उन्हें रक्षा कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों के वार्डों को आवंटित कर दिया गया है। 1973 से आगे ये सीटें हृत/अपंग सैनिकों के आश्रितों को आवटित की जा रही है।

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों और एसोसिएशनों के कर्मचारियों को उपलब्ध सेवा सम्बन्धी लाभ

4978. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों और एसोसियेशनों में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्यनिधि आकस्मिक अवकाश, नियमित वेतन वृद्धि जैसे सेवा संबंधी लाभ दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उपलब्ध लाभों की रूप रेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विदेश सेवा के श्रेणी 'ख' के अधिकारियों की समस्याओं के बारे में प्रधान मंत्री को भेजा गया ज्ञापन

4979. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्रालय की कर्मचारी समन्वय और कर्णधार समिति (स्टियरिंग कमेटी) ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें मंत्रालय की विदेश सेवा के श्रेणी 'ख' के अधिकारियों की समस्याओं पर नए सिरे से विचार करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसी विषय पर प्रधान मंत्री को संबोधित करके एक तारांकित प्रश्न पूछा गया था जिसका कल ही सदन में उत्तर दे दिया गया था ।

पिल्लई समिति ने सन् 1966 में भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) की समस्याओं का अध्ययन किया था तथा तृतीय वेतन आयोग ने भी इस वर्ष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की जांच की हैं, जिनमें भारतीय विदेश सेवा (ख) के कर्मचारी भी शामिल हैं । आयोग की सिफारिशें अलग से विचाराधीन हैं ।

50,000 मीटरी टन कच्चा लोहा निर्यात करने के लिये बोकारो इस्पात संयंत्र को विदेश से प्राप्त आर्डर

4980. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र को किसी पूर्वी देश से 50,000 मीटरी टन कच्चा लोहा निर्यात करने का आर्डर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने के 1,90,000 टन कच्चे लोहे की सप्लाई के लिए आर्डर बुक किए गये हैं ।

(ख) देशों के नाम हैं : जापान, ताइवान, सिंगापुर, फिलिपाइन और दक्षिण कोरिया।

हैदराबाद में एक स्पैशल मैटल एंड सुपर अलाय प्लांट स्थापित करना

4981. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में एक स्पेशल मैटल और सुपर अलाय प्लांट स्थापित किया जायेगा, यदि हां, तो इसमें उत्पादन के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या नया प्लांट देश में वैमानिक, इलैक्ट्रोनिक्स, राकेट और मिसाइल उद्योगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा ;

(ग) क्या इन विशेष धातुओं तथा सुपर अलाय में कुछ विशेष गुण धर्म हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) विश्व के अन्य किन देशों में इस धातु तथा जलाय का उत्पादन होता है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् । संयंत्र द्वारा पांच वर्षों के भीतर ही प्रयोगात्मक उत्पादन आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है ।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र के उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित मिश्रधातुओं के बारे में आशा है कि देश में एरोनाटिक्स, इलैक्ट्रोनिक्स तथा अन्य उद्योगों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

(ग) उत्थापित तापों पर उच्च शक्ति, जंग प्रतिरोध, विभिन्न तापों पर नियन्त्रित विस्तार विशेष चुम्बकीय गुणों आदि जैसे विशेष गुणों द्वारा इन मिश्रधातुओं की विशिष्टताए निर्धारित की जाती हैं ।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पश्चिम जमर्नी तथा जापान जैसे कतिपय विकसित देश इन विशेष धातुओं तथा मिश्रधातुओं का उत्पादन करते हैं ।

हाई वोल्टेज कैपेसिटरों के निर्माण के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल का जी० ई० सी० अमरीका, से करार

4982. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड भोपाल ने पोलियोलीपेन्स (प्लास्टिक मिश्रण) को प्रयोग करने वाले नई प्रकार के हाई बोल्टेज कैपेसिटरों के निर्माण के लिये संयुक्त राज्य अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के साथ करार किया है ।

(ख) क्या इस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हैवी इलैक्ट्रिक भोपाल टिशू कागज का इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज कैपसिटरों का उत्पादन अथवा निर्माण कर रहा था ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों प्रकार के कैपेसिटरों में भिन्नता की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) नये प्रकार के कपेसिटर अधिक अच्छा काम करते है और उसी प्रकार के उत्पादन के लिए अधिक सुविधाजनक और अधिक हल्के भी है ।

नेशनल इंजीनियरिंग वर्कस डुमका, बिहार का कर्मचारी भविष्य निधि का मामला

4983. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मैसर्स नेशनल इजीनियरिंग वर्क्स डुमका, बिहार के मामले में कुछ अधिकारियों के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :--

(क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और यह विचाराधीन है।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त ग्रेड एक की विभागीय पदोन्नतियां

4984. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड एक) की विभागीय नियुक्तियां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक भविष्य निधि आयुक्त ग्रेड दो, भविष्य निधि इंस्पैक्टर ग्रेड एक और लेखाधिकारी (एकांउट्स अधिकारी) के संवर्ग से संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर की जानी थी ;

(ख) क्या 1 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना सख्या 18(29)/69 पी० ई०–1 द्वारा बारी-बारी से पदोन्नति की नई प्रणाली बनाई गई है जिसके फलस्वरूप दो वर्ष की सेवा वाले लेखा अधिकारी दस वर्ष की सेवा वाले भविष्य निधि इन्सपैक्टरों (ग्रेड एक) के हितों के विरुद्ध पदोन्नति के पात्र हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसको देखते हुए सरकार का विचार भविष्य निधि इंस्पैक्टरों (ग्रेड एक) की शिकायतों को दूर करने हेतु हस्तक्षेप करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जो० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) जी नहीं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आयुक्त) भर्ती नियम 1966, जैसा कि वे मूल रूप में थे के अनुसार, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड एक) के पद पर विभागीय पदोन्नति तीन सवंर्गों (1) सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड–2) (ii) भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड–1) और (iii) लेखा अधिकारियों जिनका अपने संवर्ग में सेवा काल दो वर्ष हो, में से चयन के आधार पर की जानी थी, न कि संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर ।

(ख) और (ग) 1 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० 8(29)/69–पी० एफ० के अधीन भी, जहां अधिकारियों की तीनों श्रेणियों पर संबंधित संवर्ग में दो वर्ष के सेवा काल के आधार पर विचार करने की पद्धति को बदला नहीं गया है, वहां प्रचलित पद्धति के अनुसार, तीनों ग्रेडों से अधिकारियों का चयन करने के लिये बारी-बारी का सिद्धांत निर्धारित किया गया है, जैसा कि 3 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 9028 के उत्तर में कहा गया है । अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें 10 वर्ष के सेवा काल वाले किसी भविष्य निधि निरीक्षक के हितों की अवहेलना करते हुए, दो वर्ष के सेवा काल वाले किसी लेखा अधिकारी को सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ग्रेड–1) के पद पर पदोन्नत किया गया हो ।

बोकारो इस्पात कारखाने के बिहार के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

4985. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक बोकारो इस्पात कारखाने में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये जा चुके हैं और सभी कर्मचारियों की संख्या पूरी करने के लिये और कितने व्यक्ति भर्ती किये जाने हैं;

(ख) बिहार के कितने कर्मचारी एवम् गैर कर्मचारी रखे गये हैं और कुल संख्या में उनका श्रेणीवार और अधिकारी प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या उक्त कारखाने में सर्वोच्च पदाधिकारी बिहार से नहीं लिए जा रहे हैं; और

यदि हां, तो काम कर रहे अधिकारियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 31 जुलाई, 1973 को बोकारो स्टील लिमिटेड के कुल कर्मचारियों की संख्या 25,889 थी जिनमें से 12,928 विभागीय निर्माण कार्य के लिये 5,693 सेवा तथा प्रशासनिक विभागों के लिए और 7,268 परिचालन तथा रख-रखाव कार्यों में लगे हुए थे । एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कारखाने के प्रथम चरण में केवल परिचालन तथा रख-रखाव कार्य के लिए कुल 21,350 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । इस समय इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) बोकारो स्टील लिमिटेड नियुक्त किए गए व्यक्तियों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखती है । परन्तु कम्पनी सामान्यतः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित भर्ती की नीति का पालन करती है ।

मशीन औजार उद्योग में बेकार पड़ी क्षमता

4986. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मशीन औजार उद्योग में क्षमता बेकार पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय मशीनी औजार उद्योग में 63.5 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है ;

(ख) मुख्यतः इंजीनियरी उद्योगों में मंदी आ जाने के कारण 1967 और 1968 के वर्षों में इस उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई। उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और आशा है कि आगामी दो वर्षों में 75 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग होने लगेगा । इस प्रकार के उद्योग में निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत उत्पादन स्तर इष्टतम समझा जाता है ।

राउरकेला स्थित हिन्दुस्तान संयंत्र में आरक्षित कोटे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

4987. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला स्थित हिन्दुस्तान स्टील संयंत्र में नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के चयन के समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे का संबंधित अधिकारियों द्वारा कठोरता से पालन किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो 1970–73 के दौरान श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में इंटरव्यू के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार आये और उसमें से कितने नियुक्त किये गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) : राउरकेला इस्पात कारखाने में उम्मीदवारों की भर्ती अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों को ध्यान में रख कर की जाती है बशर्ते कि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हों ।

(ख) 1971 से 16 अगस्त, 1973 तक साक्षात्कार किये गये/नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में स्थिति निम्नलिखित है :—

	जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार किया गया			जिन उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया		
	1971	1972 (16-3-73 तक)	1973	1971	1972 (16-3-73 तक)	1973*
प्रथम श्रेणी	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
द्वितीय श्रेणी	शून्य	1	शून्य	शून्य	1	शून्य
तृतीय श्रेणी	65	117	77	30	57	14
चतुर्थ श्रेणी	16	223	1268	16	96	549

*वर्ष 1973 के आंकड़े में वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनको नियुक्ति-पत्र जारी कर दिये गये हैं, परन्तु जिन्होंने अभी कार्यभार नहीं संभाला है ।

वर्ष 1970 के लिए जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देना

4988. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण हुए विस्थापित व्यक्तियों को उक्त संयंत्र में रोजगार दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पदों में उनकी संख्या कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) **और** (ख) : कारखाने की स्थापना से विस्थापित हुए व्यक्तियों में से 31–7–1973 तक कुल 3219 व्यक्तियों को कारखाने में रोजगार दिया गया है । विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दण्डकारण्य में आदिवासियों का बसाया जाना

4989. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में दण्डकारण्य में शरणार्थियों के निकट भविष्य में बसाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या शरणार्थियों को मिलने वाली सुविधायें उक्त क्षेत्र के विस्थापित हुए आदिवासियों को भी मिलेंगी; और

(ग) पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के दण्डकारण्य के आदिवासियों के पुनर्वास की नई योजनाएं तथा कार्यक्रम क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दण्डकारण्य परियोजना को दी गई भूमि में से दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उद्धार की गई 25 प्रतिशत भूमि उन राज्य सरकारों की सलाह से आदिवासियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को लौटा दी जाती है । पुनर्वास के लिए चुने गये प्रत्येक आदिवासी परिवार को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से 2,850.00 रु० का अनुदान भी दिया जाता है ।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कोरापुट जिले में कुछ भूमि दिए जाने की आशा है । उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई भूमि में से उद्धार किए गए क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों को उनका हिस्सा मिल जाएगा ।

विभाग की पांचवीं योजना के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है

फिर भी, दण्डकारण्य परियोजना की आन्ध्र प्रदेश में कोई कार्य-कलाप नहीं है ।

अमरीकी राष्ट्रपति का भारतीय प्रधान मंत्री को पत्र

4990. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जो कि भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने उनको मान्ट्रीयल में दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का पाठ क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कनाडा यात्रा के दौरान जब प्रधान मंत्री गैर सरकारी यात्रा पर न्यूयार्क स्टेट में लेक प्लेसिड गई थीं तब अमरीकी राजदूत श्री मोयनिहन ने उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का एक पत्र दिया था ।

(ख) राष्ट्रपति निक्सन ने अपने पत्र में प्रधान मंत्री की इस गैर-सरकारी संक्षिप्त यात्रा का स्वागत किया था तथा कहा था कि जिस उपयोगी एवं वास्तविक दिशा में भारत और अमरीका के संबंध बढ़ते प्रतीत हो रहे हैं, उससे मैं प्रोत्साहित हुआ हूं । उन्होंने आशा प्रकट की कि बराबर यह दृष्टिकोण बना रहेगा ।

(ग) भारत सरकार भी यह आशा करती है कि दोनों देशों द्वारा संबंध सुधारने की कोशिशें लाभदायक सिद्ध होंगी ।

डायरेक्टोरेट आफ एन० सी० सी०, नई दिल्ली में वायु सेना अधिकारी

4991. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के कुछ अधिकारी आर० के० पुरम्, नई दिल्ली स्थित डायरेक्टोरेट जनरल आफ एन० सी० सी० में नियुक्ति हो गए हैं ;

(ख) क्या अगस्त, 1971 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में से एक अधिकारी को 20 सितम्बर, 1971 को पुनः नियुक्त कर लिया गया था और उक्त कालावधि को दुबारा 20 सितम्बर, 1972 तक बढ़ा दिया गया है ;

(ग) क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसी रैंक में पुनः नियुक्ति सेना के स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उस नियम का उल्लंघन क्यों किया गया है और क्या इस मामले को विशिष्ट मामला समझा गया है ; और यदि हां, तो किन आधारों पर ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा विभाग में सिविल कर्मचारियों के लिये "वर्गीकरण न्यायाधिकरण"

4992. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग में सिविल कर्मचारियों के लिये एक "वर्गीकरण न्यायाधिकरण" नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं श्रीमन।

(ख) और (ग) 'वर्गीकरण न्यायाधिकरण' स्थापित करने के मामले में असामान्य विलम्ब नहीं हुआ है जो इस मंत्रालय की संयुक्त परामर्शदाई व्यवस्था की विभागीय परिषद की बैठक में अक्तूबर 1972 में पहली बार उठाया गया था। इस प्रश्न पर अप्रैल, 1973 में परिषद में विचार-विमर्श किया था, उस समय पर निर्णय किया गया था कि परिषद की स्टाफ की तरफ तथा मंत्रालय के बीच और आगे विचार किये जाने के पश्चात्, इस पर परिषद की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। इसी बीच, वेतन आयोग ने इस आशय की सिफारिश भी की है कि सीमित क्षेत्र में विशेषकर औद्योगिक और पर्याप्त स्टेंडर्डाइजड कार्यों के मूल्यांकन करने के लिये चयन किये गये आधार पर, औद्योगिक प्रतिस्थापनाओं में प्रयोगात्मक उपाय के रूप में 'विशेष निकाय' स्थापित किये जा सकते हैं। इस प्रश्न पर केवल पूर्वोक्त गतिविधयों के प्रकाश में इस परिषद में और आगे विचार कर लेने के पश्चात् अन्तिम निर्णय किया जा सकता है।

चौथी योजना में सरकारी उपक्रमों में बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति

4993. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न सरकारी उक्रमों में और बेरोजगार इन्जीनियरों के नियुक्त किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे इन्जीनियरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय इंजीनियरों को भी उन सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के लिये कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

कोयला खानों में औद्योगिक संबंध में सुधार

4994. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने हेतु कोयला खान प्राधिकारी ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्धों में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक और किस दिशा में ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) से (ग) : कोयला खान प्राधिकरण द्वारा श्रमिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये किये गये उपायों में मजदूरी बोर्ड पंचाट का कार्यान्वयन, खनिजों के कल्याण पर अधिक व्यय और श्रमिकों के साथ बार-बार परामर्श करने के संस्थागत प्रबन्ध सम्मिलित हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप कोई गम्भीर श्रमिक संकट नहीं हुआ है और श्रमिक प्रबन्धन सम्बन्धों में सामान्यतया सुधार हुआ है।

Rs. 80-crore Expansion Scheme for Rourkela Steel Plant

4995. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether Government have formulated a scheme to spend Rs. 80 crores on the expansion of Rourkela Steel Plant ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : No, Sir.

सेवा-निवृत्त सिविल सेवा कर्मचारियों को राजनयिक पदों पर नियुक्त करने के खिलाफ विदेश सेवा अधिकारियों से शिकायतें

4996. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवा-निवृत्त सविल सेवा अधिकारियों को उच्च राजनयिक पदों पर नियुक्त करने की बढ़ रही प्रवृत्ति के खिलाफ विदेश सेवा अधिकारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों में ग्रेड 1 के कितने ऐसे पद हैं जिन पर इस समय सेवा-निवृत्त अधिकारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या इन उच्च पदों में से कुछ पर हमेशा ही राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता रहा है; और यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान नियुक्त किये गये इस प्रकार के व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) आठ।

(ग) जी हां। चालू वर्ष में निम्नलिखित सार्वजनिक कार्यकर्ता राजदूत/हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किये गये :—

1. स्वर्गीय श्री गुरनाम सिंह ग्रेवाल।
2. श्री पी० एस० नस्कर।
3. श्री जहीर अहमद।
4. श्री जे० वी० मुथ्याल राव।
5. श्री एस० ई० एच० रिजवी।

1971-72 और 1972-73 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को उत्पादन में हुई हानि

4997. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1971-72 और 1972-73 में उत्पादन में कितनी हानि हुई;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 16 जून, 1973 में 3.6 करोड़ रुपये की उत्पादन में हानि हुई ;

(ग) इतनी लम्प भारी हानि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार होने वाली हानि की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 की अवधि में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों और दुर्गापुर मिश्र इस्पात कारखाने के के इस्पात पिण्ड के उत्पादन लक्ष्य, इन दो वर्षों में वास्तविक उत्पादन और उत्पादन में कमी निम्न तालिका में दिखाई गई है :—

(हजार टन)

कारखाना	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	कमी
भिलाई इस्पात कारखाना			
1971-72	2200	1953	247
1972-73	2250	2108	142
दुर्गापुर इस्पात कारखाना			
1971-72	1150	700	450
1972-73	1000	723	277

(हजार टन)

कारखाना	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	कमी
राउरकेला इस्पात कारखाना			
1971-72 .	1400	823	577
1972-73	1250	1177	73
मिश्र इस्पात कारखाना दुर्गापुर			
1971-72 .	90.7	56.2	34.5
1972-73 .	78.0	60.6	17.4

(ख) जी, हां। परन्तु इसका सम्बन्ध केवल राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों और मिश्र कारखानें, दुर्गापुर में बिजली की कमी के कारण हुई उत्पादन की हानि से है।

(ग) 1971-72 में भिलाई कारखाने में उत्पादन में गिरावट मुख्यतः मई, 1971 में कुछ कोक ओवन बैटरियों में बड़ी खराबियों के कारण आई थी जिसके परिणामस्वरूप धमन भट्टियों के लिये कोक की कमी और इस्पात पिघलाने की कर्मशालाओं और मिलों में गैस की अपर्याप्त उपलब्धि हो गई थी। वर्ष 1972-73 की प्रथम तिमाही में सख्त गर्मी के कारण कुछ उत्पादन विभागों में काम करने वाले प्रमुख श्रेणियों के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा लगभग सितम्बर, 1972 तक उत्तम क्वालिटी के स्टापरस्लीवों की अपर्याप्त उपलब्धि और मोल्ड ट्रेनों की कमी, ताप-सह ईंटों की असंतोषजनक क्वालिटी जिसके कारण भट्टियों की अपर्याप्त उपलब्धि हो गई थी और सितम्बर, 1972 से लेकर मीडियम कोकिंग कोल की अनियमित सप्लाई इस कारखाने में आने वाली अन्य-अन्य बाधायें थीं।

1971-72 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने की अधिकतर इकाइयों में उत्पादन पर मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण प्रभाव पड़ा। वर्ष 1972-73 में भी मालिक-मजदूर सम्बन्ध कुछ अधिक संतोषजनक नहीं थे। दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर लगाये गये प्रतिबन्धों और निम्नआवृति, उपकरणों में खराबियां, विशेषतः कोक ओवन क्षेत्र में, और कोक ओवन गैस की कम सप्लाई अन्य कारण थे जिनकी वजह से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा।

राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मोल्डिंग शाप के एल० डी० सेक्शन की 11 जुलाई, 1971 को छत गिर जाने के कारण 1971-72 में कई महीनों तक कारखाने के समस्त परिचालन पर प्रभाव पड़ा। सामान्य तौर से कोक ओवन बैटरियों का अच्छी प्रकार काम न करना जिसके कारण कोक और गैस की कमी हो गई थी एक और बाधा थी। 1972-73 में बिजली के बार-बार चले जाने और उड़ीसा राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बार-बार लगाये गये प्रतिबन्धों, वर्ष की पहली छमाहीं में उपकरणों में कुछ खराबियों, वर्ष की पहली तिमाही में भारी पूंजीगत मरम्मत कार्य तथा कुछ महत्वपूर्ण विभागों में यदा-कदा होने वाले श्रम-विवादों के कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

मालिक-मजदूर सम्बन्धों के अच्छे न होने और साथ-साथ दुर्गापुर इस्पात कारखाने से गैस की कम और अनियमित उपलब्धि होने के कारण 1971-72 में दुर्गापुर मिश्र इस्पात कारखाने के उत्पादन में गिरावट आई थी। 1972-73 में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने, दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर लगाये गये प्रतिबन्धों, उपकरणों के खराब हो जाने और दुर्गापुर इस्पात कारखाने से कोक ओवन गैस के कम मिलने के कारण. उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

चालू वित्त वर्ष में सभी कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। इस का मुख्य कारण बिजली की कमी था जिसके परिणामस्वरूप कोकिंग कोयला खानों के परिचालन तथा कोयला शोधशालाओं के कार्यकरण में काफी कमी करनी पड़ी। परिणामतः इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं हो सकी। कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण रोलिंग के लिये पर्याप्त मात्रा में कोक ओवन गैस उपलब्ध नहीं हुई। बिजली की सप्लाई की आवृत्ति में गिरावट और रुकावटों से राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों और मिश्र इस्पात कारखाने में इस्पात के बेलन पर भी प्रभाव पड़ा।

(घ) गत 2 वर्षों में उत्पादन में सुधार लाने में आई विभिन्न कमियों तथा अड़चनों को दूर करने के लिये कई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं। इस सम्बन्ध में किये गये उपाय इस प्रकार हैं--कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिये दूसरे ईंधनों का उपयोग, ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि के लिये कुछ भट्टियों में तेल का प्रयोग, बेहतर रख-रखाव जिससे बेहतर उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिये पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करना और योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जे, ऊष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना आदि हैं। दुर्गापुर में औद्योगिक विवादों और मजदूरों की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिये एक त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक इनामी योजना शुरू की गई है।

अब सरकार ने इस्पात तथा सहायक आदान उद्योगों के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया नामक एक होल्डिंग कम्पनी की स्थापना की गई है। यह कम्पनी 24 जनवरी, 1973 को निगमित की गई थी। इस दिशा में इस कम्पनी की स्थापना से ईस्पात के अधिकाधिक उत्पादन करने में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा, विशिष्ट परामर्शदात्री सेवायें उपलब्ध होंगी तथा इस्पात उद्योग में घनिष्ट रूप से संबंध अन्य क्षेत्रों का जो इस्पात उद्योग के कोकिंग कोयला, लोह खनिज और मैंगनीज जैसे कच्चे माल के प्रमुख सम्भारक है, प्रबन्धात्मक एककीकरण तथा समन्वय होगा।

जहां तक चालू वित्तवर्ष में बिजली की कमी का सम्बन्ध है सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों से इस्पात कारखानों, कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने के लिये विशेष रूप से आग्रह किया गया है।

टेल्को और ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के पीड़ित श्रमिकों की बहाली

4998. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 2 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्री द्वारा रेडियो पर, इस सदन में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दिये गये इस स्पष्ट आश्वासन को देखते हुये केन्द्रीय सरकार पीड़ित श्रमिकों की बहाली सुनिश्चित करने अथवा किन्हीं सरकारी उपक्रमों में उन्हें नौकरी देने के बारे में क्या उपाय कर रही है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मामले को राज्य सरकार के पास उठाया गया है। उनकी दिनांक 2 अगस्त, 1973 की रिपोर्ट के अनुसार, उन के द्वारा पक्षों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत द्वारा मामले को निपटाने तथा न्यायालय से बाहर एक समझौते के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कोयला खानों के प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाना

4999. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के प्रबन्ध में मजदूरों को सक्रिय रूप से सम्बन्ध करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) और (ख) : सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विभिन्न स्तरों पर अपने उपक्रमों के अन्य प्रबन्ध पहलुओं में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त होता रहे। श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये विभिन्न स्तरों पर उन से परामर्श कर प्रबन्ध में उनकी हिस्सेदारी को उत्तरोत्तर बढ़ावा दिया जाता है तथा विभिन्न समितियों, परिषदों और निदेशक मण्डल में, जहां तक सम्भव होता है, उनके प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाते हैं।

सरकार की इस सामान्य नीति का, राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के प्रबन्ध द्वारा भी अनुसरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नव-गठित कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के निदेशक मण्डल में एक प्रमुख श्रमिक नेता सम्मिलित है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनमें सुरक्षा उपाय

5000. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों में सुरक्षा उपायों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कच्छ में मिला लिग्नाइट और बाक्साइट

5001. **डा० महिपतराय मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ (गुजरात) में बड़ी मात्रा में लिग्नाइट और बोक्साइट मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इन खनिजों के प्रयोग के लिये सरकार के कोई प्रस्ताव हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उमरसर, मतनोमघ, लेफ़ी, जुलाराई, वाधापादर, पाननधरी, अखरीमोटा, धोडाड़ी और माण्डवी क्षेत्रों में लिग्नाइट निक्षेप पाए गए हैं। इन निक्षेपों में से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने केवल उमरसर क्षेत्र में ड्रिलिंग द्वारा समन्वेषण कार्य किया है, जहां लिग्नाइट का अनुमानतः 107 लाख टन भंडार है। इसके अतिरिक्त गुजरात सरकार ने पाननधरो, अखरीमोटा और मतनोमघ, लेफ़ी क्षेत्रों में लिग्नाइट के 1237.00 लाख टन भंडारों का अनुमान लगाया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा कच्छ में बाक्साइट के लिये किये गये प्रारम्भिक अन्वेषण के बाद गुजरात सरकार ने विस्तृत समन्वेषण किया था जिसने 44.45 प्रतिशत और 56.88 प्रतिशत ऐलूमिना युक्त कुल 371.5 लाख टन बाक्साइट भंडार का अनुमान लगाया है।

(ख) इन खनिजों के अधिकतम उपयोग का प्रस्ताव गुजरात सरकार के विचाराधीन है।

बांसपानी क्षेत्र, उड़ीसा में 'नान-के-पटिव' लौह अयस्क खानों की उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन

5002. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरों अथवा सरकार के किसी अन्य अभिकरण ने उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में बांसपानी क्षेत्र में 'नान-के-पटिव' लोह अयस्क खानों की उत्पादन क्षमता का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त खानों में अन्य कितना लौह अयस्क उपलब्ध है और कितने समय तक आशानुकूल मात्रा में इसको प्राप्त किया जा सकता है; और

(ग) उक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिये कितने निवेश की आवश्यकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बिहार के सिंहभूम जिले तथा उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में लौह अयस्क की लगभग 150 निजी आरक्षित खानें हैं इन 150 खानों में से 13 खानों का उत्पादन कुल उत्पादन के लगभग 70% से अधिक है। भारतीय खान ब्यूरों ने वर्ष 1972 में इन 13 खानों में उस समय प्रत्येक खान के विकास की स्थिति के आधार पर उत्पादन की सम्भावना करने के लिये अध्ययन किये थे। इन 13 खानों में 6 खानें बिहार के सिंहभूम जिले में और 7 खानें उड़ीसा के क्योंझर जिले में हैं।

(ख) उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में निजी क्षेत्र में अधिकांश आरक्षित खानों में लौह अयस्क के भण्डारों का अनुमान लगाने के लिये विस्तारपूर्वक अन्वेषण नहीं किया गया है। फिर भी उत्पादिता अध्ययन करते समय क्योंझर जिले की 7 खानों में भू-विज्ञान संस्थान द्वारा ऊपरी-परत के परीक्षण के आधार पर भारतीय खान ब्यूरों ने अनुमान लगाया है कि इन खानों में लौह अयस्क के भंडार 31.50 लाख टन हैं। भारतीय खान ब्यूरों तथा भारतीय भू-विज्ञान संस्थान द्वारा वर्ष 1971 तै की गई खनिज सूची के आधार पर इन जिलों में दूसरी निजी आरक्षित खानों में लगभग 2000 लाख टन लौह अयस्क है।

अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त भण्डार निम्नलिखित अवधि तक उत्पादन के लिये पर्याप्त होंगे :—

(क) क्योंझर जिले की 7 निजि क्षेत्र की आरक्षित खानों से प्रतिवर्ष 90 लाख टन माल मिलेगा जिससे 45 लाख टन लौह अयस्क के डले उपलब्ध होंगे । यह उत्पादन लगभग 35 वर्षों तक उपलब्ध हो सकेगा ।

(ख) क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में दूसरी निजि आरक्षित खानों से प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन माल निकलेगा जिससे 10 लाख टन लौह अयस्क उपलब्ध होगा जो लगभग 100 वर्ष तक हो सकेगा ।

(ग) इस उत्पादन क्षमता की प्राप्ति के लिये अतिरिक्त पूँजी निवेश का यदि कोई हो, अनुमान नहीं लगाया गया है ।

जोधपुर में विकसित किया गया पानी के खारीपन को दूर करने के संयंत्र का उपयोग

5003. **श्री जगन्नाथ मिश्र:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी एस एम सी आर आई और रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा विकसित किये गये पानी के खारीपन को दूर करने के संयंत्र का कभी वाणिज्यिक उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर और किस लागत पर; और

(ग) लागत को देखते हुए यह तरीका पानी के खारीपन को दूर करने के अन्य तरीकों के साथ किस प्रकार तुलनीय है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) सी० एस०एम० सी० आर० आई०, भावनगर (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान) ने इलैक्ट्रो-डाइयालिसिस और रिवर्स ओसमोसिस पद्धतियों के आधार पर पानी के खारीपन को दूर करने के संयंत्र का विकास किया है, जबकि रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर ने अब तक इलैक्ट्रोडाइयालिसिस के आधार पर एक संयंत्र का विकास किया है । सी०एस०एम०सी०आर० आई० के इलैक्ट्रोडाइयालिसिस संयंत्र के तकनीकी ज्ञान को व्यवसायिक उपयोग के लिये बम्बई की मैसर्स इन्डस्ट्रीयल एण्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया था । प्रति 8 घंटे में 10,000 लिटर की उत्पादन क्षमता के साथ सी०एस०एम०सी०आर०आई० संयंत्र की लागत लगभग 1,86,000 रुपये है, इसमें जैनरेटर, रेक्टीफायर, विद्युत् पैनल, तार की लागत शामिल नहीं है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् रिवर्स ओसमोसिस संयंत्र की जानकारी को व्यवसायिक उपयोग के लिये दे रहा है ।

रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा विकसित प्रति 8 घंटे में 10,000 लिटर की क्षमता वाला इलैक्ट्रोडाइयालिसिस संयंत्र का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उसका थल सेना द्वारा परीक्षण किया जा रहा है । इस की लागत लगभग 1,00,000 रुपये है, इसमें जैनरेटर, रेक्टीफायर, विद्युत् पैनल और तार की लागत शामिल नहीं है । तथापि प्रति 24 घंटे में 1200 लिटर क्षमता वाली 2 यूनिटें और प्रति 24 घंटे में 4500 लिटर वाली क्षमता की एक यूनिट सीमा सुरक्षा बल द्वारा खरीदी गई है और उनके निष्पादन को संतोष प्रद पाया गया है ।

सी०एस०एम०सी०आर०आई० और रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर द्वारा विकसित इलैक्ट्रोडाइयालिसिस संयंत्र के तुलनात्मक परीक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है, जो मुख्यतया उनकी कार्य कुशलता और खारे पानी में विद्यमान कुल विघटित ठोस अंश का निर्धारण करेगी ।

रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर पानी के खारीपन को दूर करने के लिये रिवर्स ओसमोसिस पद्धति के आधार पर एक संयंत्र का विकास भी कर रही है । इस पद्धति पर आधारित संयंत्र का विकास तकनीकी दृष्टि से इलैक्ट्रोडाइयालिसिस संयंत्र के विकास से अधिक जटिल है, यद्यपि रिवर्स ओसमोसिस संयंत्र अन्ततः इलैक्ट्रोडाइयालिसिस संयंत्र की तुलना में सस्ता होगा ।

श्रमिक नीति का पुनः निर्धारण

5904. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए श्रमिक नीति का पुननिर्धारण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सामाजिक—आर्थिक नीति की बदलती हुई अपेक्षाओं तथा आर्थिक विकास एवं वृद्धि की आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर अनेक श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है । भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वतंत्रता की प्राप्ति से श्रमिकों की दशाओं में हुए परिवर्तनों और वर्तमान विधान और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने वाले अन्य उपबन्धों की समीक्षा करने तथा उनके सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की । आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है उनके बारे में, जिन्हें कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । सरकार का विचार औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक लाने का है ।

वर्ष 1971-72 तथा वर्ष 1972-73 के दौरान इस्पात के उत्पादन की कुल क्षमता और कुल उत्पादन के बीच अन्तर

5005. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान देश में इस्पात के उत्पादन की कुल क्षमता और कुल उत्पादन में कितना अन्तर था;

(ख) इस अन्तर के क्या कारण थे; और

(ग) क्षमता के अनुसार इस्पात का उत्पादन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क)वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में पांच मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का उत्पादन क्षमता का क्रमश: 67% और 71% था।

(ख) उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कारण :–

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानें

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों (भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला) में पिछले 2 वर्षों में क्षमता का कम उपयोग होने के कई कारण थे जो हरेक कारखाने के लिये तथा प्रत्येक वर्ष के लिये प्राय: अलग-अलग हैं । मोटे तौर पर मुख्य कारणों में कोक ओवन बैटरियों का संतोषजनक ढंग से कार्य न करना, रख-रखाव का काफी काम बकाया रहना, उपस्करों में खराबियां तथा उनका काम करना बन्द कर देना, अपेक्षित किस्म की ताप-सह ईंटों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होना, जुलाई 1971 में राउरकेला इस्पात कराखाने की स्टील मैल्टिंग शाप की छत का गिरना, मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना तथा बिजली की सप्लाई न होना और बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध आदि हैं ।

टिस्को

उत्पादन संतोषजनक रहा ।

इस्को ।

उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण यह था कि कारखाने की तकनीकी हालत अच्छी न थी जिसके कारण निम्नलिखित थे :—

(क) कई वर्षों तक सयंत्र तथा मशीनरी के निवारक तथा परिचालनात्मक रख-रखाव के काम की उपेक्षा की गई थी;

(ख) भूत में प्रतिस्थापन कार्यक्रम की उपेक्षा ; और

(ग) पुरानी मशीनों को बदलने के लिये फालतू पुर्जों तथा अन्य आवश्यक सामग्री की सप्लाई के लिये पर्याप्त प्रबन्ध न होना ।

उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए किये गये उपाय :

गत 2 वर्षों में उत्पादन में सुधार लाने में आई विभिन्न कमियों तथा अड़चनों को दूर करने के लिये कई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं । जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों का सम्बन्ध है, कोक भट्ठियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिये दूसरे ईंधनों का उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि के लिये कुछ भट्ठियों में तेल का प्रयोग, बेहतर रख-रखाव जिससे बेहतर उपकरण उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिये पूंजीगत कायक्रमों को शीघ्र पूरा करना और योजनाबद्ध ढंग से फालतू पुर्जे, ऊष्मसह और अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करना आदि हैं । भिलाई इस्पात कारखाने में एक अतिरिक्त कोक-ओवन बैटरी तथा राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में एक एक आधी बैटरी लगाई जा रही है । योजना आयोग की कार्यवाही समिति ने भिलाई तथा दुर्गापुर कारखानों में अतिरिक्त तथा अनुपूरक सुविधाओं के लिये बहुत सी सिफारिशें की हैं जिन को ये कारखाने कार्यन्वित कर रहे हैं । समिति इस समय दुर्गापुर इस्पात

कारखाने के कार्यकरण की जांच कर रही है । दुर्गापुर में औद्योगिक विवादों और मजदूरों की शिकायतों का शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने हेतु मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिये एक त्रि-स्तरीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी बनाई गई है । उत्पादन में क्रमिक वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना शुरू की गई है ।

सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1972 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पश्चात् इसकी तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने और उत्पादन बढ़ाने हेतु बहुत से उपाय किये गये हैं जिनमें कोलतार और कोक की सप्लाई कोक भट्टियों की आपात आधार पर मरम्मत, मैटरियल हैंडलिंग उपकरण की प्राप्ति तथा स्टील मैल्टिंग शाप में क्रेनों और अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उनका प्रतिस्थापन सम्मिलित है । कारखाने की तकनीकी दशा सुधारने के लिये तथा कारखाने को 10 लाख टन पिण्ड तक उत्पादन करने योग्य बनाने के लिये एक प्रतिस्थापन योजना बनाई गई है । इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड पुरानी कोक भट्टियों को बदलने के लिये प्रतिस्थापन कार्यक्रम को कार्यन्वित कर रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर कोक की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो जायेगी । रख-रखाव को बेहतर बनाने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अब सरकार ने इस्पात तथा सहायक आदान उद्योगों के लिये स्टील अथारिटी आफ इण्डिया नामक एक होल्डिंग कम्पनी की स्थापना की है । यह कम्पनी 24 जनवरी, 1973 को नियमित की गई थी । इस दिशा में इस कम्पनी की स्थापना से इस्पात के अधिकाधिक उत्पादन करने में काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा, विशिष्ट परामर्शदातृ सेवायें उपलब्ध होंगी तथा इस्पात उद्योग से घनिष्ट रूप में सम्बन्द्ध अन्य क्षेत्रों का जो इस्पात उद्योग के कोकिंग कोयला, लौह खनिज और मैंगनीज़ जैसे कच्चे माल के प्रमुख सम्भारक हैं, प्रबन्धात्मक एककीकरण तथा समन्वय होगा ।

फिर भी एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के आकार तथा परिचालन को देखते हुए इन उपायों का प्रभाव धीरे-धीरे तथा कुछ समय के पश्चात् ही दृष्टिगोचर होगा । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में गतवर्ष हुई उत्पादन में वृद्धि इस बात का संकेत है कि क्या किया जा सकता है।

खेतड़ी परियोजना में उत्पादित ट्रिपल सुपर फास्फेट की बिक्री के लिए विपणन संगठन

5006. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी परियोजना में उत्पादित ट्रिपल सुपर फास्फेट की बिक्री के लिये किसी विपणन संगठन की स्थापना कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो विपणन संगठन में कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां ।

(ख) विपणन संगठन में नियुक्त अधिकारियों की संख्या 15 है ।

अखिल भारतीय ग्रामीण युवा कांग्रेस को जीपों की बिक्री

5007. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण युवा कांग्रेस को डिस्पोजल डिपों, दिल्ली से दी गई दो जीपों की गैर-कानूनी बिक्री के बारे में मंत्रालय को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और उपरोक्त जीपों को कितने अधिक मूल्य पर पुनः बेचा गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) यह मामला जांच-पड़ताल के लिये दिल्ली प्रशासन को भेजा गया है। इसके परिणामों की अभी प्रतीक्षा है।

देशीय मांग की पूर्ति के लिए तांबे का आयात

5008. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में तांबे के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) देशीय मांग की पूर्ति के लिये कितने तांबे का आयात किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने देश को इस बारे में आत्म-निर्भर बनाने के लिये कोई योजना तैयार की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान तांबे का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(मात्रा टनों में)

1970-71	1971-72	1972-73
9576	8405	12596

(ख) विगत तीन वर्षों में तांबे का आयात और उस पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार थी :—

वर्ष	(मात्रा टनों में)	(मूल्य लाख रुपयों में)
1970-71 .	68787	6020
1971-72 . .	56137	5118
1972-73 (दिसम्बर '72 तक)	41000	3682

(ग) भारत सरकार का उपक्रम, हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड की मुख्य परियोजना, खेतड़ी तांबा परियोजना 1974 में चालू हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड तांबा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये पांचवीं योजना की अवधि में अनेक नई योजनायें आरम्भ करने जा रहा है। वर्तमान 13,000 टन की उत्पादन क्षमता की तुलना में पांचवीं योजना के अन्त तक 57,000 टन की क्षमता होने की संभावना है।

तांबा अयस्क और धातु का उत्पादन अनुसूची के पीछे रह जाना

5009. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारीकरण के पश्चात् तांबा अयस्क और धातु का उत्पादन अनुसूची से बहुत पीछे रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो कारण समेत इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी नहीं। 10 मार्च 1972 से मैसर्स भारतीय ताम्बा निगम उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण किया गया था। अप्रैल 1971 से मार्च 1972 की अवधि में जब यह उपक्रम गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन था पिसे हुए अयस्क तथा उत्पादित ब्लिस्टर तांबे की कुल मात्रा क्रमशः 6,32,119 टन और 8,405 टन थी। इसकी तुलना में अप्रैल 1972 से मार्च 1973 की अवधि में पिसे हुए अयस्क तथा उत्पादित विलस्टर तांबे की मात्रा क्रमशः 7,39,580 टन और 12,596 टन थी। बढ़े हुए उत्पादन की इस प्रवृत्ति को 1973-74 में भी बनाए रखा जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर जाति के आधार पर कथित जन भर्ती

5010. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात संयत्र में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्तियां जाति के आधार पर की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्ति करने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बोकारो इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

5011. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो इस्पात सयंत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद उनके लिए आरक्षित कोटे के अनुसार नहीं भरे जाते;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस्पात संयंत्र में 1 जुलाई, 1973 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित कर्मचारी थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को उनके कोटे के अनुसार भरने के हर संभव प्रयत्न किये जाते हैं शर्त यह है कि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हों।

(ग) 1 जुलाई, 1973 को कि निम्नलिखित थी :–

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रबन्धक वर्ग	1	—
पर्यवेक्षी वर्ग	6	7
अन्य	3290	1681
जोड़	3297	1688

औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस्पात देने का ढंग

5012. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस्पात देने के वर्तमान ढंग को समाप्त करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सप्लाई को विनियमित करने के लिए किन वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात वितरण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तथा जहां वांछनीय होता है इसमें परिवर्तन कर दिये जाते हैं। वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने का अभी कोई विचार नहीं है।

Complaints from Madhya Pradesh regarding Allotment of Gas Agencies and free land to War Widows and disabled army personnel

5013. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints from Madhya Pradesh about the allotment of gas agencies and free land to the War Widows and disabled army personnel for their rehabilitation ; and

(b) if so, the measures being taken by Government to ensure that the deserving persons should get justice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Criminal cases filed by Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh under E. P. F. Act.

5014. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh had filed some criminal cases under the Employees Provident Fund Act last year and if so, the number thereof, the period to which they relate and the dates on which they were filed ; and

(b) the names of the parties against which these cases were filed and the punishment awarded to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) and (b) The Provident Fund Authorities have intimated that the information is not readily available and it is being collected. It will be laid on the table of the Sabha in due course.

Memorandum received from the Employees of Jabalpur Ordnance Factory against some officers of depot

5015. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether he has received any memorandum from the employees working in the Jabalpur Ordnance Factory (Madhya Pradesh) in which some allegations have been levelled against some of the officers of the Depot ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) whether any action has been taken by Government thereon and if so, the outcome thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A representation was received in September, 1972 on behalf of the All India Association of Clerical Employees of Ordnance Factories complaining of discourteous behaviour to the Branch Executive Members by the General Manager, Gun Carriage Factory, Jabalpur. The matter was investigated and found to be baseless.

No other representation in this behalf has been received.

आल इंडिया डिफेन्स एम्पलाइज फेडरेशन द्वारा हड़ताल की आशंका

5016. **श्री चिरंजीव झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन की कार्य समिति ने रक्षा कर्मचारियों को हड़ताल के लिए तत्पर रहने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि आल इंडिया डिफेंस इम्पलाइज फेडरेशन की कार्यकारिणी ने 4 तथा 5 अगस्त 1973 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में हड़ताल के संबंध में यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सब शांतिपूर्ण तथा दोनों पक्षों के द्वारा सब मार्गों की खोज करने के उपरान्त यदि अपरिहार्य हो तो हड़ताल करें।

(ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् के स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधि जिसमें आल इंडिया डिफेंस इम्पलाइज फैडरेशन के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, 6 जुलाई, 1973 को मंत्री--दल से मिला था तथा परिषद् के स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधियों की एक और बैठक मंत्री--दल के साथ आज होगी।

श्री आर० एल० थिरानी तथा उनकी पत्नी पर लंदन में मुकद्दमा

5017. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो मास पूर्व एक भारतीय व्यापारिक अधिकारी श्री आर० एल० थिरानी तथा उनकी पत्नी को लन्दन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ सामान उठाते समय पकड़ा गया था और यह समाचार ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या दम्पति पर मुकदमा चलाया गया था और प्रत्येक पर 250 पाउंड जुर्माना किया गया से उन्होंने अदा कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय को इस मामले का ज्ञान था और उन्होंने इस बात की जांच की है कि थिरानी दम्पति को इतनी अधिक स्टर्लिंग की राशि किस प्रकार प्राप्त हुई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) श्री एवं श्रीमती थिरानी पर लन्दन के एक मजिस्ट्रेट को अदालत में दुकान से सामान चुराने का अभियोग लगाया गया। यह समाचार ब्रिटिश समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

(ख) श्री थिरानी पर एक अभियोग में 100 पौंड तथा 15 पौंड खर्चे के और दूसरे अभियोग में 50 पौंड जुर्माना किया गया। लन्दन की एक खबर के अनुसार श्रीमती थिरानी पर भी 25 पौंड का जुर्माना किया गया।

(ग) इस सबंध में जांच हो रही है।

बोकारो धमन भट्टी द्वारा निर्धारित क्षमता पर उत्पादन

5018. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की गत अक्टूबर में चालू की गयी धमन भट्टी में कोकिंग कोयले की कम सप्लाई के कारण निर्धारित क्षमता से आधा उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या कोक ओवन बैटरी संख्या 2 भी इसी कारण से प्रभावित हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बोकारो इस्पात संयंत्र तथा अन्य संयंत्रों को कोकिंग कोयले का आंवंटन करने में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) धमन भट्टी की निर्धारित दैनिक क्षमता 2,640 न गर्म धातु की है। जुलाई में गर्म धातु का दैनिक औसत उत्पादन 2,141 टन था जो निर्धारित क्षमता का लगभग 81 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) यद्यपि बोकारो की दूसरी कोक ओवन बैटरी को 6 मार्च, 1973 को गर्म करना आरंभ किया गया था। बिजली की कमी के परिणामस्वरूप शोधित कोकिंग कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण अभी तक कोक निकलना आरंभ नहीं हुआ है बिजली की कमी के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए, सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय दामोदर घाटी निगम तथा संबंधित राज्य बिजली बोर्डों के सहयोग से खानों तथा शोधनशालाओं को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करके, बोकारो को शोधित कोयले के प्रेषण की दर में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही की गई है।

कोककर कोयले का प्रायः समस्त उत्पादन इस्पात कारखानों को सप्लाई कर दिया जाता है जो इसका मुख्य उपभोक्ता है।

असंगठित श्रमिकों को संगठित करना

5019. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) देश में असंगठित श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त श्रमिक किन-किन मुख्य श्रेणियों के हैं; और

(ग) क्या उक्त श्रमिकों को किसी संगठन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जिससे कि उन्हें बर्तमान श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) अधिकांश असंगठित श्रमिक अर्धव्यवस्था के कृषि/ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 470 लाख कृषि-श्रमिक थे जोकि देश में कुल श्रमिकों का लगभग 26.33 प्रतिशत है। राष्ट्रीय श्रम आयोग जिसने अपना प्रतिवेदन 1969 में प्रस्तुत किया, ने गैर-कृषि क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगभग 100 लाख लगाया। इसके अतिरिक्त कुटीर और घरेलू उद्योगों तथा हस्तशिल्पों में 'कर्मचारियों' के अलावा वड़ी संख्या में श्रमिक हैं जिनकी संख्या 1961 की जन-गणना के अनुसार 110 लाख है।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन में असंगठित श्रमिकों का निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :–

(1) ठेके पर लगाये जाने वाले श्रमिक।

(2) निर्माण कामगर।

(3) नैमस्तिक श्रमिक।

(4) लघु-उद्योगों में लगे कामगर।

(5) बीड़ी कामगर।

(6) दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कामगर।

(7) मेहतर और अपनार्जक।

(8) चमड़ा शोधन व्यवस्था और चमड़े के सामान के निर्माण कार्य में लगे कामगर।

(9) जनजातीय श्रमिक।

(10) सहकारी क्षेत्र के श्रमिक।

(11) असुरक्षित श्रमिक।

(ग) ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 कृषि-श्रमिकों-पर लागू होते हैं। वाणिज्यिक आधार पर चलाये जा रहे कृषि फार्म भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 विशिष्ट बागानों में कार्यरत कृषि-श्रमिकों को लागू होता है। कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923

ट्रैक्टर या भाप अथवा अन्य यांत्रिक शक्ति अथवा बिजली द्वारा चलाये जाने वाले अन्य साधनों से की जाने वाली खेती में लगे श्रमिकों पर लागू होता है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम विशेषकर असंगठित और शोषित-श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त असंगठित श्रमिकों के कुछ वर्गों को अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए सांविधिक ग्रंथ में अन्य बहुत से विधान हैं जैसे ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम आदि। भवन और निर्माण उद्योग तथा फिल्म उद्योग में कामगरों के लाभों के लिए नए विधान लाने के भी प्रस्ताव हैं।

बंगलादेश और भारत के बीच यात्रा पर लगाये गये प्रतिबन्ध

5020. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलादेश और भारत के बीच यात्रा पर बंगलादेश ने कुछ और प्रतिबंध लगाये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। बंगलादेश सरकार ने निर्णय किया है कि मौज मनाने की यात्राओं के लिए पासपोर्ट जारी नहीं किए जाया करेंगे। पासपोर्ट एक वर्ष में भारत की एक यात्रा करने के लिए वैध होंगे लेकिन यह प्रतिबंध इन श्रेणियों के लोगों पर लागू नहीं होगा : (क) सरकारी कार्य या छुटी या शिष्टमंडल में जानेवाले सरकारी कर्मचारी जैसा कि सरकार ने निर्णय किया हो ; (ख) संबद्ध मंत्रालय की सिफारिश पर, व्यापार के उद्देश्य से भारत की यात्रा करने वाले समुचित व्यापारी ; (ग) शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा संस्तावित अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थी ; (घ) चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर भारत में इलाज के लिए जाने वाले रोगी ; और (ङ) मानवीय आधार पर भारत की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति।

(ख) बंगलादेश की सरकार ने अपने राष्ट्रिकों की विदेश यात्रा के विषय में ये नियम निर्धारित किये हैं ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके और भारत सरकार उनके निहित कारणों की पूर्णरूप से सराहना करती है।

गुजरात और दादर तथा नगर हवेली में कोयले की कमी

5021. **श्री रामूभाई पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सारे गुजरात और संघ राज्य-क्षेत्र दादर तथा नगर हवेली में कोयले की बहुत अधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र दादर तथा नगर हवेली को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने की दिशा में क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों की कोयले संबंधी जरुरतों में अपार वृद्धि होने के कारण जिन्हें वैगनों के आबंटन में प्राथमिकता प्राप्त है, उपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को, विशेषकर उन्हें जिन्हें कोयला रेल द्वारा प्राप्त होता है, देश भर हाल ही के महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुजरात तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के उपभोक्ताओं को किसी विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

रेलवे तथा कोयला उत्पादक संगठन कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने के लिए उपाय कर रहे हैं और इनसे सारे देश में स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होने की आशा है। सरकार ने भी, हाल ही में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोयले की परिवहन और वितरण संबंधी समस्याओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा निर्मित कार के मामले में मोटर गाड़ी की परीक्षण करने की सामान्य प्रक्रिया को समाप्त करना

5022. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मारुति लिमिटेड ने औद्योगिक विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा बनाए जाने वाली मोटर कार के मामले में मोटर गाड़ी की परीक्षण करने की सामान्य प्रक्रिया समाप्त कर दी जानी चाहिए तथा बिना ऐसे परीक्षण के उनको औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां तो उनके मंत्रालय ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक लाइसेंस जारी होने से पहले गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान द्वारा आद्यरूप के परीक्षण और अनुमोदन की विशिष्ट शर्त को समाप्त करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) मैसर्स मारुति लिमिटेड को सूचित किया गया था कि जब तक गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर द्वारा उनकी आद्यरूप कार को सड़क पर चलने योग्य होने के लिए अनुमोदित नहीं करता तब तक उन्हें दिया गया आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंस में नहीं बदला जा सकता है।

P.O.Ws. Returned to Bangladesh by India

5023. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of Defence be pleased to state the number of Prisoners of War returned to Bangladesh by India?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : 58 prisoners of war of Bengali origin were handed over to Bangladesh in early 1972. Cases of another 25 such prisoners of war are being examined with a view to their repatriation to Bangladesh.

Counting of Ballot Papers in Delhi in Respect of Gujarat Congress Legislative Party Election

5024. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the counting of ballot papers of the Election for the leaders of Gujarat Congress Legislative Party was made in his Ministry in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b) The counting of the ballot papers was done in my office in the South Block. This was done by me in my capacity as Member of the Congress Working Committee and not as Minister for External Affairs. The Ministry of External Affairs was not involved in any way.

Recovery from Pakistan of Expenditure incurred on P.O.Ws. in India

5025. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Hindustan' (Hindi) dated the 23rd July, 1973 in which the Attorney-General of Pakistan, Mr. Yahiya Bakhtiyar, is reported to have stated that India cannot claim recovery of the expenditure incurred by her on Pakistani Prisoners of War; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Under the Third Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war, the power detaining prisoners of war shall be bound to provide free of charge for their maintenance and for the medical attention required by their state of health. However, advances of pay issued to prisoners of war shall be considered as made on behalf of the power on which they depend, and as such are recoverable for Pakistan. Statements of such advances paid to Pakistani Prisoners of War, are being prepared and will be sent to ICRC to ensure their reimbursement by Pakistan.

आगामी पांच वर्षों में तांबे की मांग तथा उसका उत्पादन

5026. **श्री डी० के० पंडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तांबे की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ख) इस समय तांबे का वास्तविक उत्पादन कितना हो रहा है ;

(ग) आगामी पांच वर्षों में तांबे की अनुमानित मांग कितनी होगी; और

(घ) इस अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तांबे की वर्तमान मांग लगभग 80,000 टन प्रतिवर्ष है ।

(ख) 1972-73 के दौरान देश में तांबे का वास्तविक उत्पादन 12,596 टन था । जनवरी—जुलाई, 1973 के दौरान वास्तविक उत्पादन 6526 टन है ।

(ग) पांचवीं योजना के अंत तक तांबे की अनुमानित मांग 100 हजार टन से अधिक होगी ।

(घ) हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड ने देश में तांबा उत्पादन के पर्याप्त विस्तार के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है । कम्पनी राजस्थान में खेतड़ी तांबा संकुल का विकास शुरू कर रही है जिसमें

एक प्रद्रावक होगा और जिसकी प्रतिवर्ष 31,000 टन इलेक्ट्रोलिटिक तांबा धातु शोधन क्षमता होगी। अनुसूची के अनुसार यह परियोजना 1973-74 में चालू की जानी है। कम्पनी द्वारा बिहार में राखा तांबा परियोजना, मध्य प्रदेश में मालंजखण्ड तांबा निक्षेप, आंध्र प्रदेश में अग्निगुण्डला तांबा-सीसा परियोजना और राजस्थान में दरीबा तथा चांदमारी तांबा परियोजनाओं का भी विकास किया जा रहा है। घटसिला में भारतीय ताम्र संकुल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आशा है पांचवीं योजना के अन्त तक तांबा-धातु का देशी उत्पादन बढ़कर लगभग 57,000 टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति आयात द्वारा की जाएगी।

देश में जस्ता की मांग और उसका उत्पादन

5027. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जस्ते की अनुमानित मांग कितनी है ; और

(ख) इस समय इसका कुल उत्पादन कितना हो रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश में 1973-74 के लिए जस्ते की मांग 131,000 टन आंकी गई है।

(ख) 1972-73 के दौरान देश में 22,836 टन जस्ते का उत्पादन हुआ और 1973-74 के दौरान लगभग 26,000 से 27,000 टन तक उत्पादन होने की आशा है।

छोटी कार के निर्माण में लगे उपक्रमी

5028. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कारों के निर्माण के लिए कितने उपक्रमियों को अनुमति दी गई थी ;

(ख) कुछ उपक्रमियों द्वारा छोटी कार का निर्माण-कार्य बन्द करने अथवा योजना के अनुसार उनका निर्माण न कर सकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) छोटी कार कब तक बाजार में आ जायेगी।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) कारों के निर्माण के लिए 12 नयी पार्टियों को आशय पत्र दिए गए हैं। एक पार्टी के आशय पत्र को व्यपगत होने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उद्यमी परियोजना को जारी रखने में इच्छुक नहीं था। दो पार्टियों ने बताया है कि उन्होंने आद्यरूप कारें विकसित की हैं। बाकी पार्टियां, आद्यरूप कारों का विकास करने में अब तक कोई अच्छी प्रगति न कर सकीं हैं। चूंकि नये उद्यमियों को किसी भी विदेशी सहयोग या विदेशी परामर्श व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी जाती है इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने गाड़ी अनुसंधान तथा विकास संस्थान, अहमदनगर के परीक्षक के पास सड़के पर चलने की योग्यता के परीक्षण के लिए भेजने हेतु आद्यरूप कारों का विकास करने में, बहुत कठिनाई हो रही है।

(ग) यह ठीक-ठीक बता सकना संभव नहीं है कि उनमें से कोई कब उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगा।

रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात परियोजनाओं द्वारा लौह पिंड, इस्पात, कोक तथा अन्य उप-उत्पादों का उत्पादन

5029. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : रूरकेला भिलाई और दुर्गापुर इस्पात परियोजनाओं में वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान उत्पादित लौह पिंड, इस्पात, कोक तथा अन्य उप-उत्पादों के आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : वर्ष 1970-71 और 1971-72 की अवधि में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में इस्पात पिंड, विक्रेय इस्पात, कोक और अन्य उपोत्पादों के उत्पादन के आंकड़े हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वर्ष 1971-72 के लिए अठाहरवीं वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं । यह रिपोर्ट पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है । वर्ष 1972-73 के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:—

(हजार टन)

इस्पात कारखाने

उत्पाद	राउरकेला	भिलाई	दुर्गापुर
इस्पात पिण्ड	1177.0	2107.9	722.8
विक्रेय इस्पात	764.8	1745.6	476.9
कुल कोक (सूखा)	1382.0	2384.6	1143.4
टार उत्पाद	46.435	93.552	31.657
बेनजांल उत्पाद	2.619	11.267	4.156
एमोनियम सल्फेट . . .	11.3	28.4	12.414
दानेदार धातुमल . . .	—	487.3	—

**(हजार किलो लिटर)

रूस के सहयोग से उड़ीसा में विमान द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण

5030. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सहयोग से उड़ीसा में विमान द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण करने की उड़ीसा सरकार की सिफारिश को केन्द्र द्वारा अनुमोदित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सम्बलपुर जिले के देवगढ़, रायरारवले और कुचिंदा सब डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्रों में किए गए कार्य को देखते हुए उपरोक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के पास रूस के सहयोग से उड़ीसा के संबलपुर, बालनगीर क्षेत्र सहित देश के कई भागों में हवाई निज सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव था, लेकिन 1971 में, मुख्यत: हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए देशी

क्षमता में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप, इसे त्याग देने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय किया गया है कि इस प्रकार के और सर्वेक्षण करने से पहले अब तक किए गए हवाई खनिज सर्वेक्षणों का मूल्यांकन किया जाए। हवाई सर्वेक्षणों के दौरान पाई गई असंगतियों पर अनुवर्ती कार्य के लिए काफी क्षेत्रगत कर्मचारियों और उपस्करों की आवश्यकता होती है और यह भी नए क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षणों के विस्तार को रोकने का कारण है।

(एक) बिलेटरी-रोलर (दो) एस०आर०एम०ए० री-रोलर (तीन) गौण री-रोलरों के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कच्चे माल का आवंटन

5031. **श्री पी० गंगादेव**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (एक) बिलेट री-रोलर (दो) एस० आर० एम० ए० री-रोलर तथा (तीन) अन्य गौण री-रोलरों के लिए गत एक वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कच्चे माल का कितना क्षमता-बार आवंटन किया गया; और

(ख) विभिन्न री-रोलरों के निष्क्रिय पड़े रहने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) सम्भवतः अभिप्राय स्टील री-रोलर मिल्ज एसोसियेशन आफ इण्डिया और विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा पंजीकृत बिलेट पुनर्बेलकों और स्क्रेप पुनर्बेलकों को बिलेट और अन्य पुनर्बेलन योग्य सामान के आवंटन से है। इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जहां तक बिलेट का सम्बन्ध है, उपलब्ध मात्रा को बिलेट पुनर्बेलकों को उनकी क्षमता के यथानुपात वितरित किया जा रहा है। इसमें सम्भरण और निपटारन महानिदेशालय तथा रेलवे आदि के आर्डरों को कुछ अग्रता दी जाती है। अतः उनमें से कोई भी निष्क्रिय नहीं हो सकते यद्यपि यह हो सकता है कि उनमें क्षमता से कम उत्पादन हो रहा हो क्योंकि इस समय बिलेट की उपलब्धि मांग से कम है।

जहां तक अन्य पुनर्बेलन योग्य सामान यथा अपरीक्षित रेल की पटरियां, रोल स्पायलस् आदि का सम्बन्ध है ये उत्पादन की प्रक्रिया में ही उत्पन्न होते हैं अतः ऐसे सामान की उपलब्धि समय-समय पर भिन्न-भिन्न होगी।

Recruitment of Harijans, Adivasis, Muslims, Christians and Other Minority Communities in Army

5032. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is no ban on the recruitment of Harijans, Adivasis, Muslims, Christians and other minorities in the army; and

(b) if so, the year-wise figures of the recruitment of persons belonging to the aforesaid minority communities in Navy, Airforce and Army, separately during the last three years and percentage thereof in the armed forces as a whole?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir; there is no such ban, except to the extent that recruitment is reserved for members of certain castes only, in those Regiments in which due to historical reasons and on grounds of tradition certain class compositions have been allowed to continue.

(b) Community and religion-wise statistics of recruitment into the Air Force and the Navy are not maintained. In the case of the Army, some statistics are kept relating to recruitment from different traditional sources. It will not, therefore, be feasible to furnish the details asked for.

Closure of South Bihar Sugar Mill, Bihta

5033. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether due to the closure of South Bihar Sugar Mills, Bihta for approximately two years, about 1500 labourers and employees thereof are facing starvation;

(b) whether the labourers have to come to report for duty and to go back after marking their attendance;

(c) whether the labourers have not been paid even a single paisa on account of their salary for the last 15 months; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to ensure payment of their salaries in future?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI G. VENKATSWAMY) : (a) to (d) The matter falls essentially in the state sector; information is being collected.

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी, टीटागढ़, को जेसप एंड कम्पनी के अन्तर्गत रखना

5034. **श्री हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री मोहम्मद इस्पाइल :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि टीटागढ़ स्थित ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेकर उसे जेसप एंड कंपनी के अंतर्गत रखा जाये ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी मांग के समर्थन में क्या स्पष्टीकरण दिए है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कारखाने के कार्मिक संघ से भी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) रोजगार पुनः स्थापन करना ।

(ग) कर्मचारी संघ से कारखाने को पुनः चलाने और रोजगार के पुनः स्थापन के लिये आवेदन मला था।

(घ) सरकार ने इस एकक को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है और इसको जेसप एण्ड_ कंपनी के प्रबंध के अंतर्गत रखा है।

"आर्म्स बिल्ड अप बाई द आइल रिच कान्ट्रीज इन वैस्ट एशिया" शीर्षक से समाचार

5035. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री सी० के० चन्द्रपन :

क्या रक्षा मंत्री "आर्म्स बिल्ड अप बाई द आयल रिच कन्ट्रीज इन वेस्ट एशिया" शीर्षक से समाचार के बारे में 26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका इन प्रत्येक देशों को किस प्रकार के शस्त्रास्त्र बेचना चाहता है ; और

(ख) अमरीका सरकार को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई इन देशों को करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और कर रही है नहीं तो खाड़ी के देश चोरी छिपे इनकी सप्लाई पाकिस्तान को करेंगे जो अंततः भारत के विरुद्ध उपयोग में लाये जाएंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस बारे में सरकार के पास उपलब्ध सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान विदेश मंत्री द्वारा 9-8-73 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2758 के संबंध में दिए गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

बोकारो, भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों को हुई हानि

5036. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जुलाई 1973 तक के महीनों के दौरान कोयले और बिजली की सप्लाई कम होने के परिणामस्वरूप बोकारो, भिलाई, रूरकेला, और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में उत्पादन कम होने के कारण कितनी हानि हुई है; और

(ख) इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस अवधि में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में विक्रय इस्पात के रूप में उत्पादन में 1 लाख 12 हजार टन की हानि होने का अनुमान है । विक्रय इस्पात का इस मात्रा का मल्य लगभग 12 करोड़ रुपये होगा। इस अवधि में बोकारो इस्पात कारखाने में कच्चे लोहे के रूप में लगभग 33,735 टन उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों और दामोदर घाटी निगम से कोकिंग कोल खानों और कोयला धोवनशालाओं को बिजली की सप्लाई करने में उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए विशेष आग्रह किया

गया है । इस बात पर भी सहमति है कि इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए। इन सभी अभिकरणों से सतत सम्पर्क रखा जा रहा है।

Number of Scheduled Castes/Tribes Officials in Indian Embassies Abroad and those Appointed on Ambassadorial Assignments

5037. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether any capable persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been sent on Ambassadorial assignments to the Indian Embassies in foreign countries;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes officials working in the Embassies?

The Minister of state in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) 4 (Scheduled Castes – 3

Scheduled Tribes – 1)

(c) The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes officials, under the control of Ministry of External Affairs, working in the Indian Missions abroad is 81 (Scheduled Castes – 70, Scheduled Tribes – 11).

रेलवे में श्रेणीवार हड़तालें और आन्दोलन

5038. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे में श्रेणीवार हड़तालों और आन्दोलनों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इनके कारणों का कोई विश्लेषण किया गया है ;

(ग) यदि कोई समझौते किये गये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या श्रम मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के विभिन्न भागों के अधीन उपक्रमों में औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए कोई रोल अदा करता है या उसे ऐसा करने की अनुमति है अथवा क्या उसका रोल केवल गैर-सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) इन हड़तालों और आन्दोलनों का मुख्य कारण उनके सम्पर्क के माध्यम के दावे पर जोर देना

(ग) रेल मन्त्री द्वारा संसद में 13-8-1973 को लोको रनिंग कर्मचारियों की विगत हड़ताल के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गयी । दखिये संख्या एम० टी० 5665/73]**

(घ) जी हां। इसकी एक भूमिका निधि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।

राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् को सरकार का समर्थन

5039. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व श्रम मंत्री ने राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् स्थापित करने में प्रमुख भूमिका अदा की थी ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसके कारण सरकार की आलोचना हुई है कि वह "कार-पोरेट स्टेट्स" की भांति एक सरकारी श्रम मोर्चा बनाने का प्रयत्न कर रही है और कि राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् को उग्र मजदूर संघों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् संबंधी योजना को समर्थन देना बन्द करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् की स्थापना राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा द्वारा की गई थी।

(ख) अखबारी खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना के संबंध में देश के कुछ ट्रेड यूनियन संगठनों ने कुछ आलोचना की।

(ग) सरकार इस बात को देखने के लिये उत्सुक है कि देश में मजदूर आन्दोलन में व्याप्त विभाजन समाप्त हो जाये और वह इस दिशा में किये जाने वाले किसी भी प्रयास का स्वागत करेगी।

आय तथा मजदूरी संबंधी नीति

5040. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय तथा मजदूरी संबंधी नीति के बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार किया गया है ;

(ख) क्या इस संबंध में कार्मिक संघों से विचार-विमर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं और कार्मिक संघों के साथ हुए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे, भारतीय उर्वरक निगम और भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर रोक

5041. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, भारतीय उर्वरक निगम और भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर रोक लगाने से पूर्व श्रम मंत्रालय से विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इन कार्यवाहियों का सुझाव दिया था ;

(ग) क्या इन अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व कार्मिक संघों से विचार विमर्श किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उन कार्मिक संघों के नाम क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भारत सुरक्षा नियमावली 1971 के नियम 118 के अधीन रेलों में और भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी की गई । भारतीय खाद्य निगम के बारे में उक्त नियमों के अधीन कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) लागू नहीं होता ।

हिन्द साइकल्स लिमिटेड में विवाद

5042. **श्री मधु लिमये**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द साइकल्स लिमिटेड में कोई विवाद है ;

(ख) क्या इस कम्पनी में 60 प्रतिशत से अधिक शेयर सरकारी वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं ;

(ग) क्या बिड़ला बन्धुओं के पास केवल 11 प्रतिशत शेयर हैं ;

(घ) क्या उन्होंने इस विवाद को हल करने के लिए वित्त मंत्री और राज्य सरकार की सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रबन्धतन्त्र ने पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें उनका यह आशय सूचित किया गया था कि यह कारखाना वित्तीय कठिनाइयों के कारण पहली अगस्त 1973 से बन्द किया जायेगा। लेकिन प्रबन्धतंत्र ने कारखाना बंद करने की तारीख को एक महीने के लिये स्थगित कर दिया है।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास संयुक्त पूंजी (सामान्य शेयर और पूर्वाधिकार अंश) का लगभग 70 प्रतिशत था और बिरला ग्रुप के पास संयुक्त पूंजी का 11 प्रतिशत था।

(घ) और (ङ) जहां तक कारखाने को ठीक तरह से चलाने के लिये अब तक यथा-सम्भव प्रयास करने का प्रश्न है राज्य सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे रही है।

दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के भारतीय कर्मचारियों का डालर चैकों की चोरी में अन्तर्गस्त होना

5043. **श्री राम प्रकाश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के कुछ भारतीय कर्मचारी अमरीकी डालर के चैकों की चोरी में अन्तर्गस्त थे ; और

(ख) यदि हां तो उनके कार्य करने का तरीका क्या था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अमरीकी राजदूतावास के कुछ स्थानीय कर्मचारियों को डाक कक्ष में तैनात किया गया था और इस प्रकार राजदूतावास के कर्मचारियों की आने और जानेवाली डाक तक उनकी पहुंच थी जहां से वे कथित रूप से अमरीकी डालर चैक चुराते रहे हैं और उन पर जाली पृष्ठांकन करते रहे हैं। कहा जाता है कि ये चैक किसी प्राइवेट पार्टी के पास भूनाने के लिए भेज दिए जाते थे। अमरीकी राजदूतावास ने उन कर्मचारियों को 16 जुलाई, 1973 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और राजदूतावास से औपचारिक तौर से शिकायत मिलने पर पुलिस ने भारतीय दंड सहिता की धारा 379 और 468 के अंतर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है । पुलिस अधिकारी इस मामले की आगे जांच कर रहे हैं।

जनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय निगमों की समस्याओं पर विचार विमर्श

5044. **श्री झारखंडे राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की समस्या पर विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां तो इस विचार विमर्श का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) बहुराष्ट्रीय निगमों के सम्बन्ध में भारत का क्या दृष्टिकोण है तथा विकासशील देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने अपनी रिपोर्ट—"कल्याण के लिये समृद्धि" में ो कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अठावनवें सत्र (जनेवा जून, 1973) में रखी गई बहुराष्ट्रीय निगमों का हवाला दिया था और भारतीय शिष्टमंडल के नेता सहित कई व्यक्तियों ने रिपोर्ट पर सामान्य विचार विमर्श के दौरान इस विषय पर बहस की । इसके अतिरिक्त इस विषय पर इटली, चीली, यू० एस० एस० आर० एवं हंगरी से आये हुए श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा एक संकल्प भी प्रस्तुत किया गया था। हालांकि सम्मेलन की संकल्प समिति द्वारा विचार के लिये अग्रता दिए गये पांच संकल्पों में से यह एक संकल्प था समय के अभाव के कारण इस पर विचार विमर्श नहीं किया जा सका।

(ग) महानिदेशक की रिपोर्ट पर बोलते हुए भारतीय शिष्टमंडल के नेता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि बहुराष्ट्रीय निगम वास्तव में टांसनेशनल कम्पनियां हैं जो कि प्रायः अति सरकारों

के रूप में कार्य करने का प्रयत्न करती हैं । इन उद्यमों के अधिकार में इतने वित्तीय साधन हैं जो विकासशील देशों के दो तिहाई राष्ट्रीय उत्पादन से भी कई गुना अधिक है । इसके फलस्वरूप, (i) विकासशील देशों की वचन और निदेश करने की क्षमता गम्भीर रूप से क्षीण हो जाती है ; (ii) इन बृहत कम्पनियों के समक्ष विकासशील देशों की सौदाकारी की क्षमता बहुत निर्बल है ; और (iii) बहु-राष्ट्रीय उद्यम पद्धति द्वारा नियोजित श्रमिकों की राष्ट्रीय टुकड़ियों की सौदाकारी की शक्ति कम हो जाती है । इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि इन कम्पनियों के कार्यकलापों एवं संक्रियाओं को एक अंत-र्राष्ट्रीय संहिता द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए ।

उपदान अधिनियम का संशोधन

5045. **श्री झारखंडे राय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपदान अधिनियम में परिवर्तन लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या परिवर्तन किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) उपदान भुग-तान अधिनियम, 1972 में संशोधन हेतु कुछ प्रस्ताव अन्य बातों के साथ-साथ इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने, एक संविधिक उपदान निधि स्थापित करने और अधिनियम के अधिनियमन से पूर्व श्रमिकों को उपलब्ध श्रेष्ठतर लाभों को बचाने की दृष्टि से, विचाराधीन हैं ।

Need and Availability of Steel by the End of Fifth Five Year Plan

5046. **Shri M.C. Daga**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the quantity of steel that would be needed by the country by the end of the Fifth Five Year Plan and the quantity of steel which would be available at that time?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : The domestic demand for steel in 1978–79, i.e. at the end of the Fifth Five Year Plan, has been estimated at 10.6 million tonnes in terms of saleable steel. The draft proposals for the steel development programme in the Fifth Plan period envisage expansion of Bhilai Steel Plant from 2.5 million ingot tonnes to four million ingot tonnes, expansion of Bokaro Steel Plant to 4.75 million ingot tonnes and continuing the work on the three new steel plants at Salem, Vijayanagar and Visakhapatnam. Proposals are also under consideration for expansion of the Jamshedpur Works of the Tata Iron and Steel Company. The programme has been so drawn up as to ensure near self-sufficiency in the matter of mild steel production by the end of the Fifth Plan period.

Expenditure of Staff in Indian High Commission, U.K.

5047. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be plea sed to state the total expenditure incurred on the staff of our diplomatic Mission in U.K. during 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : The total expenditure on the staff of all the Wings of our High Commission in U. K. during 1972 was Rs.204.22 Lakhs.

Condition of Domestic Servants

5048. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of domestic servants in the country and whether Government have ever paid attention to their pitiable condition; and

(b) whether any Act so far been passed in regard to these domestic servants and whether action has been taken against any master of a domestic servant under that Act?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) The question of providing statutory protection to domestic servants and of exploring ways and means of improving their conditions of service has been considered by the Central and State Governments from time to time. It has, however, not been found possible to make any statutory provisions for the purpose, mainly because of the difficulty of enforcing any such law and the possibility of such an enactment resulting in large-scale retrenchment of domestic servants.

(b) No, Sir.

हड़तालों के कारण जन-दिवसों की हानि के राज्यवार आंकड़े

5049. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में, राज्यवार, कितनी हड़तालें हुई और विभिन्न राज्यों में प्रत्येक हड़ताल के परिणामस्वरूप कितने जन-दिवसों की हानि हुई और विभिन्न राज्यों में हड़तालें किन-किन तारीखों को हुई ;

(ख) प्रत्येक हड़ताल में क्या-क्या मामले उठाये गये और विभिन्न राज्यों में हड़तालों का आह्वान करने वाले दलों और संगठनों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्रों की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त मांगों का, राज्यवार, ब्यौरा क्या हैं : और

(ग) क्या सरकार ने हड़तालकर्त्ताओं की किसी मांग को स्वीकार किया है और यदि हां, तो तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भारत द्वारा नौ-सूत्री योजना का पेश किया जान

5050. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :**
श्री मधु दण्डवते :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन में नौ-सूत्री योजना रखी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अन्य राष्ट्रमण्डल देशों द्वारा उसे कहां तक स्वीकार किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रमण्डल देशों के व्यापार के भविष्य के बारे में विचार करने के लिए हमने निम्नलिखित 6 मुद्दे रखे थे :—

(1) यू० के० को और यू० के० द्वारा दी जाने वाली वरीयता समाप्त हो जाने के बाद भी राष्ट्रमण्डल देशों के बीच चल रही तरजीह की वर्तमान प्रणाली बनी रहे।

(2) ब्रिटेन से राष्ट्रमण्डल देशों के विशेष व्यापार संबंध कम से कम एक वर्ष तक और कायम रखे जायें ताकि ये देश यूरोपीय साझा बाजार के साथ उपयुक्त व्यापार समझौते कर सकें और उन्हें लागू कर सकें।

(3) राष्ट्रमण्डल के सदस्य कुछ विकासशील देशों को यूरोपीय साझा बाजार से सहयोग के लिए प्रस्तावित शर्तें ऐसी होनी चाहिए जिनसे उसके व्यापार के वर्तमान हित भली प्रकार सुरक्षित रहें।

(4) राष्ट्रमण्डल के देश यूरोपीय साझा व्यापार के प्रति उन वस्तुओं के बारे में संयुक्त नीति अपनाने पर विचार करें जो राष्ट्रमण्डल देशों के लिए समान रुचि की हैं।

(5) व्यापार सम्बन्धी आगामी बहुपक्षीय विचार विमर्श के दौरान विकासशील देशों के व्यापार सम्बन्धी हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिये और राष्ट्रमण्डल देशों को इस दिशा में कार्य करना चाहिये।

(6) जी एस पी प्रस्तावों के क्षेत्र और विस्तार में प्रर्याप्त सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर यूरोपीय साझा बाजार के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया से ब्रिटिश योजना की प्रगामी विशेषताएं कम नहीं हो जानी चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति में सुधार के लिए हमने सम्मेलन के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित सिद्धांत रखे :—

(क) एस डी आर और विकास वित्त के बीच संबंध होना न केवल सिद्धांततः ही आवश्यक है किन्तु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार के संदर्भ में विकासशील देशों को विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के लिए व्यावहारिक उपायों के रूप में भी यह वांछनीय है।

(ख) सभी देश यथाशीघ्र एक स्थायी तथा समायोजनीय विनिमय दरों की प्रणाली का अनुसरण करें।

(ग) एस डी आर को उत्तरोत्तर प्राथमिक आरक्षित परिसम्पत्ति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ठोस कदम उठाने चाहिये।

(ग) हमारे प्रस्तावों का सामान्यतः सभी ने और विशेषकर राष्ट्रमण्डल के विकासशील देशों ने समर्थन किया। यह सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति से भी प्रकट होता है जिसकी एक प्रति दिनांक 16 अगस्त, 1973 को अतारांकित प्रश्न सं० 3315 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी जा चुकी है।

खेतड़ी ताम्बा परियोजना की कोलीहान खान में खनन कार्य के सम्बन्ध में भारत गोल्ड फील्ड, कोलार के साथ करार

5051. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी ताम्बा परियोजना की कोलीहान खान में खनन कार्य के लिए भारत गोल्ड फील्ड, कोलार के साथ किये गये करार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कोलीहान खान में काम का ठेका भारत गोल्ड फील्ड लिमिटेड या किसी अन्य एजेंसी को ने से खेतड़ी परियोजना को किस प्रकार लाभ होता है; और

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार के काम को विभागीय श्रमिकों से जिन्हें पर्याप्त अनुभव और वशेष जानकारी प्राप्त हो चुकी है करवाने का विचार है और यदि नहीं, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को खेतड़ी ताम्बा परियोजना की कोलीहान खान में वितरण-सुरंग खोदने का कार्य सौंपा गया है ।

(ख) सुरंग खोदना एक विशिष्ट कार्य है जिसमें मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त है । अतः इस ठेके से कोलीहान में खान निर्माण के एक नाजुक-क्षेत्र के त्वरित विकास में सहायता मिलेगी ।

(ग) विभागीय श्रमिकों द्वारा भी इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। खेतड़ी ताम्बा परियोजना के जिन पांच क्षेत्रों में सुरंग खोदने और सुरंग के यंत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है, उनमें से तीन क्षेत्रों में यह कार्य विभाग द्वारा ही किया जा रहा है ।

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बीमा

5052. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सरकार सभी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । तथापि, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि के अंशदान की दर को वेतन के 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि अतिरिक्त अंशदानों का, सीमान्त समंजन के साथ, औद्योगिक श्रमिकों के लिये बेरोजगारी बीमा सहित नए लाभों का वित्त-प्रबन्ध करने हेतु प्रयोग किया जाये। उन व्यक्तियों के लिए, जो कि नियोजित हैं परन्तु थोड़ी अवधि के लिये बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगारी बीमा की योजना आरम्भ करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के बाद विचार किया जायेगा ।

कोयला खानों के कर्मचारियों के लिए मकान

5053. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खानों में काम कर रहे कितने कर्मचारियों के लिये क्षेत्र-वार मकानों की व्यवस्था की गई और कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला खानों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिये बनाये जाने वाले क्वार्टरों का क्या विवरण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) कोयला खानों में श्रमिकों की आवास दशाओं के संबंध में श्रम ब्यूरो द्वारा 1966-67 में किये गये आंशिक द्रुत सर्वेक्षण के अनुसार कोयला खानों में नियोजित श्रमिकों की संख्या और उन श्रमिकों की संख्या जिन्हें मानक तथा अन्य प्रकार के मकान दिये गये हैं, नीचे दी जाती है :—

राज्य का नाम	प्राक्कलित रोजगार	श्रमिकों की प्राक्कलित संख्या	
		जिन्हें मानक टाइप के मकान दिये गये हैं	जिन्हें मानक टाइप को छोड़कर अन्य प्रकार के मकान दिये गये हैं
(1)	(2)	3(क)	3(ख)
आसाम	6,384	361	4,294
पश्चिम बंगाल	1,39,290	19,947	29,504
बिहार	2,43,541	40,660	67,089
मध्य प्रदेश	42,655	9,664	14,970
महाराष्ट्र	8,442	126	2,532
उड़ीसा	5,716	1,708	320
जोड़ .	4,46,028	72,466	1,18,709

(नोट : कोकिंग तथा गैर- ोकिंग कोयला खानों के संबन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

कोकिंग तथा गैर-कोकिंग, कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या दिसम्बर 1972 में 4,08,892 (अनंतिम) थी। कोयला खान श्रम कल्याण निधि की सहायता से अब तक बनाये गये मकान जिनको दिये गये हैं, क्षेत्रवार नीचे दी जाती है :—

क्षेत्र का नाम	कोकिंग	गैर-कोकिंग
आंध्र प्रदेश	—	5,019
आसाम	—	116
बिहार	10,421	22,947
मध्य प्रदेश	—	7,921
महाराष्ट्र	—	722
उड़ीसा	—	1,098
पश्चिम बंगाल	460	20,588
	10,881	58,411

(ख) सरकार ने नयी आवास योजना के अन्तर्गत भारत कोकिंग कोल कम्पनी लि० के लिये 3334 मकानों और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये निम्न लागत आवास योजना के अन्तर्गत 2,000 और मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है ।

Non-Deposit of E.P.F. by certain Mills in Madhya Pradesh

5054. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether complaints have been received regarding the non-depositing of the amount of Provident Fund in time and utilising the said amount for their own purposes by Mansaur Textile Mill, Sajjan Textile Mill, Ratlam, Vinod Textile Mill, Ujjain, Jaora and Mahidpur Sugar Mills and Rajkumar Mills, Indore in Madhya Pradesh;

(b) if so, the total amount of Provident Fund that should have been deposited by these Mills upto 1972-73 and the actual amount deposited so far; and

(c) the action taken by Government in regard to the misuse of the amount of Provident Fund?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) to (c) The information is being collected by Provident Fund Authorities. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा बिजली की मशीनों और उपकरणों का विदेशों को निर्यात

5055. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में भोपाल स्थित हैवी इवैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कितनी बिजली की मशीनों और उपकरणों को विदेशी को निर्यात किया ;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड्के गत दो वर्ष के लाभ और हानि के आंकड़े क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) एक सारणीवद्ध विवरण संलग्न है ।

विवरण

(मूल्य लाख रुपयों में)

निर्यात की गई वस्तुएं	1971-72		1972-73	
	सेटों की संख्या	मूल्य	सेटों की संख्या	मूल्य
1. 11 के वी और 33 के वी स्विचगियर उपकरण जिसमें सरकिट ब्रेकरे, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करन्ट ट्रांसफार्मर कंट्रोल पेनल आदि भी सम्मिलित है	32	9.37	73	5.97
2. मोटर और कंट्रोल गियर	12	4.77	10	8.35
3. रिएक्टर सहित ट्रांसफार्मर	1	0.33	7	8.60
4. विविध	—	0.92	—	3.18
निर्यात का कुल मूल्य		15.39		26.10
5. एच० ई० आई० एल० द्वारा किये गये कुल व्यापार पर लाभ/हानि		142.00 (हानि)		507.53 (लाभ)

Pakistani Infiltration in Barmer area of India

5056. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Pakistani citizens enter the Barmer area without any hinderance;

(b) whether some people of Chauhatan Tehsil of Barmer went to Pakistan without any valid passport during June, 1973 and came back without any check;

(c) whether thousands of Pakistanis have infiltrated into India in this way; and

(d) whether Government have not taken any action to send them back?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram : (a) to (d) Information in this regard is being obtained and will be laid on the Table of the House.

हिन्द साइकिल लिमिटेड में ताला-बन्दी की घोषणा करने की योजना

5057. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित "हिन्द साइकल" के प्रबन्धको ने कर्मचारियों के आन्दोलन के बाद फैक्टरी में तालाबन्दी की घोषणा करने की अपनी योजना स्थगित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहे और फैक्टरी को फिर से बन्द करने की धमकी न दी जाये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रबन्धतंत्र ने कारखाने को बन्द करने की तारीख एक महीने स्थगित करके सितम्बर 1, 1973 कर दी है । जहां तक इस कारखाने को ठीक तरह से चलाने के लिये यथा-संभव प्रयास करने का प्रश्न है राज्य सरकार पहले ही इस मामले पर ध्यान दे रही है ।

बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए अधिनियम में संशोधन

5058. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन बोनस अधिनियम में संशोधन करने की लगातार मांग करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) बोनस पुनरीक्षण समिति इस मामले पर विचार कर रही है । इसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

Hunger Strike by Employees of Pathankot Military Farm

5059. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether some of the employees working on the military farm in Pathankot went on hunger strike during August, 1973;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) and (b) Some of the employees of Military Farm, Pathankot resorted to 24 hours hunger strike in batches with effect from 1-8-73 for fulfilment of certain demands mentioned in a notice dated 11-7-73 sent by Western and Northern Command Military Farms. Employees Union to the Director of Military Farms.

(c) The office bearers of the Union discussed their demands with the Director, Military Farms when the position was explained to them.

Civilian Staff working in Ordnance Factories

5060. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of Indian Civilian Staff working in Ordnance Factories of India?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : The total number of Indian Civilian Staff, including Officers, working in the Ordnance Factories Organisation as on 1-6-1973 is 1,50,302.

Expenditure on Bhagwati Committee

5061. **Shri Kukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilation** be pleased to state:

(a) the date on which Bhagwati Committee appointed to make recommendation on providing employment to unemployed persons was set up; and

(b) the total expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) (a) 19-12-1970.

(b) . 21,34,865/- up to 31-7-1973.

Accident of I.A.F. Plane near Lucknow

5062. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be leased to state:

(a) whether an I.A.F. Plane met with an accident near Lucknow in August, 1973; and

(b) the results of the enquiry conducted by Government, the estimated loss suffered by Government and the nature of the assistance given to the families of the persons killed in the accident?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The Court of Inquiry has not yet completed its report. The estimated loss to the Government property amounts to Rs. 1,37,805 (cost of aircraft destroyed). Details of the assistance admissible/already given to the next-of-kin of the Air Force officers killed in the accident are given in the attached statement.

Statement

The names of the Air Officers killed in the accident are Flt. Lt. S. K. Singh and Flg. Officer H. P. S. Gill. The details of assistance admissible/already given are as under:—

Flt. Lt. S. K. Singh (Married)

Pensionary Benefits (Public Funds)

(i) Family Gratuity:	Rs. 2,670	(75% of it has been paid to the widow).
(ii) Ex-gratia payment:	Rs. 42,000	
(iii) Death-cum-retirement Gratuity:	Rs. 9,960	
(iv) Special family pension:	@Rs. 170 p.m.	
(v) Children allowance:	@Rs. 40 p.m.	
(vi) Ad hoc increase:	@Rs. 10 p.m.	

Assistance from IAF Benevolent Fund

(i) Death grant payable in 12 instalments:	Rs. 6,500 (Rs. 1,000 paid on 16-8-73)
(ii) Rehabilitation grant @Rs. 150 p.m. for a period of 10 years under Family Assistance Scheme (Officers) w.e.f. August 1973.	Rs. 18,000 (Rs. 150 paid on 16-8-73)

In addition, wife of late Flt. Lt. S. K. Singh is also eligible for re-imbursement of House Rent @Rs. 150 p.m. for a period of three years.

Flg. Officer H. P. S. Gill (Unmarried)

Pensionary Benefits (Public Funds)

(i)	Family Gratuity:	Rs. 1,000
(ii)	Ex-Gratia payment:	Rs. 42,000
(iii)	Death-cum-retirement Gratuity:	Rs. 3,750
(iv)	Dependent's pension @Rs. 128 p.m. (maximum) for both the parents and @Rs. 96 p.m. (maximum) for single parent, subject to means limit.	

Assistance from IAF (Benevolent Fund)

(i)	Death Grant:	Rs. 3,000 (Rs. 1,000 paid on 21-8-73).
(ii)	Dependent is also eligible for rehabilitation grant of Rs. 150 p.m. for a maximum period of 10 years under the Family Assistance Scheme (Officers) subject to merits of the case.	

वर्ष 1972-73 में उपभोक्ता उद्योगों में जन-दिवसों की हानि

5063. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में गर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में स्थिति वनस्पति, मिट्टी के तेल जैसे उपभोक्ता उद्योगों में उद्योगवार श्रमिक कठिनाइयों और हड़तालों के कारण जन दिवसों की कितनी हानि हुई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुई श्रमिक कठिनाइयों और हड़तालों के कारण कितनी कीमत तथा कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम किया गया ; और

(ग) अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले उक्त उद्योगों में हड़तालें समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संबंधी कार्यक्रम

5064. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) प्रति व्यक्ति का प्रशिक्षण देने पर कितना खर्च आता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई० टी० ई० सी०) कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल हैं ;

1. विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था ;
2. विदेशों में विशेषज्ञों की दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति;
3. पूंजीगत माल का उपहार, उपस्कर, भेषज, औषधियों आदि की भेंट ;
4. संभाव्यता अध्ययन और आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता; और
5. कुछ देशों में जिनसे हमारा आर्थिक सहयोग समझौता है, विशिष्ट परियोजनाएं हाथ में लेना।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5566/73]

लखनऊ में स्कूटर कारखाने की स्थापना

5065. **श्री अनन्त प्रसाद घुसिया** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर (इंडिया) लिमिटेड लखनऊ में इस वर्ष एक स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा;

(ख) क्या बेरोजगार इंजीनियरों को सहायक पुर्जे बनाने के लिए औद्योगिक शैडों का आवंटन करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमकर्त्ताओं को भी कुछ शैडों का आंवटन किया जायेगा?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के परामर्श से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा स्व-नियोजित इंजीनियरों को आवंटित करने के लिए औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जा रही हैं।

(ग) यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उद्यमियों को आवंटित करने के लिए शैड आरक्षित नहीं किए गए हैं फिर भी अन्य बातें समान होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उद्यमियों को वरीयता दी जायेगी।

मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का जमा न करना

5066. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने मालिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन-राशि को उक्त खाते में जमा नहीं कराया है और इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली उन दोषी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें इस कारण एक लाख रुपये का भुगतान करना है ;

(ख) उन सरकारी (केन्द्रीय और राज्य) कम्पनियों और निगमों के नाम क्या हैं जिनका नाम दोषी कम्पनियों और निगमों की सूची के अन्तर्गत आता है और वे कम्पनियां और निगम इसके लिए कब से दोषी हैं; और

(ग) उक्त सरकारी अथवा गैर-सरकारी फर्मों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम की राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :–

(क) (1) उन नियोजकों की संख्या जिन्होंने, अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 31-3-1973 तक की अवधि की देय राशियों की चुकती नहीं की 8 330 है।

(2) ऐसे नियोजकों के नाम, जिन्होंने एक लाख और उससे अधिक की राशि के भुगतान में चूक की थी, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5567/73]**

(ख) चूककर्त्ता सरकारी उपकर्मों की संख्या 234 है। वह अवधि जबसे वे चूक कर रहे हैं, कारखाने के संबंध में भिन्न भिन्न हैं।

(ग) (1) बकाया राशि की वसूली, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45 वीं के अन्तर्गत भू-रास्व की बकाया की तरह की जाती है।

(2) बकाये को अधिनियम की धारा 75 (2) के अन्तर्गत दीवानी कार्यवाही के जरिये भी वसूल किया जाता है।

(3) जहां कहीं आवश्यक होता है। चूक कर्त्ता नियोजकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 85 के अर्न्तगत भी फौजदारी कार्रवाई की जाती है।

भविष्य निधि की बकाया राशि

5067. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 को प्रत्येक औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थापनों द्वारा भविष्य निधि की राज्यवार बकाया राशि क्या थी; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस राशि का भुगतान न करने वालों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि-प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :–

(क) ऐसे छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों, जिन्होंने 11 लाख और उससे अधिक की राशि की अदायगी में चूक की है के सम्बन्ध में भविष्य निधि के बकाये का राज्यवार विवरण, जैसी की स्थिति 31-3-1973 को थी, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5568/73]**

(ख) ऐसे छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के खिलाफ ,जो देय राशि की अदायगी और अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने में चूक करते हैं, निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है :-

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जाता है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पैन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्यवाही की जाती है।

(3) उपयुक्त मामलों में धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती हैं।

(4) चूक को नियोजकों तथा श्रमिकों के संगठनों जिन में यूनियनें शामिल हैं के ध्यान में लाया जाता है।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ब के अन्तर्गतत दंड क्षतियां लगाई जाती हैं।

(6) कुछ मामलों में यथोचित गारंटी, जमानत आदि के प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिष्ठानों देय राशियों का भुगतान उचित किश्तों में करने के लिये मौका दिया जाता है ।

(7) ऐसी कपड़ा मिलों के संबंध में, जो दिवालिया हो गई हैं, बनाई गई पुनर्निर्माण योजनाओं की गुण दोष के अधार पर छानबीन की जाती है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के इस्पात लक्ष्य का पूरा होना

5068. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस्पात की मांग और पूर्ति अनुमानतः कितनी हुई है ;

(ख) क्या चौथी योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) चतुर्थ योजना निधि के अन्तिम वर्ष अर्थात 1973-74 में साधारण इस्पात की मांग लगभग 67 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 1973-74 में 61.7 लाख टन देशीय उत्पादन होने की संभावना है । देशीय उत्पादन से उपलब्धि तथा भाग के अन्तर को आयात द्वारा पूरा करने का विचार है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लगभग 14 लाख टन।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में इस्पात पिंडों तथा तैयार इस्पात का उत्पादन

5069. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्र में जुलाई 1972 से मई, 1973 के बीच इस्पात पिण्डों तथा तैयार इस्पात का मासवार कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) इस्पात के उत्पादन में सुधार किन कारणों से हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5569/73]**

(ख) इस वर्ष की प्रथम तिमाही में मुख्य इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन इस अवधि के लिए निश्चित किए गये लक्ष्यों से काफी कम हुआ है । उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण बिजली की अत्यधिक कमी थी जिसके कारण कोककर कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं में बहुत कम काम हुआ जिससे इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल सका। कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बेलन मिलों को कोक भट्टियों से पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं मिल सकी। भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों में बिजली की कमी का भी इस्पात बेलन कार्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ा ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर को नियंत्रण में लेने के बाद कच्चे लोहे और इस्पात पिंड का उत्पादन

5070. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर, पश्चिमी बंगाल को नियंत्रण में लेने के बाद इसमें कच्चे लोहे और इस्पात पिंड का कुल कितने टन उत्पादन हुआ; और

(ख) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व इसी अवधि में इसमें कुल कितने टन उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : **(क) और (ख)** सरकार ने 14 जुलाई 1972 को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। 1 जुलाई 1971 से 15 जुलाई 1972 तथा 16 जुलाई,/1972 से 31 जुलाई 1973 की अवधि के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

अवधि	कच्चा लोहा	इस्पात पिण्ड
	(टन)	
1-7-1971 से 15-7-1972	8,81,502	5,59,457
16-7-1972 से 31-7-1973	7 39,019	4,80,125

वर्ष 1969, 1970 और 1971 में दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में इस्पात पिण्ड के उत्पादन की मात्रा

5071. **श्री रोबिन सेन**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में कुल कितनी मात्रा में इस्पात पिंड का उत्पादन किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

इस्पात पिण्ड

(हजार टन)

वर्ष	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	राउरकेला इस्पात कारखाना
1969-70	818	1104
1970-71	634	1038
1971-72	700	823

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 1977-78 तक 14 लाख टन इस्पात के उत्पादन के लिए समेकित योजना

5072. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये एक समेकित योजना तैयार की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1977-78 तक केवल 14 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी नहीं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा 1975-76 में 14 लाख टन पिण्ड के उत्पादन के लिये कारखाने के प्राधिकारियों ने एक समेकित योजना तैयार की है।

पूर्वी क्षेत्र में लघु तथा माध्यमिक दर्जे के उद्योगों को इस्पात और कच्चे लोहे का वितरण

5073. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में पूर्वी क्षेत्र मे जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है इस्पात और कच्चे लोहे के वितरण में पूर्णतया अव्यवस्था होने के कारण वहां स्थित लघु और माध्यमिक दर्जे के उद्योगों को अपने उद्योगों को चलाने के लिये गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का स्थिति में प्रभावी सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जहां तक इस्पात का संबंध है मुख्य इस्पात कारखानों से इस का प्रेषण इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा विनियमित किया जाता है। जो आवंटन करते समय अन्ततः उपयोग जिसके लिये इस्पात की आवश्यकता होती है विशिष्ट तिमाही में इस्पात की उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है। पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है इस्पात प्राथमिकता समिति के माध्यम से लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की आवश्यकताओं की आपूर्ती में अव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है।

जहां तक कच्चे लोहे का सम्बन्ध है मुख्यतः परिवहन कठिनाइयों और बिजली की कमी के कारण हाल ही में कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सप्लाई की स्थिति में पहले ही सुधार होना आरंभ हो गया है। इसी बीच इस समय फांउण्ड्रियों को कच्चे लोहे की सप्लाई उनके अक्तूबर 1972 से मार्च 1973 की अवधि के अपक्रय के आधार पर की जा रही है। फाउन्ड्रियों की क्षमता के आधार पर कच्चे लोहे के साम्यिक वितरण की व्यवस्था भी की जा रही है।

इस्पात की मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिये उठाए गए कदमों में प्रौद्योगिक सुधारों, अच्छे मालिक-मजदूर सम्बन्धों, संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव में सुधार, निर्यात के विनियमन, आयात में ढील विशेषतः उन श्रेणियों के बारे में जिनकी कमी है और मुख्य उत्पादकों से इस्पात की उपलब्धि को बढ़ाने हेतु विद्युत् भट्टियों को स्थापित करके उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न शामिल हैं।

मूल्य में वृद्धि के कारण औद्योगिक कर्मचारियों की वास्तविक मजूरी कम होना

5074. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान समस्त देश में सब वस्तुओं के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाने के कारण औद्योगिक कर्मचारियों की वास्तविक मजूरी असमान्य रूप से कम हो गई है; और

(ख) सरकार ने उनकी मजूरी को कम होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) कारखाना कर्मकारों की 1970 की वास्तविक कमाई का सूचकांक 101 था (आधार 1961=100)। 1971 का अनन्तिम सूचकांक भी 101 है। जहां तक खान कर्मकारों का संबन्ध है वास्तवकि कमाई (आधार 1961=100) का सूचकांक 1970 के 116 प्वाइण्ट से बढ़कर 1971 में 117 प्वाइण्ट हो गया। 1972 के बारे में संख्यायें अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा लगातार कदम उठाये जा रहे हैं। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की पद्धति कई मुख्य उद्योगों में लागू है और जब कभी रहन-सहन का खर्च बढ़ जाता है तो यह कर्मकारों को राहत प्रदान करती है।

हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ, दुर्गापुर द्वारा संयंत्र के विस्तार के लिए प्रोडक्ट मिक्स के बारे में प्रस्ताव

5075. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान गड़बड़ी को दूर करके और कुछ लाभकारी प्रोडक्ट मिक्स से संयंत्र के उत्पादन को 25 लाख टन तक बढ़ाने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ दुर्गापुर द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : यूनियन ने 35 लाख टन तक विस्तार का प्रस्ताव रखा था। फिर भी कारखाने की क्षमता के विस्तार की संभावना पर अलग से विचार किया जा रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की गिराई गई नम्बर एक बैटरी का चालू किया जाना

5076. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात सयंत्र की नम्बर एक बैटरी को 3 वर्ष पूर्व फिर से निर्माण किये जाने के लिये गिराया गया था लेकिन उसको अभी तक चालू नहीं किया गया है; और

(ख) टेंडर दस्तावेज में उक्त कार्य को अन्तिम रूप देने के लिये क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बैटरी का फिर से निर्माण करने के लिये इसे नवम्बर 1968 में गिराया गया था। ठेके की शर्तों के अनुसार पुनर्निर्माण कार्य 15 अप्रैल 1971 तक पूरा किया जाना था। कई कारणों से कार्य समाप्त नहीं हुआ है जिनमें से एक मुख्य कारण विभिन्न ठेकेदारों द्वारा लगाए गए मजदूरों की प्रायः हड़तालें तथा कामबंदी है। पुर्ननिर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो गया है। 18 मई, 1973 को आधी बैटरी को गर्म करना आरंभ कर दिया गया । गर्म करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है और कुछ दिनों में चार्ज किये जाने के लिये आधी बैटरी तैयार है। परन्तु कोक भट्टी विभाग के कर्मचारी इस बात की धमकी दे रहे हैं कि यदि उनकी बहुत सी मांगें पूरी न हुई तो वे काम नहीं करेंगे। यूनियनों ने उनको की गई पेशकशों को ठुकरा दिया है और हड़ताल करने की धमकी दी है।

हिन्दुस्तान स्टील, एम्प्लाइज यूनियन, दुर्गापुर द्वारा इस्पात उद्योग की संयुक्त समझौता वार्ता समिति को ज्ञापन

5077. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज़ यूनियन, दुर्गापुर ने इस्पात उद्योग की संयुक्त समझौता वार्त्ता समिति को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या ज्ञापन में यह कहा गया है कि दुर्गापुर में 14 लाख टन के 109 प्रतिशत पर न लाभ न हानि की स्थिति होगी (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा तैयार की गई नियमित योजना के अनुसार 1977-78 वर्ष में 14 लाख टन की क्षमता प्राप्त हो सकेगी); और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने क्या प्रतिशतता निर्धारित की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात उद्योग के लिये बनाई गई संयुक्त वार्ता समिति के एक सदस्य ने जो हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज़ यूनियन के प्रतिनिधि थे, ने अप्रैल, 1973 में हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज़ यूनियन दुर्गापुर द्वारा तैयार किया गया 'ए डायगनोज़ ऑफ सिक चाइल्ड--दुर्गापुर' के शीर्षक से निकाला गया एक पत्र समिति के सदस्यों में परिचालित किया था ।

(ख) इस पत्र में कही गई मुख्य बात यह थी कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की वर्तमान क्षमता वास्तव में 16 लाख टन इस्पात पिण्ड प्रति वर्ष नहीं है बल्कि इससे काफी कम है। इस अभ्यावेदन के अनुसार बाधाएं तभी दूर की जा सकती है जब कारखाने की क्षमता में काफी वृद्धि की जाए और इस उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 35 लाख टन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये।

(ग) जी, हां। फिर भी कारखाना प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई सम्मिलित योजना में कारखाने द्वारा वर्ष 1975-76 न कि 1977-78 में कारखाने द्वारा 14 लाख टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

(घ) लाभ-हानि समस्तर की प्राप्ति आदान-लागत और तैयार माल के मूल्य पर निर्भर है। अतः इस में घट-बढ़ होना अवश्यम्भावी है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान मूल्यों और लागतों के आधार पर यदि 1972-73 में दुर्गापुर इस्पात कारखाना 16 लाख टन वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता का 81% से अधिक उत्पादन करता तो इसे लाभ हो सकता था।

अमरीकी स्कालरों के दौरों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का प्रस्ताव

5078. **श्री श्रीकृशन मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी स्कालरों द्वारा इस देश का दौरा करने पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने के बारे में सरकार को सलाह दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में वीसा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अमरीकी विद्वानों की यात्रा पर खास तौर पर कोई पाबन्दी लगाई हो ऐसी बात नहीं है बल्कि सरकार ने भारत की यात्रा करने क च्छुक विदेशी विद्वानों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मोटे तौर पर कुछ निर्देशक-सिद्धांत निर्धारित किये हैं जो अमरीकी विद्वानों पर भी लागू होते हैं। सरकार वीसा नीति की बराबर समीक्षा कर रही है, जिससे कि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि जो लोग वाकई विद्वान हैं और भारत आना चाहते हैं उनके आने पर अनावाश्यक प्रतिबन्ध न हो और भारत की शैक्षिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अहित न हो।

रक्षा विभाग में भर्ती

5079. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री रक्षा विभाग में भर्ती बारे में 10 मई 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 1054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना में कुछ समुदायों के लिए निरन्तर प्रतिनिधित्व और आरक्षण की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं जब कि वायु सेना और नौसैना में भर्ती जाति अथवा समुदाय के आधार पर नहीं की जाती है;

(ख) क्या अब सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए मार्शल और नान-मार्शल जातियों के भेद को हटा देने और ऐतिहासिक कारणों तथा परम्परा के आधार पर प्रचलित प्रथा को समाप्त करने का विचार है; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार का विचार आदेश जारी करने का है, यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेना में कुछ वर्गों के लिए ऐतिहासिक कारणों से तथा परम्परा के आधार पर वर्तमान वर्ग संरचना चल रही है जिसके लिए उन्हें आरक्षण है तथा भर्ती के लिए वरीयता दी जाती है । नौसेना तथा वायुसेना में चूंकि वर्गवार रचना नहीं है अतः किसी जाति को आरक्षण या वरीयता नहीं दी जाती है ।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए मार्शल तथा गैर-मार्शल जातियों के मध्य कोई अन्तर नहीं है । सरकार की नीति सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रामगिरि सोना खानों, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में खनन कार्य

5080. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रामगिरि सोना खानों, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में खनन कार्य शुरू कर दिया है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जब तक समन्वेशी कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक खनन कार्य आरम्भ नही किया जा सकता ।

वज्रकरूर, आन्ध्र प्रदेश, में हीरों के लिए खुदाई कार्य

5081. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बज्रकरूर, आंध्र प्रदेश, में हीरों के लिये खुदाई कार्य अभी तक कर रही है; और

(ख) खुदाई कार्य से मिले हीरे कितने मूल्य के हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त और शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त आफिसरों के वेतन तथा वरीयता के निर्धारण के बारे में आदेश

5082. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त आफिसरों के लिये रिक्त पदों के आरक्षण तथा वेतन और वरीयता निर्धारण के बारे में विशेष सुविधाएं दिये जाने के संबंध में सरकारी उपक्रमों सहित राज्य सरकार के उपक्रमों को आदेश जारी किये गए थे;

(ख) इस संबंध में आदेशों की रूप-रेखा क्या है तथा वे किन-किन तिथियों को जारी किये गए थे;

(ग) किन सरकारी उपक्रमों ने आदेशों को पूर्णतः लागू किया है, किस-किस ने आंशिक रूप में तथा किस-किस ने उनकी अब तक उपेक्षा की है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि प्रत्येक उपक्रम सभी आदेशों को पूर्णतः क्रियान्वित करें ; और

(ङ) विभिन्न राज्यों के उपक्रमों की इस संबंध में क्या स्थिति है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेवा मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अल्प-कालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के संबंध में राज्य सरकारों के उपक्रमों तथा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं को रिक्त स्थानों के आरक्षण तथा वेतन नियतन तथा वरीयता के संबंध में विशेष लाभ देने के कोई अनुदेश जारी नहीं किये गए थे। तथापि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का इन अफसरों के लिये पदों के आरक्षण की सम्भावनाओं पर विचार करने का परामर्श दिया गया था तथा वरीयता और वेतन नियतन के लाभों के लिये उस प्रकार दिये जाने के लिये परामर्श दिया गया था जैसे कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत मंत्रालयों तथा विभागों के अन्तर्गत नियोजित अफसरों को ग्राह्य हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों ने विशेष रूप से आपात कमीशन प्राप्त अफसरों तथा अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये पदों को आरक्षित किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित इस्पात की तुलना में आयातित कोकिंग कोल से इस्पात के उत्पादन की लागत

5083. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर इस्पात का आयात करने की बजाए देश में ही इस्पात का उत्पादन करने के लिये अच्छी किस्म के कोकिंग कोल का आयात करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है; और

(ख) आयातित कोकिंग कोल से उत्पादित प्रति टन इस्पात की लागत की तुलना में प्रति टन आयातित इस्पात की लागत क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विजयनगर इस्पात कारखाने के लिये अच्छी किस्म के कोक्कर कोयला आयात करने की संभावना पर 1971 में विचार किया गया था। विदेशों से दीर्घकालीन आधार पर अच्छे कोयले की उपलब्धि के बारे में अनिश्चितताओं के कारण निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं लिये गए थे।

'धुआं रहित ईंधन' के उत्पादन के लिए पार्टियों को दिए गए लाइसेंस

5084. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'धुआं रहित ईंधन' के उत्पादन लिये सरकार द्वारा किन पार्टियों को लाइसेंस दिये गए हैं और प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में उत्पादन की प्रगति क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोलियरीज़ ने "धुआं रहित ईंधन" तैयार करने के लिए अपना कोई संयंत्र कोठागुडम या किसी अन्य जगह लगाया है ; और यदि नहीं, तो क्यों ;

(ग) क्या सरकार ने देश में "धुआं रहित ईंधन" बनाने के लिए उत्साह और उद्यम न होने के विशिष्ट कारणों का पता लगाया है ; और

(घ) घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की अत्यंत कमी के वर्तमान संदर्भ में इस ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और उत्पादन शीघ्र आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड् से धुआं रहित ईंधन उत्पादन करने के लिए, आन्ध्र प्रदेश में निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने के यह प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) इस विषय पर उत्साह की कोई कमी नहीं है । कुछ राज्य सरकारों जैसे, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव किये हैं और उनके प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ में अध्ययन के लिये पारपत्र देने की शर्तों में समानता

5085. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अध्ययन के लिए कितने छात्र अलग-अलग अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ गए;

(ख) क्या कोई छात्र ब्रिटेन या अमरीका अध्ययनार्थ जा सकता है यदि संबद्ध विश्वविद्यालय उसे प्रवेश की अनुमति देने को तैयार हो परन्तु कोई भी छात्र सोवियत संघ नहीं जा सकता जब तक कि शिक्षा मंत्रालय या "इसकस" उसे प्रेषित न करे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन तीनों देशों के लिए पारपत्र देने की शर्तें समान बनाने का विचार है ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) पासपोर्ट की सुविधाएं भारत के अन्य नागरिकों की तरह विद्यार्थियों को भी दी जाती हैं बशर्ते कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट नियमावली 1967 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हों। विदेशों में अध्ययन करने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के प्रति पासपोर्ट जारी करने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता बशर्ते कि वे पासपोर्ट अधिनियम 1967 की आवश्यकताएं पूरी करते हों ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कारखाना-स्थल देखने के लिये विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली परिवहन सुविधाएं

5086. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कम्पनी ने सरकारी-ड्यूटी पर विभिन्न कारखाना स्थल देखने के लिए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को परिवहन सुविधाएं देने की व्यवस्था कर रखी है

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने विशिष्ट व्यक्तियों ने इस सुविधा का प्रयोग किया है ;

(ग) गाड़ियां उपलब्ध होते हुए भी कितनी बार विशिष्ट व्यक्तियों को परिवहन सुविधा नहीं दी गई ;

(घ) गत तीन वर्षों में वे कितने थे और इनकार करने के क्या कारण थे; और

(ङ) इस समय कम्पनी के पास कितनी गाड़ियां हैं और क्या विभिन्न अधिकारियों द्वारा इनका निजी कार्यों में दुरुपयोग रोकने के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) बोकारो इस्पात कारखाने ने सरकारी काम पर जाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा दौरे पर गये अधिकारियों के इस्तमाल के लिए गाड़ियों का एक पूल बना रखा है। कम्पनी उन व्यक्तियों के, जो गाड़ियां इस्तमाल करते हैं श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखती है। फिर भी ऐसा कोई मौका नहीं आया है जब कि प्रायोजना में सरकारी दौरे पर आए विशिष्ट व्यक्तियों को गाड़ी देने से इन्कार किया गया हो।

(ङ) 31 मार्च 1973 को निर्माण/पारचालन/रख-रखाव तथा बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रशासनिक विभागों के लिए 334 यात्री गाड़ियां थीं। गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए बनाए गए नियमों में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था है कि कम्पनी की गाड़ियों का दुरुपयोग न हो।

खेतड़ी ताम्बा परियोजना के श्रमिकों तथा अधिकारियों के वेतन बिलों का कम्प्युटर द्वारा तयार किया जाना

5087. **श्री डी० के० पंडा** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी ताम्बा परियोजना के श्रमिकों तथा अधिकारियों के वेतन बिल तथा लेखे संबंधी कार्य आई० बी० एम०, नई दिल्ली से ठेके पर कम्प्यूटर से कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1971-72 और 1972-73 में उक्त कार्य के लिये आई० बी० एम० को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा अधिकारियों को दिल्ली आने तथा दिल्ली से वापस जाने के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के रूप में प्रतिमास कितना राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) क्या कम्प्युटर प्रणाली से खेतड़ी ताम्बा परियोजना के कार्य में कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन बिल तैयार करने का कार्य स्वयं हिन्दुस्तान तांबा लिमिटेड द्वारा आई० बी० एम०, डेटा केन्द्र पर समय किराए के आधार पर किया जाता है। कम्पनी की लेखा-संबंधी कुछ कार्य आई० बी० एम० से ठेके पर भी कराया जाता है।

(ख) उक्त कार्य के लिये निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :—

	रुपये
1971-72	73,900
1972-73	134,500

1972-73 के दौरान यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ते की राशि लगभग 350 रुपये प्रति मास थी।

(ग) चूंकि कुछ कार्य खास तौर पर कम्प्युटर पर कराने की कार्यवाही हाल ही में आरंभ की गयी है अतः इससे लागत में अब तक कोई कमी नहीं हुई है ? तथापि इस प्रणाली से कार्य में दक्षता आई है और अपने श्रमिकों को उनकी मजदूरी इत्यादि की सही जानकारी देने में प्रबंधकों को सहायता मिली है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा चांदमारी खान के कार्य का ठेका दिया जाना

5088. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड खेतड़ी ताम्बा परियोजना का चांदमारी खान के कार्य का ठेका देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो किन पार्टियों के साथ बातचीत की जा रही है अथवा किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या खेतड़ी तथा कोलीहन खान में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने विदेशी सलाहकारों तथा एजेंसियों से अब पर्याप्त अनुभव तथा विशेष तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है, और?

(ग) यदि हां, तो प्राप्त हुए अनुभव का उपयोग न किये जा सकने और खेतड़ी ताम्बा परियोजना के नियंत्रण में विभागीय तौर पर इस कार्य को पूरा न किये जा सकने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) चांदमारी खान के कार्य का ठेका देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खान का विकास हिन्दुस्तान ताम्बा लिमिटेड द्वारा ही किया जाएगा।

26 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement to USQ 660 Dated 26-7-73

ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 5569-ए/73]

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन और समीक्षा

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंण्डिया लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंण्डिया लिमिटेड, अजमेर का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखये संख्या एल० टी० 5556/73]

(2) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5557/73]

इण्डिया सप्लाई मिशन, लंदन और वाशिंगटन द्वारा स्वीकार न किये गये न्यूनतम मूल्य के टेंडरों के मामलों का विवरण

पूर्ति मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं 30 जून, 1973 को समाप्त हुई छमाही के सम्बन्ध में इण्डिया सप्लाई मिशन, लंदन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा स्वीकार न किये गए न्यूनतम मूल्य के टैंडरों के मामले का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5558/73]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन और समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5559/73]

संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन अधिसूचनाएं, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पंशन योजनाओं और कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना 1973 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० वेंकटस्वामी) मैं (1) (क) संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1649 में प्रकाशित हुए थे ;

(दो) संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 200 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) संविदा श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 598 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5560/73]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन योजना 1952 के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5561/73]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त,

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5562/73]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 23 अगस्त, 1973 को अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संम्बन्धी समिति" में शामिल होने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया है :

(1) डा० (श्रीमती) ... अहमद

(2) श्री टोडक बासर

(3) श्री जमनालाल

(4) श्री एन० पी० चौधरी

(5) श्री कल्याण चन्द

(6) श्री एन० एच० कम्भारे

(7) श्री भैया राम मंडा

(8) श्री सुन्दरमणि पटेल

(9) कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खपार्डे

(10) श्री श्याम लाल यादव

(दो) कि राज्य सभा को विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1973 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 23 अगस्त 1973 को पास किया गया था कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 27 अगस्त, 1973 को अपनी बैठक में चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है

चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक

CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL

सचिव मैं चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 की एक प्रति, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

आठवां प्रतिवेदन

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

खान (संशोधन) विधेयक

MINES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य

श्री मल चन्द डागा (पाली) : मैं खान (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं खान (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा-पटल पर रखता हूं।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) मैं प्रस्ताव करता हूं

कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रत्याभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रत्याभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण किए जाने में अन्याय

Shri Chandulal Chandrakar (Darg): I would like to draw the attention of the hon. Minister to the atrocities being committed on the farmers living near Bhillai Steel Plant. The Government have already acquired land of more than thirty villages for the Bhillai Steel Plant. Thousands of acres of land is still lying unutilised. In spite of this the Management of Bhillai Steel Plant have issued orders, to acquire land of two more villages. The inhabitants of these villages are very much annoyed. The officers of the Management have formed a big cooperative farm, which is being cultivated by them but electricity, water, tractors etc. are being provided at the Government cost and then the income goes to the officers of the management.

The production of Bhillai Steel Plant has been quite satisfactory but due to deterioration in industrial relations the production can be affected adversely. Many irregularities have been committed with regard to transfers, appointments and promotions by the management of Bhillai Steel Plant.

Before concluding I would like to emphasise that immediate instructions should be issued not to acquire the land of above mentioned villages.

केरल में गम्भीर खाद्य स्थिति

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं आपका ध्यान केरल में खाद्यान्न की गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां पर बहुत ही कम मात्रा में खाद्यान्न स्पलाई किया जाता है । महिलाओं सहित केरल के लगभग 80 लोग आपको और प्रधानमंत्री को तथा राज्य सभा के सभापति को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए संसद भवन की ओर आ रहे थे जिन्हें आज प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया है । केरल में राशन में की गई कटौती को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए । मैं" सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबध में तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं केरल में खाद्य संकट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां पर छात्रों ने स्कूल जाना बन्द कर दिया है और रेल गाड़ियां रोकी जा रही हैं । यह अजीब बात है कि इस स्थिति के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिये भी अनाज नहीं दिया । खाद्य तथा कृषि मंत्री को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिये ।

Mr. Speaker : When all the members start speaking at a time, nothing can be heard or recorded **(Interruptions)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : केरल से खाद्यान्न की तलाश में आये लोगों को गिरफ्तार किये जाने के क्या कारण हैं । (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I would like to know whether people coming from Kerala to present a memorandum should not be allowed to see you?

Mr. Speaker : The demonstrations are held outside. (*Interruptions*). All the members should not speak at a time.

सभा के कार्य के बारे में

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Madhu Limaye (Banka): It has been decided not to admit any Calling Attention upto 5th September 1973. But hon'ble Minister does not want to reply to Short Notice Question also. There is shortage of 600 kW of power in Uttar Pradesh due to paucity of rains and pumping sets are also not working. I want your ruling as to how could we raise a question concerning the masses ?

Mr. Speaker : This has been decided by the House and I have to abide by it.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैंने भारत-पाक करार पर चर्चा करने सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी थी । उसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह करार बहुत महत्वपूर्ण है अतः इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : इस पर चर्चा करने के लिए कुछ समय अवश्य निकाला जाना चाहिये ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं इस मांग का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि वह इसके लिए समय नियत करें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम दो या तीन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते थे । उनमें एक पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में दृष्टिकोण और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव शामिल था । चूंकि प्रधान मंत्री 3–9–73 की रात को विदेश जा रही हैं अतः हमें अब विचार करना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कब तक चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी शुभ दिन का बिचार करते रहे हैं अन्यथा इस प्रस्ताव पर किसी भी दिन चर्चा हो सकती थी ।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : यदि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को देखते हुए ध्यान दिलाने वाली सूचना या कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता तो मंत्री महोदय किसी महत्वपूर्ण घटना पर वक्तव्य दे कर सभा को जानकारी दे सकते हैं । अब जैसे आन्ध्र प्रदेश में जहां राष्ट्रपति शासन लागू है, कृषि श्रमिकों और हरिजन लड़कों पर गोली चलाने की घटनाएं हुई हैं । इस मामले में सम्बन्धित मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये ताकि हमें स्थिति की नवीनतम जानकारी मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर भेज दीजिए । फिर मैं मंत्री महोदय का वक्तव्य देने के लिये कहूंगा ।

श्री सैयद अहमद आग़ा (बारामूला) अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखी जा सकती है परन्तु भारत-पाक करार पर चर्चा की जानी चाहिये ।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचन के लिए डी०ए०वी०पी० द्वारा इश्तहारों के मुद्रित किये जाने के बारे में

RE PRINTING OF POSTERS BY D.A.V.P FOR DELHI UNIVERSITY STUDENTS' UNION ELECTION

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): I had given a notice under Rule 377. The Director of Audio-visual Publicity had published posters worth Rs. 5 lakhs for Congress supported candidates in the elections of Students' Unions of Delhi University. This is very serious that Central Government have been interfering in elections of students. The elections to Teachers' Unions are to be held on 31st August and posters published by the Director of Audio-visual Publicity are being distributed. I demand that the matter should be investigated. (*Interruptions*).

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : English version of Indo-Pak Agreement has been laid on the table but it has not been translated in Hindi. Hindi version of the Agreement should have been provided to Hindi Newspapers. It is not proper to ignore Hindi which is our official language.

Shri Madhu Limaye (Banka) : This is a legitimate demand.

श्री पी० जी० मावलंकर अहमदाबाद) : हममें से कुछ सदस्य नियम 377 के अंतर्गत नोटिस देते हैं और प्रक्रिया का पालन करते हैं और जब हमें अनुमति नहीं दी जाती तो हम आप के विनिर्णय को स्वीकार कर लेते हैं । परन्तु कुछ सदस्य आपके विनिर्णय के बावजूद मामला उठाते हैं, उनके नेता उन्हें समर्थन देते हैं और अंत में आप उनको अनुमति दे देते हैं । परन्तु हमारा क्या होगा जिनको किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप के व्यवस्था के प्रश्न के दो समाधान हैं । एक तो यह कि मैं प्रतिदिन आपको बुलाऊं और सभी नोटिस आपके सम्मुख रख दूं और फिर आपकी सलाह का स्वीकार कर लूं । दूसरे मैं आपको चेयरमैन की तालिका में मनोनीत कर दूंगा और देखूंगा कि आप किस प्रकार मेरे से भिन्न मार्ग अपना सकेंगे ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जब भारत-रूस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे तो उसका हिन्दी अनुवाद मास्को में रूसियों ने किया था, दिल्ली में भारतीयों ने नहीं । क्या श्री वाजपेयी अब इसका अनुवाद इस्लामाबाद में करवायेंगे या दिल्ली में

अध्यक्ष महोदय : आप इस विवाद में न पड़िये इसे मुझ पर छोड़ दीजिये ।

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

Shri M.C. Daga (Pali) : Even after the amendment made in Code of Criminal Procedure in 1973 the police can arrest any person in suspicious circumstances under section 109. Similar provision is made under section 151 also. The police has already been misusing section 109 and section 107 There is no use of minor operations unless Government is determined to undertake major operation. When section 151 can solve the problem there is no necessity of section 109. The economic situation is so grim that if a poor man is arrested he will never say before the Magistrate that he has been beaten up. The magistrate should ask the police officials to stay outside the room and then ask that person whether he has received any injury at the hands of police or not.

It has been provided under Section 167 that a person can be kept in police custody for 90 days but it may not be possible for the person concerned to stand the tortures of police The police official requests the magistrate to give a remand in order to make further enquiry and he can be put to any amount of torture. The person concerned should be allowed to see the diary of the police under Section 167 which is hitherto considered to be a secret document. The magistrates should also be empowered to see these documents. Hearing should be done on day to day basis so that the case could be finalised at an early date.

Under Section 202 of the Cr.P.C., the Magistrate can even ask the other person, the police officer to make an investigation. This should not happen. The Magistrate himself should examine the witnesses.

Section 162 refers to the examination. The accused must be charge-sheeted on the first hearing.

The legal representative should be given power under Section 325.

So far as Section 107 is concerned, it will wipe out 109. 151 is sufficient. There is no way out other than day-to-day trial

There is a provision in the present Bill that public servant cannot be prosecuted unless and until the local body has given the permission. Under 197, public servant cannot be prosecuted. It is wrong.

Under Section 133, considerable powers have been given to the Executive magistrate. Why do you not give it to the Judicial Magistrate?

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : वर्तमान विधेयक को देखने से पता चलता है कि इसके कई उपबन्ध काननी पेशे को धक्का पहुचायेंगे । उनमें से कुछ अच्छ ह, उदाहरण क लिये खंड 125 में कुछ परिस्थितियों में माता-पिता को भरण-पोषण को व्यवस्था है ।

खंड 167 के अन्तर्गत जाच के लिये 90 दिन तक रखने की सीमा लगाई गई है । मैंने कई मामलों में देखा है कि पुलिस 2-2½ वर्ष तक भी जांच पूरी नहीं करती है । इसमें एक खतरा हो सकता है और वह यह है कि वे इसे न्यूनतम समय समझ कर जाच पूरी करने में कम से कम 90 दिन लेंगे

खंड 389 अच्छा है क्योंकि इसमें जमानत के उपबंधों को उदार बनाया गया है । कुछ उच्च न्यायालय जमानत देने के मामले में उदार नहीं हैं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले में उदार है ।

खंड 28 भी अच्छा है ।

खंड 162 के अन्तर्गत सरकार का इरादा पुलिस को मामले की डायरी में बयानों के बाद हस्ताक्षर लेने देने का है । पुरानी धारा 162 के अन्तर्गत मामले की डायरी में बयान के बाद हस्ताक्षर लेना निषेध था । अब वे भोले-भाले लोगों को बाध्य करेंगे । मैं निवेदन करता हूं कि पुराने उपबन्ध को पुनः रखा जाये ।

खंड 173(7) के बारे में मुझे बहुत दिक्कत है । खंड 173(4) तो बुरा था ही और 173(7) उससे भी बुरा है । यह खंड पुलिस द्वारा प्रज्ञेय या अप्रज्ञेय मुकदमों में जांच करने के बारे में है यदि पुलिस द्वारा जाँच की जाती तो उस व्यक्ति को प्रतिलिपि पाने का अधिकार था । 173(7) के अन्तर्गत यह किया जा रहा है कि प्रतिलिपि देना न देना पुलिस अधिकारी के विवेक की बात है । परन्तु होता यह है कि पुलिस अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी दस्तावेज को अभियुक्त को नहीं देती है जो दस्तावेज वह मुकदमें में शामिल करती है ।

इसके पश्चात् खंड 275 है । यदि मजिस्ट्रेट को सब कुछ लिखना पड़ता है तो फिर क्या होगा ? इस कारण अभियुक्त को तुरंत प्रतिलिपियां नहीं मिलेगी और दो-तीन दिन चलने वाले मुकदमें को पांच गुना अधिक समय लगेगा । यदि मजिस्ट्रेट को स्टेनोग्राफर नहीं दिया गया तो सुनवाई शीघ्र करने का विधेयक का प्रयोजन समाप्त हो जायेगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

धारा 344 बहुत बुरी है । यह कहना ठीक है कि हम मिथ्या शपथ को बंद करना चाहते हैं परन्तु इसके द्वारा बहुत से निर्दोश ग्रामीणों को सिद्धदोष ठहराया जायेगा ।

अब धारा 379 को लिजिए । यदि किसी व्यक्ति को विमुक्त कर दिया जाता है और फिर विमुक्ति को रद्द कर दिया जाता है तथा उसे दस वर्ष की सजा दे दी जाती है तो उसे स्वतः अपील करने का अधिकार हो जाता है । यह तो अच्छी बात है । परन्तु रोजाना होता क्या है ? मैंने उच्चतम न्यायालय में देखा कि दो मिनट में विशेष अनुमति को खारिज कर दिया गया । ऐसा इसलिये होता है कि समूचा सिद्धांत ही गलत है । राज्य विमुक्तियों के विरुद्ध अधिकाधिक अपीलें दायर करता है और अधिकाधिक उच्च न्यायालय अन्यमनस्क निर्णय देते हैं ।

मैंने यहां धारा 379 में परन्तुक समाविष्ट किया है कि सभी मृत्यु-दडों में अपील होनी चाहिए ।

सिद्धान्ततः मैं चाहता हूं कि मृत्यु-दंड समाप्त हो परन्तु जब तक मृत्यु-दंड है तो मामले में उच्चतम न्यायालय अंतिम रूप से न्यायनिर्णय करे । मृत्यु-दंड के निर्णय अन्यमनस्क होते है ।

मैं श्री मिर्धा से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरे द्वारा उठाई गई कुछ बातों पर विचार करें । इस विधेयक के कुछ उपबन्धों से पुलिस को अधिक शक्तियां मिलेगी । प्रत्येक मामले में पुलिस झूटे साक्ष्य लायेगी । अतः इसे अभियुक्त के लिये और अधिक खराब बनाया न जाये । अब आपने सुपुर्दगी की कार्यवाही को पूर्णतया समाप्त कर दिया है जिससे किसी व्यक्ति को जिरह करने का एक ही मौका मिलेगा । यह एक अत्यंत अयोग्यता होगी ।

Shri R.R. Sharma (Banda) : While bringing forward this Bill, the Hon. Minister had said that it would reflect current ideas but what to speak of reflection of current ideas, it could not even protect the old idea with which the Code came into existence.

Those who are engaged in legal profession, know that the poor do not get justice in subordinate courts. In this contract the Government of India sent a letter in July, 1972 to the Law Commission in which the third point is :

. . . . . the extent of the legal aid to the poor which may be provided for in the Court."

For this purpose the Clause 304 has been provided in this Bill. I want to draw the attention of the Government to clause 304. It is true that the Government used to provide *amicus curiae* to the poor in the Capital punishment cases and now it is being made applicable to all the trials before the court of sessions in this Bill. But in Sub-Clause (3), the responsibility has been put to the State Government. This sub-clause (3) should be deleted and the poor must be provided with a Counsel at the Government expenses, in all the trials irrespective of 109, 107 or section 25 of the Arms Act.

My another point is about limitation. Clause 467 to 473 are entirely new. This limitation is for the offences of sentence upto 6 months to 3 years. If they wanted to prescribe certain limit, why did they not prescribe it for the offences in which ten to 20 years' sentence is awarded. This is a lacuna. In certain cases under 302, 395 the police take one to two years in completing investigations. Then final report is submitted. Sometimes the case is referred to the C.I.D. All these things take time. It is not clear as to how will they justify. Therefore, I request you to delete the provision of limitation altogether.

The word "India" is given in Clause 1. And in Clause 2, sub-clause (F) "India" is defined. What was the necessity of defining "India" in this Bill this may be omitted.

In clause 82, safeguards have been given whereas in 83 they have been withdrawn. What is meant by it ?

Attachment orders are generally issued against to the poor. I request you to remove sec. 83 completely.

The present Government is following the pattern of the Britishers. They are also depending on police and magistrates. Sec. 107, 108, 109 and 110 are not needed at all. Sec. 151 is also not needed and it should also be removed.

A provision should be made in Sec. 172 whereby complainant may be able to get the certified copy of the 'case dairy' after depositing 'court fee' etc.

Provision of anticipatory but should also be removed from Sec. 438 because it is also not in the interest of the poor. Only the rich and the black marketeers and hoarders take advantage of this provision.

There is nothing new in the Bill. A magistrate should have been appointed for 15 to 20 villages so that villagers may have got quite justice. District Court should have also the powers of Appellate Courts. In the end I will say that Government have failed to give a new look to this code.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I am of the opinion that a new select Committee should be framed and it should be given the opportunity to consider few sections of the new code.

I can say with my experience that the safegaurds provided in the Code are being done away with. Generally the people are hand cuffed and then taken to police station. This provision of 'hand cuffing' should be removed.

No Criminal is produced before the magistrate within 24 hours as has been envisaged in Sec. 22. Our Committee of the Bihar Vidhan Sabha has stated in its report that our person was not produced before the magistrate for six and a half year. Once this section was violated in my case also Sec. 344 of the Criminal Procedure Code is also generally violated. I, therefore, want to request that Government should provide more safegaurds to the public instead of reducing them.

I am sorry to say that Government is still keeping Sec. 106, 109 and 110 is one form or the other which should have been removed completely In the jails some people are put on menial jobs which should have been done by sweepers. So far as Sec. 107 is concerned I challanged it in the Supreme Court. The Supreme Court held it constitutional but it said that order under Sec. 117(3) should not be issued along with Sec. 107 and 112 But unfortunately this much safegaurd has not been provided in the new Bill.

Sec. 144 is also generally misused. It should be used in emergency only. But now one can see it that it is imposed in almost all parts of the country. The authority of imposing sec. 144 should be wasted with District Magistrate only No other magistrate should be allowed to make use of this section.

Chhittle Committee in its report has stated that no person should be detained by police far more than 15 days. It has been further stated in the report that if during this period the investigation is not completed then the person concerned should be released under sec 169. or the police should produce the person concerned before the magistrate authorised to deal under sec. 173. But unfortunately what happened is this that police continues to get remand after remand, and the person concerned remains in police custody for months together. I request the hon. Minister to make the provision that if the enquiry is not completed whithin 15 days the person concerned should be transferred to Judicial Custody.

I welcome the provision of legal aid to the poor. It is a good provision but there is one defect in it. I have given one amendment in this regard and I request the hon. Minister to accept it. In my amendment I have suggested that word 'approval' should be substituted by word 'consultation' Once again I welcome this provision.

The accused should get the change sheet in the language he understands.

Last year I was arrested and sent to Tehar jail, Delhi. One morning some youngmen came to clear the jail. On an enquiry they told me that they have been detained under Sec. 55/107. One of them actually came to Delhi in search of job. but he was put behind the bars. This is how this sec. is being misused. The other youngman was working in the Dinning Car and when he refused to oblige the police constable with food he was

put in jail under Sec. 55/107 Similar was the case of the third youngman. Instead of providing jobs to the youngmen police is putting in the jail. I, therefore request the hon. Minister that some safegaurds should be provided.

श्री इब्राहीम सुलेमान सैत (कालीकट) : 80 वर्ष पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन किया जा रहा है। जनता के सभी वर्गों को कम से कम समय में न्याय मिलना चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि हमें किसी जाति के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अध्याय 9 की धारा 125 के अन्तर्गत शब्द 'पत्नी' की जो व्याख्या दी गई है मेरे विचार में वह बहुत गलत है। यह परिभाषा मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के भी विरुद्ध है, इस विधेयक से इस परिभाषा को हटाया जाना चाहिए। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में तलाक के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। रख-रखाव के खर्च के बारे में भी इसमें दिया गया है।

इसके अतिरिक्त 'तलाकशुदा' को पत्नी की संज्ञा देना भी बड़ी विचित्र-सी बात है क्योंकि यह व्यवस्था मुस्लिम वैयक्तिक कानून का अतिक्रमण करती है जिसमें यह प्रावधान है कि वैवाहिक संबंध विच्छेद होने के पश्चात् कोई स्त्री केवल उतनी ही अवधि के लिये जीवन यापन व्यय पाने की हकदार है जबतक कि उसे तीन बार मासिक धर्म न हो जाये; अवयस्कों तथा मासिक धर्मातीत आयु वाली स्त्रियों के लिये यह अवधि तीन मास है तथा गर्भवती स्त्रियों के लिये गर्भाधान अवधि पूरी होने तक है। अन्य मामलों में समुचित व्यवस्था की गई है जिसमें मेहर संबंधी प्रावधान भी हैं।

परन्तु इस विधेयक के अधीन एक तलाकशुदा स्त्री अपने पुनर्विवाह तक अथवा जीवनपर्यन्त जीवन यापन व्यय मांग सकती है। यह प्रावधान मुस्लिम वैयक्तिक कानून का सर्वथा उल्लंघन करता है और इसीलिये मैं इस स्पष्टीकारक व्यवस्था का विरोध करता हूं। मंत्री महोदय इस व्यवस्था को दण्ड प्रक्रिया संहिता से निकाल दें अन्यथा हम विधेयक की इस धारा का समर्थन न कर सकेंगे।

हमारे देश के प्रधान मंत्री ने बार बार हमें यह आश्वासन दिया है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। यह आश्वासन उन्होंने मुझे कोई दो सप्ताह पूर्व भी दिया था। यही आश्वासन उन्होंने मुस्लिम मजलिस मुशावरात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अतीकौर रहमान को भी दिया था। कुछ समय पूर्व कांग्रेस संसदीय दल ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया था कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून में दखलअंदाजी नहीं की जायेगी। परन्तु फिर भी इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि उनके आश्वासन गलत सिद्ध होते हैं इस प्रकार परोक्ष रूप से हमारे इस मुस्लिम वैयक्तिक कानून का अतिक्रमण किया जा रहा है

अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक में पत्नी की जो परिभाषा दी गई है अथवा जो स्पष्टीकरण इस संबंध में दिया गया है उसे बदल दिया जाय। श्री एफ० एच० मोहसिन इस प्रावधान की जटिलता को भली भांति समझ सकते हैं यह कहना सर्वथा गलत है कि वह स्त्री भी पत्नी हो सकती है जिसे पति द्वारा तलाक दिया गया हो या जिसने पति से तलाक लिया है और जिसने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया हो मंत्री महोदय इस परिभाषा को विधेयक से निकाल दें क्योंकि यह मुस्लिम वैयक्तिक कानून के विरुद्ध है। कानूनी संबंध विच्छेद तथा परम्परागत तलाक को समान समझना गलत होगा। तलाक शुदा व्यक्ति से मुस्लिम वैयक्तिक कानून में निर्धारित अवधि के बाद जीवन यापन व्यय लेना सर्वथा अनुचित होगा। दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में आप चाहे जो कीजिए परन्तु मुसलमानों पर केवल मुस्लिम वैयक्तिक कानून ही लागू होगा।

मंत्री महोदय उपरोक्त बातों पर प्रधान मंत्री एवम् कांग्रेस संसदीय दल द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रख कर विचार करें।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस विधेयक पर चर्चा बड़ी ही लाभप्रद रही है तथा मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने विभिन्न पहलूओं पर अपने-अपने मत प्रकट किये।

इस विधेयक की रचना के पीछे हमारी यह भावना थी कि उत्तम व्यवस्था की आवश्यकताओं एवम् व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति तथा अपनी वस्तुओं के उपयोग की स्वतंत्रता के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। धारा 107, 108, 109 तथा 110 सुरक्षा संबंधी उपबंध हैं जिनके बारे में यहां माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त उपबंधों में निहित व्यवस्था दमनकारी है तथा इन्हें संविधि पुस्तिका में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु समाज की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जब शांति भंग होने का खतरा हो तो उसका मुकाबला करने के लिये कुछ कड़े तथा कठोर उपाय करने ही पड़ते हैं। यह तर्क सर्वथा गलत है कि अपराध करते हुए व्यक्ति को पकड़ कर गिरफ्तार कर लेने के अधिकार पुलिस को न दिये जायें। हालांकि हमने परोक्षरूप से इन अधिकारों की कठोरता को कम करने का प्रयास भी किया है। उसमें कुछ सीमायें भी निश्चित की ह तथा साथ ही उन उपबन्धों में रक्षोपाय प्रदान करने का भी प्रयत्न किया है ताकि इन अधिकारों का दुरुपयोग न हो परन्तु यह सर्वथा गलत तथा समाज के लिये अहितकार होगा कि समस्त सुरक्षा-उपबंधों को समाप्त कर दिया जाये। कभी-कभी ऐसी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कठोरतम् कार्यवाही करनी ही पड़ती है और इसी कारण इन उपबंधों को बनाये रखना परमावश्यक है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि ये उपबंध समूचे तौर पर ठीक ही सिद्ध हुए हैं।

सामान्य रूप से हमारा व्यवहार का दृष्टिकोण यह रहा है कि हमने पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से लेकर कुछ सुरक्षा उपबंध न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दिये जो कि इस संहिता के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकारी है। यह पहला अवसर है जबकि इस संहिता के अधीन कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक करने के लिये समान प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। हमने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों से कुछ शक्तियां वापस लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दी हैं। इसके फलस्वरूप लोगों को अधिक सुरक्षा मिलेगी। यह उचित नहीं लगता कि हम हमेशा पुलिस बल पर अविश्वास ही करते रह परन्तु यदि कोई कदाचार अथवा अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो फिर उसके निराकरण के लिये हमें प्रशासनिक तथा अन्य उपाय करने होंगे।

जहां तक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का संबंध है इस संहिता में एक उपबंध निगमित किया गया जिसके अनुसार सेशन न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाये जाने योग्य सभी मामलों में कोई भी कथित अपराधी सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता पाने का अधिकारी है। प्रारंभ में हमने सभी राज्य सरकारों को कह दिया है कि सेशन न्यायालय द्वारा चलाये जाने वाले सभी मामलों में सभी अपराधियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाये। इसी संदर्भ में हमने एक सहायक उपबंध भी रखा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार जितना चाहे उस सीमा तक कानूनी सहायता दे सकती है। हां, यह संभव नहीं हो सकेगा कि सभी प्रकार की कानूनी सहायता देने के लिये एक अनिवार्य उपबंध बना दिया जाये। यहां आशंका व्यक्त की गई है कि किसी अवांछित घटना या परिस्थिति को रोकने के लिये स्वयं इस संहिता ही में

व्यवस्था की जाये । मोटे तौर पर यह एक प्रशासनिक उपबंध होगा जिसके लिये उच्च न्यायालय नियम बना सकता है । किन्तु ऐसा करने से पूर्व किसी व्यक्ति के लिये, जो कानूनी सहायता प्रणाली के अन्तर्गत सेवा करने के लिये वकालत कर रहा हो, यह अनिवार्यतः निर्धारित करना होगा । हम समझते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विशेष रूप से इनके लिये कुछ समय निकालना चाहिये ताकि हमारी यह योजना सुचारू रूप से चल सके । विधि आयोग ने कानूनी सहायता देने के संबंध में एक पृथक प्रतिवेदन पेश किया है जिस पर सरकार विचार कर रही है और हम इस पर गंभीरता से आगे विचार करेंगे ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके ।

जहां तक सीमा बांधने का संबंध है इस हेतु हमने एक अतिरिक्त उपबंध अर्थात खण्ड 154 रखा है जिसमें यह व्यवस्था की है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है और वहां उसे दर्ज नहीं किया जाता तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट या किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जा सकता है और अपनी यह रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। यदि वह उक्त रिपोर्ट पुलिस के पास में ही दर्ज कराना चाहता है तो वह दर्ज हो जायेगी । इसके लिए भी हमने एक उपबंध रखा है ।

श्री सुलेमान सटे ने जो तर्क दिए हैं उनके संदर्भ में जहां तक धारा 125 के स्पष्टीकरण का संबंध है, इसका पत्नी, पति या तलाक शुदा व्यक्ति के सिविल दर्जे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस व्यवस्था का मुस्लिम वैयक्तिक कानून से कोई संबंध नहीं है। यदि तलाक हो चुका है और वह तलाक वर्तमान कानून के अन्तर्गत वैध है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। कुछ ऐसे मामले हैं जिनसे पता चलता है कि कतिपय शर्तों के पूरा होने पर उक्त व्यक्ति भी इस धारा का लाभ उठा सकता है । मुस्लिम वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मुसलमान व्यक्ति का तो इसमें कोई उल्लेख तक नहीं है ।

पुलिस की शक्तियों तथा आरोपित व्यक्तियों के बारे में की जाने वाली कार्यवाही का भी सदस्यों ने उल्लेख किया है । बताया गया है कि आरोप लगाने के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जोरदार जिरह करने से कई बार अपराधी लोग भी निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं। हमने तो यह देखना है कि अभियुक्त को अपना बचाव करने का पूर्ण तथा उपयुक्त अवसर मिले और दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को दण्ड मिले । इस लिये अपराध के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही समाप्त करने के प्रस्ताव अनिवार्य तथा सराहनीय हैं तथा इनसे प्रक्रिया सरल हो जायेगी ।

सुझाव दिया गया है कि कानूनी पेशी के समय को घटाया जाये और इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये क्योंकि इसके फलस्वरूप होने वाले विलंब के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता । यह एक तरीका है जिससे पेशी के समय को कम किया जा सकता है और इसके साथ ही मूलभूत दृष्टिकोण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे कि अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिये उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करे। खण्डवार चर्चा के दौरान मैं और भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि दण्ड प्रक्रिया से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, विचार किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : मैं अपने संशोधन संख्या 205 तथा 206 प्रस्तुत करता हूं।

इस खण्ड के अन्तर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मुझे सन्देह है कि यह अधिकार बड़े-बड़े भूमिपतियों, जोतदारों तथा पूंजीपतियों के हितों के अनुसार उपयोग में लाया जायेगा तथा गरीब श्रमिक तथा किसान इसका शिकार होंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे ये संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

अन्य देशों में यह व्यवस्था है कि किसी सन्देहप्रद व्यक्ति को पुलिस एक अलग स्थान पर रोक ले तथा फिर जांच के बाद में यदि कोई मामला बनता है तो अलग न्यायालय में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार प्राप्त करले।

श्री राम निवास मिर्धा : इस संशोधन का अर्थ "प्रज्ञय अपराध" तथा अन्य अपराधों में फर्क को समाप्त करना है जोकि उचित नहीं होगा। हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस कर्मचारी के सामने ही अपराध किया जाता है अथवा करने का प्रयास होता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या पुलिस कर्मचारी को पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर आना चाहिये तथा फिर अपराधी को बंदी बनाना चाहिये। यह बड़ी अवास्तविक बात है। इससे तो सर्वत्र अराजकता फल जायेगी।

मुझे मालूम है कि अन्य देशों में भी बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने की व्यवस्था है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें प्रज्ञेय अपराध तथा अन्य अपराध में फर्क अनुभव करना है। कई देशों में तो यह अन्तर भी नहीं है तथा प्रज्ञय अपराध न होने पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को रक्षा की जाती है तथा उसे अदालत में पेश किया जाता है।

अतः इस अवास्तविक बात को मैं नहीं मान सकता तथा मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 205 तथा 206 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 205 and 206 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 4, पंक्ति 4, "any" ("कोई") के स्थान पर "an" ("एक") **प्रतिस्थापित किया** जाये।

(संशोधन संख्या 14)

पृष्ठ 4 पंक्ति 5, " and " ("और") का लोप किया जाये। (संशोधन संख्या 15)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : (श्री राम निवास मिर्धा)

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4 तथा 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खण्ड 6

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5 पंक्ति 22, "Magistrate" ("न्यायाधीश") **के स्थान पर** "Magistrates" ("न्यायाधीशों") **प्रतिस्थापित** किया जाये। (संशोधन संख्या 16)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है : (श्री राम निवास मिर्धा)

"कि खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 7

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5 पंक्ति 30 "division and district" ("डिविजन तथा जिला") **के स्थान पर** "divisions and districts" ("डिविजनों तथा जिलों") **प्रतिस्थापित** किया जाये। (संशोधन संख्या 17)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है : (श्री राम निवास मिर्धा)

"कि खण्ड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 7, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 8

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 10, "exclusion" ("निरसन") के स्थान पर "reduction" ("कमी") प्रतिस्थापित किया जाये। (**संशोधन संख्या 18**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : **(श्री राम निवास मिर्धा)**

"कि खण्ड 8 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 9

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 23, "other" ("अन्य") से पहले "the" जोड़ दिया जाये (**संशोधन संख्या 19**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : **(श्री राम निवास मिर्धा)**

"कि खण्ड 9 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

श्री दिनेश जोरवर (माल्या) : मैं अपना संशोधन संख्या 227 प्रस्तुत करता हूं। खंड 13 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार के अधीन कार्य कर रहे अथवा कार्य कर चुके किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका के सदस्य के रूप में व न्यायिक मजीस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मेरा संशोधन है कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाये जिसे कम से कम पांच वर्ष या इससे अधिक समय तक प्रथम श्रेणी मजीस्ट्रेट के रूप में अनुभव प्राप्त हो।

श्री राम निवास मिर्धा: खंड 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में व्यवस्था की जा रही है और उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही नियुक्त किया जायेगा। सरकार का विचार है कि विशेष प्रकार के छोटे छोटे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रशासन में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये। इसी विचार से यह उपबन्ध रखा गया है।

श्री विनेश जोरवर : परन्तु उस व्यक्ति के लिए कोई अर्हताएं नियत की जानी चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार के विचार में उच्च न्यायालय को नियुक्ति की शक्ति देना ही पर्याप्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 227 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 227 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 13 was added to the Bill.

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 14 was added to the Bill.

खंड 15

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 6, "or" ("अथवा") के स्थान पर "or give" ("अथवा दें") **प्रतिस्थापित** किया जाय (**संशोधन संख्या** 20)

(श्री राम निवास मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 15, as amended, was added to the Bill.

खंड 16 और 17 विधेयक में जोड दिये गये ।
Clauses 16 and 17 were added to the Bill.

खंड 18

श्री विनेश जोरवर : मैं अपना संशोधन संख्या 228 प्रस्तुत करता हूं । मेरा मत है कि जिसे विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाना है वह अर्हता प्राप्त हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 228 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 228 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 18 से 24 तक सभी को इकट्ठे मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है

"कि खंड 18 से 24 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 18 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 18 to 24 were added to the Bill.

खंड 25

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 28, " as " **के स्थान पर** " as on " **प्रतिस्थापित** किया जाय ! (**संशोधन संख्या** 21)

(श्री राम निवास मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंण्ड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

खंड 26 से 40 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 26 to 40 were added to the Bill.

खण्ड 41

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 146 प्रस्तुत करता हूं । जैसा कि मैंने खंड 2(ग) पर संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दिया जा चुका है । मैं अब संशोधन संख्या 146 को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 146 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 146 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 41. विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 41 was added to the Bill.

खण्ड 42 से 45 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 42 to 45 were added to the Bill.

खण्ड 46

श्री दिनेश जोरदर: मैं अपना संशोधन संख्या 207 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 207 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 207 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 46 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 46 was added to the Bill.

खण्ड 47

श्री दिनेश जोरदर: मैं अपने संशोधन संख्या 208 और 209 प्रस्तुत करती हूं ।

पुलिस को शक्ति दी गई है कि वे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी स्थान की तलाशी ले सकती है । सामान्यता ऐसे अवसरों पर पुलिस ज्यादती करती है । यहां तक कि लोगों को तंग किया जाता है, मारपीट की जाती है और स्त्रियों तक के प्रति अभद्रता का व्यवहार किया जाता है । मेरा संशोधन है कि किसी स्थान की तलाशी में बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए । यह भी उपबन्ध होना चाहिये कि किन परिस्थितियों में पुलिस तलाशी ले सकती है ।

श्री राम निवास मिर्धा: यह संशोधन भी खंड 46 के संशोधन के समान है । पुलिस द्वारा किसी भी परिस्थिति में अधिक बल का प्रयोग नहीं किया जायेगा । केवल परिस्थितियों के अनुसार ही बल का प्रयोग किया जायेगा ।

श्री दिनेश जोरदर : परन्तु संहिता में इस के बारे में कोई उपबंन्ध नहीं है । पुलिस द्वारा ऐसी बातें प्रायः की जाती हैं अतः इसके लिए कोई उपचारात्मक उपबन्ध होना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : पुलिस भी उच्च अधिकारियों के अनुशासन व नियन्त्रण के अधीन है । पुलिस के सिपाही की हर एक बात के लिए अधिनियम में उपबन्ध नहीं रखा जा सकता । यदि उसके कार्य में कोई गलती हो तो उसके विरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही की जा सकती है । अतः इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 208 तथा 209 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 208 and 209 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 47 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 47 was added to the Bill.

खण्ड 48 और 49 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 48 and 49 were added to the Bill.

खण्ड 50

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 210, 211 और 212 प्रस्तुत करता हूं । पुलिस को शक्ति दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है । गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को पुलिस द्वारा पीटा जाता है और उसे शारीरिक यन्त्रणाएं दी जाती हैं । अतः न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी तत्काल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा: मैंने पहिले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है । सरकार इससे सहमत नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 210, 211 और 212 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 210, 211 and 212 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि खंड 50 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 50 was added to the Bill.

खण्ड 51 से 56 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 51 to 56 were added to the Bill.

56-प्र––नया खण्ड

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 232 प्रस्तुत करता हूं । मैं यह स्पष्ट उपबन्ध चाहता हूं कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को पीटा नहीं जाना चाहिये अथवा उसे शारीरिक यन्त्रणा नहीं दी जानी चाहिये । पुलिस का इस प्रकार का व्यवहार देश में एक सामान्य बात है । पुलिस वाले जमीदारों व सरमायादारों का साथ देते हैं व उनके कहने पर किसानों व मजदूरों को पुलिस द्वारा पीटा जाता है । इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है । पुलिस को अब भी इसकी अनुमति नहीं है । किसी को पीटने व शारीरिक यन्त्रणा देने पर पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है और होती भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब संशोधन संख्या 232 मतदान के लिए रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 232 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 232 was put and negatived.

खण्ड 57

Shri Madhu Limaye (Banka) : I beg to move my amendment No. 193. Before the promulgation of our Constitution an ordinary citizen had protection under section 61 of the C.P.C. Protection was provided to citizens under Art. 22(2) of the Contribution after its promulgation. But there is a little variation between the two provisions. Art. 22(2) of the Constitution stipulate that arrested or detained person should be produced before the nearest Magistrate within a period of twenty-four hours. Whereas C.P.C. provision restricts it to a person arrested without a warrant. This variation can lead to confusion. Hence the need for amendment, so that there could be similar provision in the Constitution as well as C.P.C. It would provide enough protection to the ordinary citizen.

I request you and hon. Minister to consider it. I request you to withhold the voting on it in order to give more time to the Minister to consider it.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने केवल एक संशोधन प्रस्तुत किया है किन्तु उन्होंने जिन दो संशोधनों का उल्लेख किया है, वे कहां है ?

Shri Madhu Limaye: One I tabled and the other I moved verbally which can be done with your kind permission.

श्री राम निवास मिर्धा : खंड 167 के लिए पेश किया गया संशोधन संख्या 124 देख लें ।

Shri Shivanath Singh (Jhunjhunu) : It is the intention of the Government that the arrested person should be immediately produced before a Magistrate. When the warrant of arrest in respect of a person is issued and it is asked therein that the accused be produced in 10 or 15 days. Thus, the accused can be detained in police custody for 15 days. So, it is necessary that the accused in such cases be produced before a Magistrate within 24 hours as is done in without warrant cases. It should be clarified in it. With these words, I support the arguments advanced by Shri Madhu Limaye.

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह संशोधन महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इस पर कुछ और सदस्यों के विचार सुनना चाहता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : श्री मधु लिमये ने जिन शंकाओं को व्यक्त किया है उनसे मैं सहमत हूं । परन्तु खंड 57 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गिरफ्तारी के वारन्ट से गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में बाधा आती हो। अतः 'विद और विद-आउट' शब्दों को हटाया जाना आवश्यक नहीं है ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं श्री मधु लिमये के सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं । क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वारन्ट पर गिरफ्तार किये जाने पर कोई व्यक्ति 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जानबूझकर पेश न किया जाये। ऐसी स्थिति में संविधान और कानून की भावना का उल्लंघन होगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : खंड 76 में यह व्यवस्था है कि वारन्ट के अधीन गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को 'बिना अनावश्यक बिलम्ब' के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यहां विवादग्रस्त प्रश्न यह बन जाता है कि 'विलम्ब' आवश्यक है या नहीं है और इसका निर्णय भी मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। मेरे विचार से इस 'बिलम्ब' को अनुमति योग्य तभी माना जायेगा जबकि ऐसी अनुमति प्राधिकारियों से ले ली जायेगी। धि के उपबन्धों के अनुसार उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिये। खंड 67 की व्यवस्था आप में स्पष्ट है। अतः दूसरी व्यवस्था करने से दोनों खंडों के बीच विद्यमान अन्तर अस्पष्ट जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी समझ भी नहीं आया कि क्या संविधान का अनुच्छेद 22(2) 'वारन्ट पर गिरफ्तारी' और 'बिना वारन्ट गिरफ्तारी' में कोई अन्तर स्पष्ट करता है अथवा नहीं। यह प्रश्न मूलतः श्री मधु लिमये ने उठाया है और यह एक विधिसम्मत प्रश्न है। यदि उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है, तो क्या यह उपबन्ध संवैधानिक उपबन्धों के विरुद्ध नहीं जाता है? मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाये।

श्री राम निवास मिर्धा : खंड 57 में जो उपबन्ध है उसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से है जो बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जाता है। खंड 76 में यह उपबन्ध है कि वारन्ट पर गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी 'बिना अनावश्यक बिलम्ब के'....

प्रो० मधु दण्डवते : 'अनावश्यक विलम्ब' के स्थान पर '24 घंटे' शब्द रखे जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सचमुच स्पष्ट नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खंड 76 में तो उसे 24 घंटे का समय भी प्राप्त नहीं है क्योंकि उसे शीघ्र से शीघ्र ऐसा करना होगा।

एक माननीय सदस्य : यदि भाषा और अधिक स्पष्ट हो जाये, तो आपका क्या हर्ज है?

उपाध्यक्ष महोदय : 'अनावश्यक विलम्ब' का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार लगायेगा। यह 24 घंटे से अधिक भी हो सकता है और कम भी। दूसरी विवादग्रस्त बात यह है कि मंत्री महोदय कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वारन्ट पर हुई गिरफ्तारी पर अनुच्छेद 22 लागू नहीं होता। किन्तु श्री मधु लिमये इसका खंडन करते हैं। इस विवाद पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री दिनेश जोरदर : बिना वारन्ट के गिरफ्तारी के बहाने पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना किसी कारण उसे बन्दीगृह में रख सकती है। इससे तो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई शंका से सहमत हूं। किन्तु उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था उपबन्धों में है। अब समस्या यह है कि तत्संबन्धी व्यवस्था खंड 57 में रखी जाये अथवा 76 में। यदि आप चाहें तो उसे कुछ समय के लिए विचाराधीन रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 89 के अन्तर्गत मैं खंड 57 पर चर्चा को स्थगित करता हूं। उनके के कुछ खंडों के संबन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 58 से 75 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 58 to 75 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 76 पर विचार अभी स्थगित किया जाता है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 77 से 81 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 77 से 81 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 77 to 81 were added to the Bill.

खण्ड 82

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 213, 214 और 215 प्रस्तुत करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण कृषकों और निर्धन लोगों के हित में मेरे संशोधन स्वीकार कर ले। मेरा सुझाव है कि किसी व्यक्ति के संबन्ध में किसी न्यायालय में उपस्थित होने की उद्घोषणा प्रकाशित किये जाने से पूर्व इस प्रयोजन के लिए साक्ष्य लेना न्यायालय के लिए अनिवार्य बना दिया

श्री राम निवास मिर्धा : यदि ऐसा कर दिया गया तो कई मामलों में उद्घोषणा प्रकाशित करने का ध्येय ही पूरा न होगा। मेरे विचार से यह न्यायालयों पर ही छोड़ देना चाहिये कि किस मामले में वह साक्ष्य लेना चाहता है और किस में नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग उचित ढंग से करेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 213, 214 और 215 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 213, 214 and 215 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 82 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 82 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 82 was added to the Bill.

खण्ड 83

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 216, 217, 218, 219 और 220 प्रस्तुत करता हूं । मेरा सुझाव है कि कुर्की आदेश उस समय तक जारी न किया जाये जब तक इसके लिए साक्ष्य

आदि न ले लिये जायें और ऐसे आदेश विरल होने चाहिये। इस कुर्की आदेश के आधार पर पुलिस वाले निर्धन ग्रामीणों को लूटते हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : खंड 82 लापता व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा प्रकाशित करने के बारे में है और खंड 83 में ऐसे लोगों की सम्पत्ति के कुर्की आदेश जारी करने की व्यवस्था की गई है। यदि साक्ष्य लिया जायेगा तो मुकद्में की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 216, 217, 218, 219 और 220 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 216, 217 218, 219 and 220 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 83 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 83 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 83 was added to the Bill.

खण्ड 84 से 91 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 84 to 91 were added to the Bill.

खण्ड 92

संशोधन किया गया

पृष्ठ 28, पंक्ति 13 "of a" के स्थान पर "of a" District Magistrate" ["किसी जिला मजिस्ट्रैट"] प्रतिस्थापित किया जाय । **(संशोधन संख्या 22)**

(श्री राम निवास मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 92, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 92, as amended was added to the Bill.

खण्ड 93 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 93 was added to the Bill.

खण्ड 94

संशोधन किया गया

पृष्ठ 28, पंक्ति 42, 'his' ("उसका") का **लोप कर** दिया जाये। **(संशोधन संख्या 23)**

(श्री राम निवास मिर्धा):

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 94, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 94 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 94, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 94क (नया)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश जोरदर, क्या आप संशोधन सख्या 233 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : जी, हां मैं अपना संशोधन संख्या 233 प्रस्तुत करता हूं।

पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के लिये वांछित व्यक्ति को ढूंढने के नाम पर क्या होता है उसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

इस खंड के अन्तर्गत भी मैं यह बताना चाहूंगा कि क्या होता है। सामान्यतया हम देखते हैं कि चुराई गई सम्पत्ति को खोज निकालने के लिये पुलिस अधिकारी, बिना किसी सूचना के और कभी-कभी कुछ गुंडों के साथ आधी रात को गांव वालों के घरों में घुस जाते हैं और वास्तविक अभियुक्त का पता लगाने के बजाय जिस व्यक्ति से बदला लेना होता है उससे बदला लेते हैं और औरतों का शीलभंग करते हैं। इस उपबन्ध से पुलिस अधिकारियों की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण रहेगा, अतः इस खंड को शामिल किया जाये।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): इस खंड पर भी मेरी वैसी ही प्रतिक्रिया है जैसी कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत खंड 56क पर थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 233 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में	**विपक्ष में**
Ayes—30	Noes—92

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: : प्रश्न यह है :

"कि खंड 95 से 105 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 95 से 105 विधेयक में जोड़ दिये गए
Clauses 95 to 105 were added to the Bill.

खण्ड 106
Clause 106

श्री दिनेश जोरदर: मैं अपना संशोधन संख्या 147 प्रस्तुत करता हूं। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कभी-कभी पुलिस अधिकारी धारा 144 तथा अन्य धाराओं के अन्तर्गत निषेध आदेश जारी करते हैं । इन आदेशों का प्रयोग सामान्यतया कारखानों के फाटकों के बाहर खड़े श्रमिकों, जो अपनी मांगों के लिये एकत्रित होते हैं, के विरुद्ध किया जाता है । अतः इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि किस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध इन निषेध आदेशों को जारी किया जा सकता है । केवल उन्हीं मामलों में निषेध आदेश जारी किये जाने चाहियें जब मानव जीवन खतरे में हो अथवा किसी हमले या आरिष्टि की कोई आशंका हो ।

श्री राम निवास मिर्धा : खंड में कहा गया है कि सत्र (सैशन) न्यायालय या प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट इस आदेश को सोच समझकर जारी करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं संशोधन संख्या 147 को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. I gave an amendment about omission. But according to the rules of the House, the amendment about omission is not printed. I suggest that the amendment about omission be printed and allow us to move.

उपाध्यक्ष महोदय : यह नई प्रक्रिया है । कृपया बैठ जाइये। आपने समय पर संशोधन दिया है परन्तु आपका संशोधन किसी खंड को हटाने वाला है और उस पर नियमों के अनुसार अनुमति नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यह महत्वपूर्ण मामला है । माननीय सदस्य को कुछ कहने दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसे नियम का अपवाद बनाने दिया जाये। यह पूर्वोदाहरण नहीं हो सकता है । आप बोलिए ।

Shri Madhu Limaye: When this case came up in the Supreme Court, I studied the whole history of the Criminal Procedure Code. I have found that a few persons are in a position to deposit bail in the cases under 106. Mostly, the poor are caught and nobody is prepared to stand bail for them. In such circumstances, the provision of three years means the poor will have to remain in imprisonment for three years. If they are not willing to reconsider it, it is alright.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का वही उत्तर है जो उन्होंने दिया है । वह इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 147 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 147 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है :

"कि खंड 106 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 106 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 106 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम खंड 107 लेते हैं । क्या आप सभी अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर मैं अपना संशोधन संख्या 118 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

Omit "with or without sureties."
पृष्ठ 33 पंक्ति 32,—
"प्रतिभुओं सहित या रहित" का लोप कर दिया जाये । (संशोधन संख्या 127)

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 136, 148, 149 और 150 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 194 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shambhu Nath: I hope the hon. Minister will accept the amendment No. 118.

Shri Madhu Limaye: I request that his amendment be accepted.

107 is an emergency section. Keeping in view the emergency, the period of one year should be reduced to six months.

श्री दिनेश जोरदार : मैंने इन खंड़ों पर कुछ विशिष्ट संशोधन प्रस्तुत किये हैं। खंड 107 बहुत ही बुरा खंड है। इसका प्रयोग जन शांति के विरुद्ध अपराधों के लिये किया जाता है।

जन शांति के विरुद्ध अपराधों से सम्बन्धित अध्याय का सामान्यतया लोकतांत्रिक तथा मजदूर संघ के आंदोलनों को दबाने के लिये है। हम जानते है कि किन-किन परिस्थितियों में धारा 144 लगाई जाती है।

आजकल मूल्य-वृद्धि के कारण गरीब व्यक्तियों की हालत संकटमय है और जिसके परिणामस्वरूप मजदूर-संघों और किसानों तथा श्रमिकों के आन्दोलन दिन-प्रति-दिन उग्र होते जा रहे हैं। इन उपबंधों को फिर विधेयक में आन्दोलनों को रोकने के लिये शामिल किया गया है। वास्तव में इस अध्याय को ही पूर्णतया हटा दिया जान चाहिये था। हमारे संशोधन अस्वीकृत होंगे फिर भी हमने खंड 106,107 तथा 108 पर कुछ संशोधन दिये हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत किसानों अथवा श्रमिकों के दल को नोटिस दे दिया जाता है कि उन्हें शांति बनाये रखने के लिये बंधक-पत्र देने का आदेश क्यों न दे दिया जाये।

सरकार कैसी शांति चाहती है? वह मालिकों और भूस्वामियों के हितों की रक्षा करना चाहती है। वह यह नहीं चाहती कि श्रमिक और किसान एक साथ मिलकर अपनी मांगें मनवाने के लिये जलूस निकालें या बैठकें बुलायें। शांति और व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर पुलिस अधिकारी धारा 144 लागू कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि खंड 107 के उपबंधों को बिल्कुल हटा दिया जाये। खाद्यान्न के बारे में जो दंगों होंतें है उन पर 107 के उपबंध नहीं लगाये जाते हैं। अतः मैं कहता हूं कि 107 के सभी संशोधन स्वीकार किये जाय।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : खंड 107 (3) के अन्तर्गत विरोधी दलों के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है अतः मैं श्री जोरदर का इस मामले में समर्थन करता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं संशोधन संख्या 127 स्वीकार करता हूं।

पंक्ति 33 इसका तात्पर्य हुआ कि अब बंधक-पत्र बिना प्रतिभुओं के हो जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि श्री मधु लिमये "छह महीने" या "एक वर्ष" के लिये बल नहीं देंगे। श्री जोरदर के संशोधन कुछ प्रतिबंधात्मक हैं। मैं महसूस करता हूं कि ये शब्द बेहतर हैं। जब शांति को खतरा होगा या भंग होगी तभी इसे लागू किया जायेगा।

श्री दिनेश जोरदर : आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम पारित करते समय आपने कहा था कि इसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लागू नहीं किया जायेगा परन्तु उस अधिनियम के अन्तर्गत लगभग सभी कैदी राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं। आपने संसद में क्या कहा उस पर आप अटल नहीं रहते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : उस मामले में खंड 122 में भी श्री गौतम के संशोधन को स्वीकार कर लेने के बाद संशोधन करना होगा।

श्री मधु लिमये : आपको खंड 111 और 116 में भी संशोधन करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 127 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 33, पंक्ति 32,--

Omit "with or without sureties."

"प्रतिभुओं सहित या रहित" का लोप कर दिया जाये। **(संशोधन संख्या 127)**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 118, 136, 148, 149, 150 और 194 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 118, 136, 148, 149, 150 and 194 were put and negatived.

श्री दिनेश जोरदर : मैंने एक संशोधन पर मतदान को चुनौती देना चाहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने उस समय प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं उठाई जब मैंने कहा कि मैं शेष सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं। कृपया प्रक्रिया को समझिए। यदि आप किसी संशोधन पर मतदान करवाना चाहते हैं तो आप उस पर अलग से मतदान करवाने की मांग कर सकते है। अब खण्ड 107 पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 107 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खण्ड 107, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 107, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 108

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 108 पर विचार किया जायेगा।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 137, 151, 152, 153 और 154 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 108 के उपबन्धों को देखते हुए हम सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते और न ही बैठकों में सरकार के विरुद्ध बोल सकते है। चाहे हम अपनी विचार धारा का प्रचार करते हो, यदि वह सरकार के विरुद्ध हो तो इस खण्ड के उपबन्धों को लागू किया जा सकता है। यह व्यवस्था गैर-लोकतंत्रीय है और स्वाधीन समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इसी लिये मैंने अपने पहले संशोधन में मांग की है कि खण्ड 108 (1) (a) में से "धारा 124 क व" निकाल दिया जाना चाहिये। अन्य संशोधनों के बारे में मैं चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति दोषसिद्ध अपराधी न हो तो उस से बांड भरवा लिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: I support the views expressed by the hon'ble Member in Connection with Section 124-A. If Government gives an assurance that they are prepared to substitute "Government" by "State", we can reconsider this matter, The hon'ble Minister will be aware of this fact that, Mahatma Gandhi and Lokmanya Tilak were imprisoned for 6 years each under this clause. I want that the whole Section should be scrapped but if the hon'ble Minister is averse to do so, he may agree to scrap Section 124-A.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : वर्ष 1934 में मैं भी इसी धारा का शिकार हुआ था इस में, सरकार के स्थान पर 'राज्य' शब्द रखा जाना चाहिये मेरे विचार में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना आपत्तिजनक है परन्तु लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को यदि वह समझता है कि सरकार गलत दिशा की ओर जा रही है तो उस की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री राम निवास मिर्धा : इस खण्ड का प्रयोग अपवाद के रूप में किया जाता है और राजद्रोह के बीज बोने वाले व्यक्तियों से सद्व्यवहार का वचन लेने के लिये इस धारा का प्रयोग करने का न्यायिक दंडनायक ही आदेश जारी कर सकता है। धारा 124-क के अन्तर्गत भाषण देने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। जहां तक 'सरकार' और 'राज्य' शब्दों के परिभाषा का सम्बन्ध है इस पर भारतीय दंड संहिता संबंधी प्रवर समिति विचार करेंगी।

Shri Madhu Limaye: The Government should give an assurance that it will be deleted.

श्री राम निवास मिर्धा : प्रवर समिति के पास विचाराधीन विधेयक के बारे में आश्वासन की मांग करना उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दे दिया है कि केवल भाषण देने के मामले इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते इस धारा के अन्तर्गत वही भाषण आयेंगे जिन से अव्यवस्था पैदा हो सकती है।

श्री दिनेश गोस्वामी: भारतीय दंड संहिता में लिखा है कि 'सरकार' शब्द का अर्थ केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार है। इसका अर्थ भारत का राज्य भी होगा। फिर यह कहना गलत है कि अव्यवस्था पैदा करने वाले भाषण ही धारा 124-क के अन्तर्गत आयेंगे। इस धारा में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा: मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा में इसका अर्थ 'सार्वजनिक अव्यवस्था' से लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं संशोधन संख्या 137 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
24	90

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 151, 152, 153 और 154 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 151, 152, 153 and 154 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 108 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 108 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 108 was added to the Bill.

खण्ड 109

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 34, पार्श्व शीर्षक में

"vagant and" ("आहिण्डक और") का लोप कर दिया जाय। **(संशोधन संख्या 24)**

(श्री राम निवास मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय:

प्रश्न यह है: "कि खंड 109, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 109, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 109, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 110

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 155, 156 और 167 प्रस्तुत करता हूं ।

खंड 110 में अभ्यस्त अपराधियों से अच्छे बर्ताव के लिए जमानत का उपबन्ध किया गया है । उप-खंड (च) में कुछ अधिनियमों का उल्लेख किया गया है । इस उपबन्ध में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस अधिनियम, कंपनी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों को जिनका किसानों श्रमिकों, कर्मचारियों तथा अन्य कई लोगों के हितों तथा अधिकारों से सम्बन्ध है सम्मिलित किया जाना चाहिये । जो लोग कराधान, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क सम्बन्धी कानूनों के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । इन मामलों को भी इस उपबन्ध सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया था कि किस प्रकार के अपराधों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये । जहां तक इन अधिनियमों का सम्बन्ध है, जिनका उल्लेख किया गया है, निःसंदेह उनके सम्बन्ध में भी इन उपबन्धों को लागू किया जाना सहायक होता । परन्तु इस स्थिति में इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा करने से क्या कठिनाइयां पैदा होंगी । पूरी समिति ने इस मामले पर विचार किया है । माननीय सदस्य से मेरी सहानुभूति है परन्तु इस समय इनको स्वीकार करना बहुत कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 155, 156 और 167 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 155, 156 and 167 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 110 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 110 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 110 was added to the Bill.

खण्ड 111 और 112 भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 111 and 112 were also added to the Bill.

खण्ड 113

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 168 प्रस्तुत करता हूं ।

इस में यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, जिस पर शान्ति भंग करने का आरोप हो, तो मजिस्ट्रेट उसे सम्मन भेज कर बुलवा सकता है । परन्तु उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की व्यवस्था आपत्तिजनक है । सामान्यतः इस उपबंध में मजदूर संघों के कार्यकर्त्ता और किसान तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता आते हैं । अतः धारा 113 की इस व्यवस्था को हटा दिया जाना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये बिना शान्ति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाये तभी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। अत माननीय सदस्य का यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 168 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 168 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 113 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 113 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 113 was added to the Bill.

खण्ड 114 और 115 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 114 and 115 were added to the Bill.

खण्ड 116

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : में प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 36, पंक्ति 11,

"Pending" ("लम्बित") **के स्थान पर** "After the Commencement and before" ('शुरू होने के बाद और पूरी होने से पहले") शब्द **प्रतिस्थापित किये जायें।**

(संशोधन संख्या 119)

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 128 भी संशोधन संख्या 119 की तरह की है जो प्रस्तुत की जा चुकी है।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 169 और 170 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 196 और 197 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shambhunath: This is consiquential to section 107 to Section 116 when after breach of peace Magistrate proceeds to enquire the truth and if it happens during that course,for that I have suggested the provision that after the commencement and before the completion of the enquiry, I hope my amendment will be accepted.

श्री दिनेश जोरदर : धारा 116 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट शांति भंग के अपराध की सच्चाई की जांच करने के दौरान अपराधी को नजरबन्द करने का आदेश दे सकता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। यदि पुलिस की रिर्पोट पर किसी व्यक्ति को नजरबन्द कर दिया जाता है तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया जा सकेगा। अत: जांच के दौरान किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखने संबंधी उपबन्ध का मैं विरोध करता हूँ। इस उपबंध में से पंक्ति 11–28 को निकाल देना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka): In case hon'ble Minister is not agreeable to the suggestion made by Shri Joarder, he should accept my amendments. The text of my amendment says:

"Provided further that no such order shall be made unless at least one witness has first been examined and allowed to be examined by the Magistrate concrned." The Supreme Court has given judgement in my case that the old Section 117 (3) and new Section 116 (3) cannot be used until the enquiry is completed. But these provisions are still being used and I have, therefore suggested that the text of my amendment noted above should be added to these provisions. In case this Section is to be used in emergency then the period should be reduced from 6 months to 3 months.

श्री राम निवास मिर्धा : श्री मधु लिमये के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद से अब तक स्थिति यह है कि जांच आरम्भ किये जाने के बिना नजरबन्द करने के आदेश जारी नहीं किये जा सकते।

श्री मधु लिमये द्वारा व्यक्त की गयी कठिनाई को देखते हुए तथा मामले को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हमने "पेंडिंग द कम्पलीशन आफ द इनक्वारी अन्डर सब-सेक्सन (1)" के स्थान पर ये शब्द रखे हैं, "आफटर द कमेन्समेंट एण्ड बीफोर द कम्पलीशन आफ द इनक्वारी"। इसका अर्थ यह है कि जांच शुरू किये बिना आदेश जारी नहीं किये जा सकते। अतः इस संशोधन को स्वीकार किया जा रहा है।

श्री दिनेश जोरदार : श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया है। उनका कहना यह है कि संशोधन में श्री लिमये की इच्छा से कुछ अधिक दिया गया है। जहां तक समय को छह महीने से घटाकर तीन महीने करने का प्रश्न है मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं संशोधन संख्या 119 को स्वीकार कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 36 पंक्ति 11, "Pending" ("लम्बित") **के स्थान पर** "After the commencement and before" ("शुरू होने के बाद और पूरी होने से पहले" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें। **(संशोधन संख्या 119)**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 197 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
31	92

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 169, 170 और 196 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 169, 170 and 196 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 116, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 116, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 116, as amemded, was added to the Bill.

खण्ड 117

श्री दिनेश जोरदार : मैं अपने संशोधन संख्या 171 और 172 प्रस्तुत करता हूं। इसका प्रयोग आमतौर पर कामिक संघों के पदाधिकारियों गरीब किसानों तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के विरूद्ध होना है। अतः इस उपबन्ध में से 'शांन्ति बनाये रखने' के शब्द निकाल दिये जाने चाहियें।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 171 और 172 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 171 and 172 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 117 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 117 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 117 was added to the Bill.

खण्ड 118

श्री दिनेश जोरदार : मैं अपने संशोधन संख्या 173 और 174 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 173 और 174 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 173 and 174 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 118 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 118 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 118 was added to the Bill.

खण्ड 119 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 119 was added to the Bill.

खण्ड 120

श्री दिनेश जोरदार : मैं अपने संशोधन संख्या 175 और 176 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 175 और 176 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत ए ।

The amendment Nos. 175 and 176 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 120 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 120 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 120 was added to the Bill.

खण्ड 121 विधेयक में जोड दिया गया ।
Clause 121 was added to the Bill.

खण्ड 122

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खण्ड 122 पर चर्चा होगी । इस पर दो संशोधन हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता हूं ।

संशोधन किये गये

पृष्ठ 38, पंक्ति 1,—

"(1)" **के स्थान पर** "(1) (क)" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।
(संशोधन संख्या 120)

पृष्ठ 38, पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित **जोड़ा जाए**

"(b) If any person after having executed a bond without sureties for keeping the peace in pursuance of an order of a Magistrate under section 117, is proved, to the satisfaction of such Magistrate or his successor in office, to have committed breach of the bond, such Magistrate or successor in office may, after recording the grounds of such proof, order that the person be arrested and detained in prison until the expiry of the period of the bond and such order shall be without prejudice to any other punishment or forfeiture to which the said person may be liable in accordance with law."

["(ख) यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभुओं रहित कोई बन्धपत्र निष्पादित करने के पश्चात, ऐसे मजिस्ट्रेट

या पद में उसके उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि उस व्यक्ति ने बन्धपत्र का उल्लंघन किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद में उसका उत्तरवर्ती ऐसे प्रमाण के आधार को लेखबद्ध करने के पश्चात यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाये और उसे कारावास में तब तक निरुद्ध रखा जायेगा जब तक बन्धपत्र की कालावधि का अवसान न हो जाये और ऐसे आदेश का किसी अन्य दण्ड या समपहरण पर, जिसका उक्त व्यक्ति विधि के अनुसरण में भागी हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"] (संशोधन संख्या 121) (श्री शम्भू नाथ)।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि **खण्ड** 122, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खण्ड 122, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 122, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 123 और 124, विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 123 and 124 were added to the Bill.

खण्ड 125

उपाध्यक्ष महोदय: अब खण्ड 125 लिया जायेगा।

श्री राम निवास मिर्धा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

पृष्ठ 40, पंक्ति 28 "child" ("संतान") **के पश्चात** "if married" ("यदि विवाहित हो") जोड़ा जाये **(संशोधन संख्या 25)**

"पृष्ठ 40, पंक्ति 29,—
"sub-Section" ("उप-धारा") **के स्थान पर** "Chapter" ("अध्याय") **प्रतिस्थापित** किया जाए। **(संशोधन संख्या 26)**

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

पृष्ठ 40, पंक्ति 28, "child" ("संतान") **के पश्चात** "if married" ("यदि विवाहित हो,") जोड़ा जाये **(संशोधन संख्या 25)**

पृष्ठ 40, पंक्ति 29, "Sub-Section" ("उप-धारा") **के स्थान पर** "chapter" ("अध्याय") **प्रतिस्थापित** किया जाऐ। **(संशोधन संख्या 26)**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : इस खण्ड के नीचे जो व्याख्या दी गई है वह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के विरुद्ध है। तलाक के बाद संबंधित औरत को संबंधित व्यक्ति की पत्नी नहीं कहा जा सकता।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मुस्लिम व्यक्तिगत कानून 'कोरान' तथा पैगम्बर मोहम्मद के प्रवचनों पर आधारित है। श्री मिर्धा का यह कहना गलत है कि यह व्याख्या मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के विरुद्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस खण्ड को रोके रखा जाये ताकि हम धार्मिक नेताओं से इस बारे में बात-चीत कर सकें। प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि खण्ड 125, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 125, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 125, as amended. was added to the Bill.

खण्ड 126

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 41, पंक्ति 33:—

(i) "whether" ("क्या") **के स्थान पर** 'where' ("कहां") **प्रतिस्थापित** किया जाय।

(ii) "raised" ("रेजड") **के स्थान पर** "resided" ("रिजाइडिड") **प्रतिस्थापित** किया जाये। **(संशोधन संख्या 27)**

पृष्ठ 41, पंक्ति 36, "husband, father, mother or child, as the case may be" ("पति, पिता, माता अथवा संतान, जैसा भी मामला हो,") **के स्थान पर** "person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made" ("व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरणपोषण भुगतान के लिये आदेश देने का प्रस्ताव हो") **प्रतिस्थापित** किया जाय। **(संशोधन संख्या 28)**

पृष्ठ 41, पंक्ति 39, "husband, father, mother or child" ("पति, पिता, माता अथवा संतान **के स्थान पर** "person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made" ("व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरणपोषण भुगतान का आदेश दिये जाने का प्रस्ताव हो") **प्रतिस्थापित** किया जाये **(संशोधन संख्या 29)**

(श्री राम निवास मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 126, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 126, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 126, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 127 और 128 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 127 and 128 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विधेयक सम्बन्धी इस कार्यवाही को कुछ समय के लिये रोक कर तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वित्त मंत्री की बात सुन लेनी चाहिये।

तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DECISION OF GOVERNMENT ON REPORT OF THIRD CENTRAL PAY COMMISSION

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने, जिसे अप्रैल, 1970 को स्थापित किया गया था अपना अन्तिम प्रतिवेदन 31 मार्च, 1973 को दे दिया है। इस प्रतिवेदन को पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है, इस दौरान आयोग ने सितम्बर, 1970 नवम्बर, 1971 और सितम्बर, 1972 को अपने तीन अन्तरिम प्रतिवेदन दिये हैं जिनमें कर्मचारियों को विशिष्ट वेतनमानों में अन्तरिम राहत के भुगतान की सिफारिश की गई थी। इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इसमें 175 करोड़ रुपये का व्यय अन्तर्ग्रस्त था।

आयोग ने स्वयं इस बात का अनुमान लगाया है कि लगभग 175 करोड़ प्रति वर्ष की अन्तरिम राहत के अतिरिक्त इन सिफारिशों की क्रियान्विति के 145 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय करने पड़ेंगे जो बाद के वर्षों में वेतनमानों में तथा पेंशन संबंधी लाभों के बढ़ने से और बढ़ जाएंगे। इस राशि में वह व्यय शामिल नहीं है जो आयोग द्वारा कुछ भत्तों तथा सुविधाओं को बढ़ाने तथा सरकार के निर्णयों को उन स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों पर लागू करने, जिन पर केन्द्रीय सरकार के नियम लागू होते हैं, संबंधी सिफारिशों को क्रियान्वित करने से होगा यदि इस सारे व्यय का हिसाब लगाया जाए तो यह लगभग 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आता है और पंचवर्षीय योजना अवधि में यह व्यय लगभग 800/900 करोड़ रु० होगा।

कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने 6 जुलाई, 1973 को मंत्रियों के एक ग्रुप से अपनी भेंट के दौरान अनेक सुझाव दिये हैं। प्रतिवेदन की प्राप्ति से लेकर आज तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके बारे में निर्णय संयुक्त सलाहकार समिति से बातचीत के बाद ही लिया जाये। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व सरकार उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी। कर्मचारी भी इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यदि सहमति नहीं होती तो वह इस मामले को पंच निर्णय के लिए नहीं भेजेंगे। सरकार तुरन्त बातचीत आरम्भ करने तथा उसे शीघ्र पूरा करने के लिए बहुत इच्छुक है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए
Shri S. A. Kadar in the Chair]

खण्ड 129

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 177 और 178 प्रस्तुत करता हूं । मेरी आपत्ति उप-खण्ड (1) और उप-खण्ड (2) पर है । इन उपबन्धों को प्रायः प्रयोग में लाया जाता है । यदि कुछ भूखे लोग राशन सम्बन्धी अपनी मांग को लेकर संसद भवन पर प्रदर्शन करते हैं तो उनके विरुद्ध भी इन उपबन्धों का प्रयोग किया जाता है । सरकार विरोधी प्रत्येक प्रकार के प्रदर्शन के विरुद्ध इन उपबन्धों का प्रयोग किया जाता है । पुलिस के साथ सब स्थानों पर मजिस्ट्रेट जाता है । मैंने अपने संशोधन में 'आल आफिसर इन चार्ज आफ पुलिस स्टेशन' आदि हटाने को कहा है । मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री राम निवास मिर्धा : कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होता है तो पुलिस आफिसर को ही समूची कार्यवाही करनी होती है अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 177 और 178 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
Amendment Nos. 177 and 178 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 129 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 129 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 129 was added to the Bill.

खण्ड 130 और 131 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 130 and 131 were added to the Bill.

खण्ड 132

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 179, 180 और 181 प्रस्तुत करता हूं ।

ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को लोकतंत्रात्मक अधिकार नहीं देना चाहती । सरकार किसानों, मजदूरों को जलूस निकालने तथा प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना चाहती । सरकार प्रदर्शनियों को विभाजित करने के लिये सशस्त्र सेनाओं तक का प्रयोग कर सकती है । परन्तु सरकार आम जनता को कोई सरंक्षण नहीं देना चाहती । मेरा अनुरोध है कि पुलिस तथा सेना का यदि कोई व्यक्ति ज्यादती करता है तो उसे किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रावधान पुलिस अथवा सशस्त्र बल के उन लोगों के बचाव हेतु है जो अच्छी भावना से प्रेरित हो कर काम करते हैं । जिन बातों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह इसके अन्तर्गत नहीं आतीं । अतः मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 179 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
22	77

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 180 तथा 181 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 180 and 181 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 132 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 132 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 132 was added to the Bill.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कल चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि हमें इस विधेयक को पारित करके राज्य सभा को भेजना है क्योंकि राज्य सभा ने इसे इसी सत्र में पारित करना है । कल हमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करनी है । हमें क्या करना चाहिये ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर) : यदि सरकार इतनी इच्छुक है तो इसे सोमवार को ले लिया जाये और जरूरी हो तो लोक सभा का सत्र बढ़ाया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): The Government should not be in hurry in passing this bill.

Mr. Chairman: Where is the time?

Shri Atal Bihari Vajpayee: There can be no hurry in this issue. This is an important Bill. We should have an opportunity to speak over this Bill.

सभापति महोदय : तो हमें उस समय तक बैठना होगा जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाये ।

श्री दिनेश जोरदर : यदि आप हमें बोलने का अवसर नहीं देते तो यह उचित नहीं है ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): This Bill should be passed today.

श्री के० रघुरामैया : यदि आप सब सहमत हों तो हम आज एक घंटा अधिक बैठेंगे और जितना हो सके करेंगे और शेष कल 6 से 7 बजे तक करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं।

सभापति महोदय : हमें इसके लिये कितने समय की आवश्यकता है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is already 6 P.M. We can do it tomorrow.

Mr. Chairman : We should sit upto 7 P.M.....**(Interruptions)**.

Shri Shambhu Nath (Saidpur): It should be passed on Saturday.

श्री दिनेश जोरदर : हम शनिवार को नहीं बैठेंगे ।

सभापति महोदय : इस बारे में जब तक अध्यक्ष महोदय के आदेश नहीं आ जाते उस समय तक हम खंडों पर चर्चा करें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 133 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 133 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 133 was added to the Bill.

खंड 134 से 143 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 134 to 143 were added to the Bill.

खण्ड 144

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 138, 236, 237, 238 और 240 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : 239 को भी प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री मधु लिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 198, 199, 200 और 201 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दिनेश जोरदार : खण्ड 144 में सम्मिलित उपबंध बहुत खतरनाक है । बहुधा कुछ स्थानों को धारा 144 के अधीन अपने वाले स्थान घोषित कर दिया जाता है जहां तक 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है । **(व्यवधान)**

बाध्य, तंग करना, लोकशांति भंग करना आदि शब्दों को इस उपबंध से हटा दिया जाना चाहिये । इसी कारण मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

Shri Madhu Limaye: Provisions of Section 144 have to be involved at the time of emergency but it had been involved frequently without giving due consideration. I think powers under this section should not be delegated to the Magistrate or Sub-Divisional Magistrate.

I have suggested that orders under this section should be issued for 72 hours or at the most 15 days in case law and order situation is such which require extension.

The powers under this section should not be delegated to the State Government otherwise there will be nothing personal liberty. You should not take a hasty decision. A decision may be taken after taking all the pros and cons into consideration.

Shri Ramavatar Shastri: Section 144 has been used almost against trade union and farmers movements. I think that this is a dangerous Section Innocent people are arrested under this Section. Therefore there should be no such provision in the Bill.

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को कुछ घोषणा करनी है ।

श्री के० रघुरामैया : इस खंड के बाद सभा-स्थगित होगी.....(**व्यवधान**) हम शनिवार को भी बैठेंगे और इस विधेयक को पारित करेंगे ।

सभापति महोदय : हम खंड 144 पर चर्चा समाप्त करते हैं । श्री वाजपेयी आप शुरू करें

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker.....

सभापति महोदय : श्री वाजपेयी ने अपना भाषण शुरु किया है । ये दोनों विधेयक शनिवार को पारित किये जायेंगे । सभा की राय यही है ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 31 अगस्त, 1973/9 भाद्रपद, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, August 31, 1973/ Bhadra 9, 1895 (Saka).

MGIPRRND—32 LSS/73—Sec. II (NS)—24-12-73—490.